लोक सभा

वाद विवाद

द्वितीय माला

खंड ३४, १९५९/१८८१ (शक)

१ अगस्त से १२ सितम्बर १९५९/९ से ३१ भाद्र १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

आठवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३४ में अंक २१ से ३१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ३४—अंक २१ से ३१—३१ अगस्त से १२ सितम्बर, १९५९/९ से ३१ भाद्र १८८१ (शक)]

अंक २१—सोमवार, ३१ अगस्त, १९५९

९ भाद्र, १८८१ (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ९६२ से ९७०, ९७२, ९७४ से ९७६, ९७९, ९८०, ९८२, ९८४ और ९८५	२६६९–९२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९६१, ९७१, ९७३, ९७७, ९७८, ९८१, ९८३ और ९८६ से १०१०	२६९३–२७०६
अतारांकित प्रश्न संख्या १८०९ से १९०० .	२७०६–४४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७४४–४५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	२७४५
राज्य सभा से सन्देश . . .	२७४५
याचिका का उपस्थापन	२७४५
सदस्य के सभा से बाहर जाने के बारे में	
विधेयक पुरस्थापित . .	२७४६–४७
(१) जिनेवा अभिसमय विधेयक . . .	२७४८
(२) केरल विनियोग विधेयक .	२७४८
सरकारी बचत बैंक (संशोधन) विधेयक . .	२७४८–६०
विचार करने के लिये प्रस्ताव .	२७४८–६०
खण्ड २ से ९ और १ पारित करने के लिये प्रस्ताव . .	२७६०
सरकारी बचत प्रमाण पत्र विधेयक .	२७६०–६३
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२७६०–६२
खण्ड २ से १३ और १ पारित करने के लिये प्रस्ताव . .	२७६२–६३
लोक ऋण (संशोधन) विधेयक . .	२७६४–६५
विचार करने के लिये प्रस्ताव .	२७६४–६५
खण्ड २, ३ और १ पारित करने के लिये प्रस्ताव . . .	२७६५

पृष्ठ

विधि आयोग के चौदहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २७६६—८९

सभा का कार्य . . २७८६—८९

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा। २७८९—९४

दैनिक संक्षेपिका २७९५—२८०२

अंक २२—मंगलवार, १ सितम्बर, १९५९

१० भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १०११, १०१२, १०३७, १०१४ से १०२१ और १०२३ . . . . २८०३—२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . २८६४–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३, १०२२, १०२४ से १०३६ और १०३८ से १०५२ . . २८२४-३६

अतारांकित प्रश्न संख्या १९०१ से १९७२ २८३६—६४

स्थगन प्रस्ताव . २८६५—६८

(१) स्थल सेनाध्यक्ष का कथित त्याग-पत्र

(२) खाद्य स्थिति

स्थगन प्रस्तावों के निबटाने सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में . २८७०

दामोदर घाटी निगम की नहर के टूटने के बारे में वक्तव्य . २८६८—७०

विधेयक-पारित—

केरल विनियोग विधेयक . . . २८७०

विधि आयोग के चौदहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव २८७१—८३

अतिरिक्त अनुदानों की मांग (दिल्ली) . २८८३—८९

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (हिमाचल प्रदेश) . २८८९—९३

शस्त्र विधेयक . . . . २८९३—९६

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के लिये प्रस्ताव। .

हिन्दुस्तान शिपयार्ड (प्राइवेट) लिमिटिड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २८९६—२९१६

दैनिक संक्षेपिका . . २९१७—२२

अंक २३—बुधवार, २ सितम्बर, १९५९

११ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १०५४ से १०५६, १०५८ से १०६१, १०६३ से १०६६, १०६९ से १०७१, १०७३ से १०७५, १०७७ और १०७८ . २९२३—५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५७, १०६२, १०६७, १०६८, १०७२, १०७६ और १०७९ से १०९४ . . . . . २९५१—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १९७३ से २०७१ . २९६२—३०१०

स्थगन प्रस्ताव . . . ३०१०—१८

स्थल सेनाध्यक्ष का त्याग-पत्र

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ३०१८—२२

पश्चिमी बंगाल की खाद्य स्थिति

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३०२२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . ३०२२

उनचासवां प्रतिवेदन

भाखड़ा बांध की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ३०२३—२४

विधेयक पुरस्थापित ३०२५

(१) त्रावणकोर-कोचीन मोटर गाड़ियां कराधान (संशोधन तथा मान्यीकरण) विधेयक, १९५९ ।

(२) विनियोग (संख्या ७) विधेयक, १९५९ ।

त्रावणकोर-कोचीन मोटर गाड़ियां कराधान (संशोधन तथा मान्यीकरण) अध्यादेश के बारे में विवरण . . . ३०२५—२६

राजभाषा सम्बन्धी संसदीय समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ३०२६—६४

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३०६५—७१

अंक २४—गुरुवार, ३ सितम्बर, १९५९

१२ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १०९५ से ११०२, ११०४ से ११०७, ११०९, ११११ और १११३ . . . . . ३०७३—९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०३, ११०८, १११०, १११२ और १११४ से ११३१ . . . . . ३०९६—३१०४

अतारांकित प्रश्न संख्या २०७२ से २१४४ . ३१०४—३१

विषय-सूची

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव . . ३१३२—३४

कलकत्ता में स्थिति

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३१३४

राज्य सभा से सन्देश ३१३४–३५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३१३५–३६

अम्बाला की बाढ़ में सेना द्वारा सहायता

जानकारी का प्रश्न ३१३६–३७

संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्धी कार्य के लिये प्रतिरक्षा मंत्री की अनुपस्थिति

विधेयक—पारित . . ३१३७

विनियोग (संख्या ७) विधेयक ।

राज-भाषा सम्बन्धी संसदीय समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ३१३८—८२

दैनिक संक्षेपिका . . ३१८९—९४

अंक २५—शुक्रवार, ४ सितम्बर, १९५९

१३ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ११३२ से ११३६, ११३८, ११३९, ११४४, ११४० से ११४३, ११४६, ११४९ से ११५१ और ११५३ से ११५६ . . ३१९५—३२२१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ से ११ . . . ३२२१—२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३७, ११४५, ११४७, ११४८, ११५२ और ११५७ से ११७८ . . . . . ३२२५—३५

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४५ से २२१७ . . . ३२३५—६३

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ३२६४—६९

पश्चिम बंगाल में स्थिति ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३२६९

राज्य सभा से सन्देश . . . ३२६९–७०

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक . . . ३२७०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ।

विशेषाधिकार समिति . ३२७०

दसवां प्रतिवेदन ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३२७०—७२

पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मन्त्री के बीच हुई बातचीत ।

	पृष्ठ
सभा का कार्य	३२७२–७३
समिति के लिये निर्वाचन	३२७३
लोक लेखा समिति	
खान (संशोधन) विधेयक पुरस्थापित	३२७३
राजभाषा सम्बन्धी संसदीय समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३२७४—९४
सभा के कार्य के बारे में	३२९४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति उनचासवां प्रतिवेदन।	३२९४
तिब्बत का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपने के बारे में संकल्प	३२९४—३३२०
हैदराबाद में अथवा बंगलौर में लोक-सभा का सत्र होने के बारे में संकल्प	३३२०
दैनिक संक्षेपिका	३३२१—२७

अंक २६—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५९

१६ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
* तारांकित प्रश्न संख्या ११७९ से ११८४, ११८६ से ११९६ और ११९८ से १२०१	३३२९—५३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ और १३	३३५४—५७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८५, ११९७, १२०२ से १२१३ और १२१५	३३५७—६३
अतारांकित प्रश्न संख्या २२१८ से २३०८ और २३१० से २३२५	३३६३—३४१२
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	३४१३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४१३—१६
राज्य सभा से सन्देश	३४१६
नंगल में हायस्ट चैम्बर की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	३४१६—२०
विशेषाधिकार समिति	३४२०
दसवां प्रतिवेदन	
जीवन बीमा निगम जांच के सम्बन्ध में विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३४२०—४१
दैनिक संक्षेपिका	३४४२—४८

पृष्ठ

अंक—२७—मंगलवार, ८ सितम्बर, १९५९

१७ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२१८, १२२० से १२२६ और १२२८ से १२३२ . . . . ३४४९—७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२१९, १२२७ और १२३३ से १२५२ . . ३४७२—८१

अतारांकित प्रश्न संख्या २३२६ से २३९३ . . . ३४८१—३५०६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ३५०६—०७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति . . ३५०७

सोलहवां प्रतिवेदन।

हुगली नदी में एक छोटे जहाज की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ३५०७—०८

जीवन बीमा निगम जांच के सम्बन्ध में विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . . ३५०८—२४

भाषाई अल्प संख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३५२४—३९

कार्य मंत्रणा समिति ३५३९

तैंतालीसवां प्रतिवेदन।

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३५४०—४५

अंक २८—बुधवार, ९ सितम्बर, १९५९

१८ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या १२५३ से १२५८, १२६० से १२६७ १२६९, १२७० और १३०० . . . . ३५४७—७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५ . . . . ३५७०—७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५९, १२६८, १२७०क, १२७१ से १२७४, १२७४क, १२७५ से १२९९, १३०१ से १३०३, १३०३क, १३०४ से १३०९, १३०९क, और १३१० . ३५७५—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २३९४ से २४३७, २४३९ से २४८५, २४८७ से २५०५, २५०५-क, २५०५-ख, २५०५-ग . ३५९४—३६४२

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखा गया पत्र . . .	३६४२
राज्य सभा से सन्देश . .	३६४२
याचिका समिति .	३६४२
कार्यवाही सारांश ।	
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	३६४३
छठा प्रतिवेदन ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	३६४३
पचासवां प्रतिवेदन ।	
याचिका समिति	३६४३
सातवां प्रतिवेदन ।	
तारांकित प्रश्न संख्या १९७८ के उत्तर की शुद्धि	३६४३–४४
कार्य मंत्रणा समिति	३६४४––४६
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ।	
त्रावणकोर कोचीन मोटर गाड़ियां कराधान (संशोधन तथा मान्यीकरण) विधेयक	३६४६––५३
विचार करने के लिये प्रस्ताव ।	
खण्ड १ से ४	३६५३
पारित करने के लिये प्रस्ताव	३६५३
भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	३६५३—६४
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३६६४—८३
आधे घण्टे की चर्चा .	३६८३––९१
(एक) एवरो ७४८ का निर्माण ।	
(दो) डकोटा विमानों के स्थान पर अन्य विमानों का रखा जाना	
दैनिक संक्षेपिका	३६९२—३७००

अंक २९––गुरुवार, १० सितम्बर, १९५९

१९ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

* तारांकित प्रश्न संख्या १३११ से १३२१ और १३२३ से १३२५ .	३७०१—२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १३२२, १३२६ से १३३४, १३३४-क, १३३५ से १३५२, १५२-क, और १३५३ से १३६२	३७२४––४१

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या २५०६ से २६२६, २६२६-क, २६२६-ख, २६२६-ग, और २६२६-घ ३७९१–९२

अतारांकित प्रश्न संख्या १८२६ के उत्तर में शुद्धि ३७९२

स्थगन प्रस्ताव . ३७९२—९४

जलूस पर कथित हमला ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३७९४—९६

राज्य-सभा से सन्देश . . ३७९६

विविध व्यक्तिगत (विधियां) विस्तार विधेयक . ३७९७

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ।

तारांकित प्रश्न संख्या २१९ के उत्तर की शुद्धि . ३७९७

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव ३७९७–३८०३

खण्ड २ तथा १ . ३८०३

पारित करने के लिये प्रस्ताव . ३८०३

भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३८०३—२०

भाखड़ा बांध की एक सुरंग के हायस्ट चैम्बर की दुर्घटना के बारे में प्रस्ताव ३८२०—५०

तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३८५०–५३

दैनिक संक्षेपिका ३८५४–६२

अंक ३०—शुक्रवार, ११ सितम्बर, १९५९

२० भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १३६३ से १३६५, १३६७ से १३७०, १३७३ से १३७५ और १३७८ से १३८१ ३८६४–८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६६, १३७१, १३७२, १३७६, १३७७, १३८२ से १३९०, १३९०-क, १३९०-ख, १३९१ से १४०२, १४०२-क, १४०३ से १४०९ . . . . . ३८८६–३९०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२७ से २७११, २७१३ से २७२१ और २७२३ से २७२७, २७३० और २७३१ . . . ३९०१–४४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८७३ के उत्तर में शुद्धि ३९४४

स्थगन प्रस्तावों के बारे में . ३९४५

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	३९४५—४६
प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश में संशोधन	३९४६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश।	३९४७
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश	३९४७
राज्य सभा से सन्देश .	३९४७
अनुपस्थिति की अनुमति . .	३९४८
तारांकित प्रश्न संख्या १०९९ के उत्तर की शुद्धि	३९४८
डाक तथा तार बोर्ड के बारे में वक्तव्य . . .	३९४८—५०
भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३९५०—६७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति पचासवां प्रतिवेदन।	३९६७
निर्जापुर पाषाण महल (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)—वापस लिया गया	३९६७—७०
विचार करने के लिये प्रस्ताव	
अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ आश्रम (निरीक्षण तथा नियन्त्रण) विधेयक संयुक्त समिति को सौंपे जाने के लिये सहमति प्रस्ताव।	३९७०—८७
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १९८ का संशोधन)। विचार करने के लिये प्रस्ताव।	३९८७—९०
आधे घण्टे की चर्चा	३९९०—९९
(१) मद्रास में सहकारी चीनी मिलें।	
(२) आन्ध्र प्रदेश में उर्वरक कारखाना।	
दैनिक संक्षेपिका .	४०००—०८

अंक ३१—शनिवार, १२ सितम्बर, १९५९

२१ भाद्र १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ से १८ .	४००९—१४
स्थगन प्रस्ताव	४०१४—१६

विषय-सूची

	पृष्ठ
भारत के प्रधान मन्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत के बारे में	४०१४–१५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४०१५
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	
कार्यवाही सारांश	
राज्य सभा से सन्देश	४०१५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	४०१६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना।	४०१६–१७
(१) सुरक्षा परिषद् में पाकिस्तान द्वारा शिकायत।	
(२) सी हाक जैट विमानों की खरीदारी।	
भाखड़ा बांध के बारे में वक्तव्य	४०१७
भारत-चीन सम्बन्धों पर श्वेतपत्र के बारे में प्रस्ताव	४०१७–५९
गोरखपुर श्रम संगठन के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	४०५९—६४
दैनिक संक्षेपिका	४०६५–६६
आठवें सत्र का कार्यवाही सारांश	४०६७–६८

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शनिवार, १२ सितम्बर, १९५९

२१ भाद्र, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

समाचार एजेन्सियां

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६. श्री च० द० पाण्डे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ९ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार एजन्सियों के संबंध में किसी मानदण्ड को अन्तिम रूप प्रदान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर उसकी रूप रेखा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) और (ख). सरकार को जनता के लिये समाचारों का उपबन्ध करने के प्रयोजन से विशेष सुविधायें उपलब्ध करने के संबंध में समय समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। सरकार इस प्रश्न पर विचार करती रही है कि भारतीय समाचार एजन्सियों को, सही और निष्पक्ष समाचार की निर्बाध प्राप्यता के सामान्य सिद्धान्त का पालन करते हुए, अखबारों की और जनता तक खबरें पहुंचाने के अन्य माध्यमों की आवश्यकतायें समुचित रूप से पूरी करने के लिये किन-किन अपेक्षाओं की पूर्ति करनी चाहिये।

रियायती दरों पर विशेष संचार सुविधाओं में टेलीप्रिन्टर सर्किटों का "लीज़" पर देना, कई पतों पर भेजे जाने वाले समाचार (मल्टी-एड्रेस न्यूज़ सर्विस) वायरलेस पर प्राप्त करना और प्रैस संदेश भेजने के लिये ट्रांसमिटरों को किराये पर देना शामिल है। पत्र, बुक-पोस्ट अथवा प्रेस-तार इन सुविधाओं में नहीं हैं और प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति अथवा निकाय उपयोग कर सकता है।

†मूल अंग्रेजी में

समय-समय पर काफ़ी सख्या में आने वाले अनुरोधों और उपलब्ध सीमित चैनलों का ध्यान रखते हुऐ सरकार ने हाल ही में इस प्रश्न की काफी निकट से परीक्षा की है।

इस संबंध में वह यूनस्को द्वारा प्रस्तावित परिभाषा को मोटे तौर पर स्वीकार करती है जिसमें कहा गया है कि समाचार एजेन्सी एक ऐसा "उपक्रम है जिसका प्रमुख उद्देश्य , चाहे उसका कानूनी रूप कुछ भी क्यों न हो, ऐसे समाचारों और समाचार-सामग्री का संग्रह करना, जिनका केवल मात्र प्रयोजन तथ्यों को व्यक्त अथवा प्रस्तुत करना और उनका यथा संभव सम्पूर्ण और निष्पक्ष समाचार सेवा उपलब्ध करने की दृष्टि से मूल्य लेकर और व्यापारिक विधियों एवं प्रथाओं क अनुसार समाचार उपक्रमों अथवा आपवादिक परिस्थितियों में, कुछ व्यक्तियों में वितरण करना हो।

भारतीय प्रेस-कमीशन ने यूनेस्को द्वारा की गयी परिभाषा की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आगे यह कहा था कि समाचार एजेन्सियों के लिये सिर्फ यही आवश्यक नहीं है कि वे पक्षपात से दूर रह कर ईमानदारी , व्यक्ति -निरपेक्षता और व्यापकता के सिद्धांतों का पालन करें, बल्कि इस बात की भी ज़रूरत है कि अखबार और जनता यह महसूस करे कि वे वास्तव में ऐसे ही रास्ते पर चल रही हैं ।

किसी भी समाचार एजेन्सी के अनुरोधों पर विचार करते समय उपर्युक्त का ध्यान रखते हुए निम्नलिखित बातों पर विचार किया जायेगा :

१. कि उसका प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य व्यक्ति निरपेक्षता, ईमानदारी और यथा संभव व्यापकता के सिद्धान्त के अनुसार खबरों का प्रसार करना है और वह समाचार लाने और उनका प्रसार करने में वह पत्रकारिता के मान्य नैतिक आचारों के अनुरूप कार्य करती है ;

२. कि उसका प्रबन्ध एक लोक-न्यास , अथवा पंजीबद्ध संस्था अथवा लोक समिति दायित्व वाले समवाय के रूप में होता है और वह किसी वाणिज्यिक उपक्रम अथवा समाचार-पत्र से संबंधित संस्था या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है ; और

३. कि उसकी सेवायें समूचे प्रेस, रेडियो और सूचना सेवाओं को मूल्य देने पर , अथवा समुचित रूप से ऐ बदले की शर्तों पर जो मूल्य चुकाने के बराबर हो, उपलब्ध हों ।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि वह नियमित रूप से अपनी देय राशियों का भुगतान कर सकेगी या नहीं । उसकी वित्तीय स्थिरता और शोधक्षमता पर भी स्वाभाविक रूप से ही विचार करना पड़ेगा । इन सामान्य शर्तों को पूरा करने पर कोई एजेन्सी मात्र तो मानी जा सकती है परन्तु सुविधाओं की गारंटी देना संभव नहीं है। इन सुविधाओं का उपबन्ध इस बात पर निर्भर है कि पैनल और उपकरण उपलब्ध होते हैं या नहीं। यदि सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि किसी समाचार एजेन्सी ने पूर्ववर्णित सामान्य सिद्धांतों के अनुसार काम करना बन्द कर दिया है तो ये सुविधायें बंद भी की जा सकती हैं ।

†**श्री च० द० पांडे** : इस समय ऐसी एक व्यवस्था है कि यदि कोई विदेशी समाचार एजेन्सी यहां समाचारों का प्रसार करने आये तो वह उस देश के ही एक समाचार-पत्र के पुरोनिधान (स्पांसर) पर ही आ सकती है । जो समाचार पत्र पुरोनिधान करता है शर्तें उसी की चलती हैं इसलिये आने वाली समाचार एजेन्सी को नुकसान होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० केसकर :** पुरोनिधान (स्पांसर) का कोई प्रश्न नहीं है। नियम यह है कि विदेशी समाचार एजेन्सियों को किसी भारतीय समाचार एजेन्सी के माध्यम के अलावा इस देश के भीतर समाचार वितरित करने की अनुमति नहीं दी जाती। अब क्योंकि यहां केवल एक ही समाचार एजेंसी है, हम तदथ कार्यवाही के रुप में इस बात की अनुमति दे रहे हैं कि विदेशी समाचार एजेन्सी अखबारों से व्यवस्था कर यहां कार्य कर सकती है। इस में पुरोनिधान (स्पांसर) का कोई प्रश्न नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ :** सामान्य सिद्धांत निर्धारित करने के अलावा सरकार ने इस देश में काम करने वाले देशी और विदेशी समाचार एजेन्सियों द्वारा समाचार प्रस्तुत करने के ढंग में व्यक्ति निरपेक्षता सुनिश्चित कराने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**डा० केसकर :** मेरे ख्याल से सरकार समाचार एजेन्सियों को इस रास्ते पर चलने की वांछनीयता का महत्व समझाने के अलावा और कुछ तो नहीं कर सकती है।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** अब क्योंकि समाचार एजेन्सियों के मानदण्ड को अंतिम रूप प्रदान कर लिया गया है, क्या पी० टी० आई० के अलावा भारत की किसी अन्य समाचार समिति को मान्यता और ये सुविधायें प्रदान की गयी हैं ?

†**डा० केसकर :** वास्तव में एक या दो एजेन्सियों की अर्जियां आने पर ही हमने यह महसूस किया था कि हमें कुछ सामान्य नियम बना देने चाहियें। फ़िलहाल कोई अखिल भारतीय एजेन्सी नहीं है। छोटी-छोटी एजेन्सियां हैं। लेकिन जहां तक मुझे स्मरण है, हमें आवेदन ही मिले हैं, अभी कोई समिति काम नहीं कर रही है।

बंगाल-नागपुर काटन टेक्सटाइल मिल, राजनंदगांव

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७. श्री वाजपेयी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में राजनंद गांव की बंगाल-नागपुर कॉटन टेक्सटाइल मिल ५ सितम्बर, १९५९ से बन्द हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मिल बन्द हो जाने के फलस्वरूप कितने मज़दूर बेकार हो गये हैं ; और

(ग) मिल को फिर से चालू कराने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी हां, ६ सितम्बर, १९५९ से।

(ख) प्रबन्धकों ने मिल बन्द करने के जो कारण बताये हैं उन में कुछ ये हैं : मिल चलाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है और उन्हें वित्तीय कठिनाइयां हैं। इसका असर लगभग ३००० मज़दूरों पर पड़ा है।

(ग) राज्य सरकार ने समुचित प्राधिकारी होने के नाते मालिक को इस बात के लिये राज़ी करने का प्रयास किया था कि मिल को बन्द करना जांच होने तक तीन महीने के लिये टाल दिया जाय लेकिन मालिक चाहता था कि मजूरी में आस्थगित भूगतान के रूप में २२½ प्रतिशत की कटौती कर दी जाय और जब मिल में फायदा होने लगे तब यह कमी पूरी कर दी

†मूल अंग्रेजी में

जाय । मिल की प्रविधिक और वित्तीय स्थिति की जांच के लिये एक सर्वेक्षण-दल नियुक्त किया गया था । अब भारत सरकार ने एक अधिसूचना निकाल कर मिल की स्थिति की जांच के लिये संसद् सदस्य श्री जी० डी० सोमानी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर दी है ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या सरकार को उस मिल के श्रमिकों का यह प्रस्ताव मिला है कि वह मिल को सहकारिता के आधार पर चलाना चाहते हैं, और यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ।

†**श्री आबिद अली** : जहां तक मुझे पता है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या मालिकों ने वास्तव में मिल बन्द करने से पहले मिल बन्द करने के अपने इरादे का नोटिस दिया था, और यदि हां, तो मिल बन्द होने के पहले क्या कार्यवाही की गयी थी ?

†**श्री आबिद अली** : जो कार्यवाही की गयी है वह मैं बता चुका हूं ।

†**श्री वाजपेयी** : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मालिकों ने पहले से नोटिस दिया था ।

†**श्री आबिद अली** : जी हां । उन्होंने नोटिस दिया था ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्योंकि भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त कर दी है, इसलिये क्या मिल बन्दी का नोटिस समिति का प्रतिवेदन आने तक के लिये वापस ले लिया गया है ?

†**श्री आबिद अली** : मिल ६ तारीख से बन्द हो चुकी है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव**: नैनीताल में हुए १६वें श्रम सम्मेलन के अनुसार मिल मालिकों को मिल बन्द करने के दो-तीन महीने पहले से नोटिस देना होता है । क्या इस मिल के मालिकों ने ऐसा नोटिस दिया था ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां । नोटिस दिया था ।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या सरकार ने भू-राजस्व की बकाया की वसूली की कार्यवाही की तरह की कोई कार्यवाही की है ताकि श्रमिकों को छंटनी का मुआवजा और आखिरी महीने की मजूरी मिलना सुनिश्चित हो जाय ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां । श्रमिकों को लगभग १४½ लाख रुपये निकलते थे । मेरा ख्याल है कि यह सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है और मालिकों से वह रक़म ४८ घंटे के भीतर अदा करने के लिये कहा गया है । भूमि राजस्व की बकाया की तरह ही इस राशि को वसूल करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मिल मालिकों ने दो महीने से पहले से मिल को बन्द करने का नोटिस दे दिया था, जांच समिति नियुक्त करने में इतनी देर होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री आबिद अली** : मैं बता चुका हूं कि इस मामले के प्रविधिक पक्ष का पता लगाने के लिये पहले एक सर्वेक्षण दल नियुक्त किया गया था तब दूसरी समिति नियुक्त की गयी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की सदस्य संख्या

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८. श्री काशीनाथ पाण्डे :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९५९ को (१) इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (२) ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (३) हिन्द मज़दूर सभा; और (४) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने अपने कितने कितने सदस्य होने का दावा किया था और वास्तव में इनकी सदस्य संख्या कितनी थी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** आ० एन० टी० यू० सी०, ए० आई० टी० यू० सी० और हिन्द मज़दूर सभा के ३१-३-५९ तक की सदस्य संख्या संबंधी आंकड़े, जो ३१-८-५९ तक आ जाने चाहिये थे, आ गये हैं। ये इस प्रकार हैं :

क्रमांक	संगठन का नाम	यूनियनों की संख्या	सदस्य संख्या
१	इण्यिन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस	१,२६९	१५,०३,६०५
२	आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस .	१,३३८	१०,८२,५७२
३	हिन्द मज़दूर सभा . . .	३२४	४,८०,२९०

यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने १५-९-५९ तक का समय मांगा है और यह उसे दे दिया गया है ।

इनके सत्यापन के पूरे होने में, जो केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों के परामर्श से निर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है, कई महीने लग जायेंगे ।

†**श्री काशीनाथ पांडे :** पिछले वर्ष उन्होंने कितनी सदस्य संख्या का दावा किया था और वास्तव में उनके कितने सदस्य निकले ?

†**श्री आबिद अली :** पिछले वर्ष आई० एन०. टी० यू० सी० ने १३ लाख की सदस्यता का दावा किया था और इनकी सत्यापित संख्या लगभग ९ लाख निकली । आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने १४ लाख का दावा किया था और सत्यापित संख्या लगभग ५ लाख थी । यूनाइटेड ट्रेड कांग्रेस ने लगभग १,९६,००० की सदस्यता का दावा किया था और इनकी सत्यापित संख्या लगभग ८०,००० रही । हिन्द मज़दूर सभा ने इसके ३,५७,००० होने का दावा किया और सत्यापित संख्या १,८४,००० आई ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** हाल के सत्यापन के बाद पश्चिम बंगाल, आंन्ध्र, केरल, तामिलनाड, दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक में आंल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तूलनात्मक सदस्य-संख्या कितनी-कितनी थी ?

†**श्री आबिद अली :** इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** मेरा ख्याल है कि सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से आपत्तियां दाखिल करने के लिये कहा गया था । क्या उन आपत्तियों पर अब तक विचार किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली :** जी हां। १९५७–५८ की सदस्य संख्या संबंधी आपत्तियां मांगी गयी गयी थीं। वे आ चुकी हैं और उन पर विचार भी किया जा चका है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** १६ वें श्रम सम्मेलन के निर्णयों के अनुसार यदि विभिन्न ट्रेड यूनियनों की सदस्य संख्या के संबंध में कोई विवाद उठे तो चारों केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों की एक समिति को उसके संबंध में कार्यवाही करनी चाहिये। पिछले साल की सत्यापन प्रक्रिया में यह प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गयी ?

†**श्री आबिद अली :** इसका मौका ही नहीं आया था क्योंकि सत्यापन का काम पूरा होने के बाद प्रतिनिधियों को बुलाया जाना था। हमारे अस्थायी आंकड़े इन चारों संगठनों के पास भेजे गये थे। उनकी आपत्तियां आ गयी हैं और मैं बता चका हूं कि अब प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे और आगे चर्चा करने का वक्त आयेगा।

†**श्री पाणिग्रही :** इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्योगवार आंकड़े क्या हैं ?

†**श्री आबिद अली :** यह प्रश्न ३१ मार्च, १९५९ के आंकड़ों के विषय में है और माननीय सदस्य पिछले वर्षों के बारे में जानकारी चाहते हैं। स्वाभाविक है कि मुझे इसके लिये नोटिस चाहिये तब मैं आंकड़े यहां रख दूंगा।

स्थगन प्रस्ताव

भारत के प्रधान मंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत के बारे में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है:—

"पाकिस्तानी समाचारपत्रों में 'अय्यूब खां ने नेहरू से क्या कहा' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार, जिसको हाल में पालम हवाई अड्डे पर जनरल अय्यूब खां तथा हमार प्रधान मंत्री के बीच हुई बातचीत का शब्दशः उद्धरण बताया जाता है"। आदि;

इसको श्री गोरे ने भेजा है। इसकी ग्राह्यता के बारे में तो मैंने निर्णय कर लिया है कि क्या किया जाना चाहिये, लेकिन मैंने सोचा कि शायद सरकार स्थिति को स्पष्ट करना चाहे।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** जहां तक मुझ से बातचीत का सवाल है जो समाचार छपा है वह बिल्कुल गलत है। मेरे से यह बातें नहीं की गयी थीं। इस समाचार की लगभग ७० प्रतिशत अथवा ७५ प्रतिशत बातें मेरे से नहीं की गयीं। संभव है एक दोवाक्य कहे गये हों। मैं सारी बातचीत को तो याद नहीं रख सकता परन्तु यह समाचार अवश्य गलत है।

†**श्री गोरे :** (पूना): इस लेख को श्री कुदरतुल्ला शाहब ने, जो जनरल अय्यूब खां के सेक्रेटरी हैं, लिखा है और प्रत्यक्षतः उहोंने जनरल अय्यूब खां को उद्धृत किया है। उन्होंने

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्होंने कहा है कि जनरल अय्यूब खां से यह कहा था कि "जब तक भारत हमसे तिगुनी सेना रखता है तब तक हम भारतियों को विश्वास नहीं कर सकते।" आगे उसमें लिखा है कि "भारत ने कई बार बिना किसी कारण हमारी सीमा पर सेना एकत्रित की है।" पाकिस्तान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बातों की सारे देश में घोषणा की जाती है परन्तु हमें ससद् में भी नहीं बताया जाता कि दोनों में क्या बातचीत हुई थी। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री ने क्या कहा था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं बता चुका हूँ। सेक्रेटरी वहां पर उपस्थित नहीं थे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जनरल आय्यूब खां द्वारा कही गई बातों का जो उद्धरण दिया गया है उसके लिए हमारी सरकार किस प्रकार जिम्मेदार है यह मेरी समझ में नहीं आता। जिस व्यक्ति ने यह लेख लिखा है वह बात चीत के दौरान में उपस्थित भी नहीं था और प्रधान मंत्री का कहना है कि लेख की ७५ प्रतिशत बातें गलत हैं इसलिए मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : श्री करमरकर के ओर से मैं २ सितम्बर १९५९ को सभा पटल पर रखे गये अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान सस्था के वर्ष १९५८–५९ के वार्षिक प्रतिवेदन के शुद्धिपत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१६३०/५९)

राजस्थान में खाद्यान्नों का आयात तथा वहां से निर्यात

†**श्री अ० म० थामस** : मैं रेल तथा नदी द्वारा राजस्थान में मुख्य खाद्यान्नों के आयात तथा वहां से निर्यात दिखाने वाले विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१६३१।५९)

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : श्रीमान, मैं आठवें सत्र में हुई सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की (चौदहवीं तथा पन्द्रहवी) बठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखाता हूं।

---

†मूल अंग्रजी में

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि त्रावणकोर-कोचीन मोटरगाड़ियां कराधान (संशोधन तथा मान्यीकरण) विधेयक के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं चालू सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा ३१ अगस्त १९५९ को लोक सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

१. विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५९
२. विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५९
३. विनियोग (संख्या ६) विधेयक, १९५९
४. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, १९५९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

सुरक्षा परिषद् में पाकिस्तान द्वारा शिकायत

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नविषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हू कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे:—

> "भारत के उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार को जम्मू और काश्मीर राज्य तक बढ़ाने के विशार के बारे में पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में किया गया कथित विरोध"

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान द्वारा समय समय पर की जाने वाली शिकायतों के बारे में मैं क्या कहूं। सभा अच्छी तरह जानती है कि इन विरोधी में कोई सार नहीं है और नहीं इनका कोई आधार होता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमने सयुक्त राष्ट्र संघ को स्पष्टत: बता दिया है कि संविधान की सर्वोपरिता को बनाये रखा जायेगा तथा किसी भी विदेशी सत्ता का हस्तक्षेप सहा ना जायेगा।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : संयुक्त राष्ट्र संघ को कई बार इसके बारे में बताया जा चुका है। पाकिस्तान ने बार बार ऐसी आपत्ति की हैं। कई वर्षों से ऐसा होता आ रहा है।

---

†मूल अंग्रजी में

इसमें कोई नई बात नहीं है और हम इसको कोई महत्व नहीं देते हैं। हम ठीक समझते हैं वैसा करते हैं।

सी हाक जैट विमानों की खरीददारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री उमाचरण पटनायक की भी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की एक सूचना है। नियम १९७(३) के अनुसार इस प्रकार की सूचना एक दिन में एक ही रखी जा सकती है। परन्तु आज क्योंकि सत्र का अन्तिम दिन है इसलिए दूसरी सूचना को भी लिया जा रहा है। निदेश संख्या ४७क के अनुसार इससे सम्बन्धित वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

†**श्री उ० चं० पटनायक** (गंजम) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाता हू और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:—

"ब्रिटेन के हाकर सिडले ग्रुप से सी हाक जेट लड़ाकू विमानों के दो स्क्वैड्रनों की कथित खरीद।"

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : मैं ब्रिटेन के हाकर सिडले ग्रुप से सी हाक जट लड़ाकू विमानों के दो स्क्वैड्रनों की कथित खरीद के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

भाखड़ा बांध के बारे में वक्तव्य

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : श्रीमान, सभा को यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि नंगल से टेलीफोन के द्वारा मुझे संदेश मिला है कि आज प्रातः सवा आठ बजे केबिल गैलरी में एक फाटक सफलतापूर्वक नीचे उतार दिया गया है। केबिल गैलरी से होकर अब बिजलीघर में पानी आना लगभग बिल्कुल बन्द हो गया है। पहले बनाई गई दो नालियों से पानी के बहाव को स्पिलवे की ओर मोड़ दिया गया है। ऐसा बताया गया है कि बिजली घर में पानी की सतह जनेरेटर के फर्श से नीची है। केबल गैलरी की दीवार में बनाये गये दो छोटे से आने वाला पानी नदी में गिर रहा है।

परियोजना अधिकारी अब बिजली घर में यन्त्रों को लगाने का काम और साथ ही मशीनों आदि को निकालने का काम भी कर सकते हैं।

भारत-चीन सम्बन्धों पर श्वेत-पत्र के बारे में प्रस्ताव

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि उस श्वेत-पत्र पर, जिसमें १९५४—५९ में भारत सरकार और चीन सरकार के बीच हुए करार तथा दोनों सरकारों द्वारा आदान-प्रदान किये गये नोट, ज्ञापन तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

पत्र दिये हुए हैं, जो ७ सितम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखा गया था और उसके सिलसिले में १० सितम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये और दस्तावेज़ों पर विचार किया जाये ।"

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए मैं प्रधान मंत्री को उनकी दृढ़ता और धैर्य के लिए बधाई देता हूं, जिनका उन्होंने इस वार्ता में प्रदर्शन किया है । यदि सभा को समय समय पर इस गतिविधि के सम्बन्ध में सूचना दे दी जाती तो अधिक अच्छा होता । अब जो यह श्वेतपत्र है उपस्थित किया गया है वह हमें आश्चर्य में डाल देता है ।

इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चीनी लोग गत दो वर्षों से काश्मीर के एक भाग पर कब्जा किए हुए हैं । उन्होंने अपने राजपथ और सैनिक संस्थापन निर्मित किए हैं जहां से भारत विरोधी कार्यवाही की जा रही है ।

चीन के साथ हमारे संबंध सदा से अच्छे रहे हैं । इतिहास में पहली बार गत महीने की २५ और २६ तारीखों को दोनों देशों के बीच गोलियां चली । इसका कारण चीन में साम्यवादियों का सत्ता ग्रहण करना ही है । मैं समझता हूं कि चीन पंचशील के सिद्धान्तों में विश्वास नहीं करता है जिनका उल्लेख प्रत्येक पत्र के अन्त में किया गया है । यद्यपि चीनी प्रधान मंत्री ने बांडुंग सम्मेलन में पंचशील के सिद्धान्तों का समर्थन किया था परन्तु भारत के साथ संबंधों में उन सिद्धान्तों को तिलांजलि दे दी गई है ।

भारत और चीनी गणतंत्र के बीच पहला करार १९५४ में हुआ था । उसमें अनेक बातों का उल्लेख था परन्तु हमारे सामान्य सीमान्त की व्याख्या नहीं की गई थी । भारत सरकार को इसके लिए यथाशीघ्र प्रयत्न करना चाहिए था । सीमारेखा की व्याख्या न होना हमारी सरकार की अदूरदर्शिता का प्रतीक है ।

अभी तक तो हमारा उत्तरी सीमान्त हिमालय के कारण सुरक्षित रहा आया है । परन्तु जब से तिब्बत में चीनी शासन आया है तबसे हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो गया है । चीन ने इस प्रकार के नक्शे प्रकाशित किए हैं जिनमें नेफा, बड़ाहोती तथा लद्दाख, सिक्किम और भूटान के बहुत से क्षेत्रों पर दावा किया गया है । पहले तो चीन ने यह बहाना किया कि ये नक्शे राष्ट्रवादी चीन के समय के बने हुए हैं परन्तु अब श्री चाऊ एन लाई ने साफ साफ कह दिया है कि ये नक्शे हमारी परम्परागत वास्तविक स्थिति के द्योतक हैं । इससे स्पष्ट है कि चीन सामाज्यवादी नीति अपना रहा है ।

जहां तक बड़ाहोती अथवा वू जे का संबंध है, पत्र-व्यवहार से ऐसा ज्ञात होता है कि चीनी अधिकारियों को उसकी स्थिति का ठीक पता नहीं है । वहां के एक अधिकारी श्री कांग ने उसे तुनजुन ला दर्रे के १२ मील उत्तर में बताया था । जब हमने इस गलती का संकेत किया तो चीनी विदेश कार्यालय ने उसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि श्री चांग को उसकी भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं था । परन्तु फिर भी उन्होंने उसे चीनी राज्यक्षेत्र में बताया । वास्तव में बड़ाहोती अथवा वू ज तुन जुन ला दर्रे के दक्षिण में है और भारतीय प्रदेश में आता है तथा हमारी सेना हमेशा से वहां तैनात होती आई है । अभी तक चीन की ओर से कुछ नहीं कहा गया था । अब पहली बार यह कहा जा रहा है कि वू ज चीनी राज्यक्षेत्र में है ।

फिर लद्दाख को ले लीजिए । १९४२ की शांति संधि के अनुसार वह हमारे राज्यक्षेत्र में आता है । चीन सरकार द्वारा १८४७ में प्रकाशित नक्शों में उसे भारत का अंग ही समझा गया

है । परन्तु अब नया चीन उसे अपने राज्य क्षेत्र में बताता है और १९४२ की संधि को इस आधार पर मानने से इन्कार करता है कि उसमें चीनी सरकार का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था ।

जहां तक मैकमहोन लाइन का संबंध है, जब श्री चाऊ एन लाई १९५६ में भारत आए थे तो उन्होंने उसे भारत-चीन सीमा रेखा स्वीकार किया था । परन्तु अब अपने नवीनतम पत्र में उन्होंने उसे अस्वीकार किया है । यह लाइन हिमालय के निकट से गुजरती है और प्राकृतिक विभाजन रेखा है । हमारे प्रधान मंत्री ने उसे परम्परागत विभाजन रेखा कहा है और उसी पर दृढ़ रहने का निश्चय प्रकट किया है । परन्तु आश्चर्य है कि जो श्री चाऊ एन लाई ने उसे ब्रिटेन की साम्राज्य वादी नीति की उपज कहकर ९०,००० वर्ग किलोमीटर राज्यक्षेत्र का दावा किया है ।

जहां तक नेफा का संबंध है, वह भारत का अनिवार्य अंग है । इस सभा में भी वहां के प्रतिनिधि उपस्थित हैं । अभी तक चीन इस बात को मानता आया है । परन्तु हाल में उसने कुछ सीमान्त चौकियों पर जबर्दस्ती कब्जा करके अपनी अतिक्रमणात्मक प्रवृत्ति का परिचय दिया है । इसी प्रकार सिक्किम और भूटान की स्थिति भी है ।

मेरा निवेदन है कि चीन की इस प्रकार की कार्यवाहियां और उक्तियां उसकी बदनीयती की द्योतक हैं । १० मई, १९५९ को चीनी राजदूत ने हमारे विदेश मंत्रालय को जो वक्तव्य दिया था वह बहुत अशिष्ट है । मैं चाहता हूं कि चीन के साथ बातचीत आगे चलाने के पहले वह वक्तव्य चीनी अधिकारियों द्वारा वापस लिया जाना चाहिए । यही नहीं चीन को हमारी भूमि से अपनी सेनायें भी एक निश्चित तारीख तक हटा लेनी चाहिए । तभी बातचीत का कोई लाभ हो सकेगा अन्यथा नहीं । पाकिस्तान के संबंध में भी हमारी यही नीति रही है ।

यह ठीक है कि हमारे वीर सैनिक सीमान्तों की रक्षा कर रहे हैं परन्तु इस समय, जब कि हमारी प्रभुत्वशक्ति खतरे में है, यह आवश्यक है कि प्रतिरक्षा का विषय प्रधान मंत्री स्वयं अपने हाथ में रखें । अंत में मेरा यही निवेदन है कि हमें चीन को स्पष्ट बता देना चाहिए कि हम उसके आक्रमण को कभी सहन नहीं करेंगे । हमें कमजोर नीति छोड़कर दृढ़ नीति अपनानी चाहिए । मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक देशभक्त सरकार का साथ देगा । हमारे प्रधान मंत्री ने सदा मध्यस्थता का कार्य किया है । मुझे आशा है कि वह इस समस्या को भी बातचीत द्वारा हल कर लेंगे ताकि भारत-चीन मैत्री कायम रहे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलद्रुग) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : मैं अपन स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २ और ३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नलदुर्गकर** : (उस्मानाबाद) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :—

"कि यह सभा उस श्वेत पत्र पर, जिसमें १९५४–५९ में भारत सरकार और चीन सरकार के बीच हुए करार तथा दोनों सरकारों द्वारा आदान प्रदान किय गये नोट,

---

†मूल अंग्रेजी में

ज्ञापन तथा पत्र दिये हुए हैं, जो ७ सितम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखा गया था और उसके सिलसिले में १० सितम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये और दस्तावेज़ों पर विचार करने के पश्चात् भारत और चीन की सरकारों के बीच विद्यमान सीमा सम्बन्धी समस्या के बारे में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति से सहमति प्रगट करती है और इस समस्या के संबंध में उसके दृष्टिकोण का और उसके द्वारा अपनाये गये रुख का समर्थन करती है।"

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं :

†**श्री यादव** (बाराबंकी) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री लीलाधर कटकी** (नौगांव) : मैं अपना स्थानापत्र प्रस्ताव संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : स्थानापन्न प्रस्ताव और मूल प्रस्ताव दोनों सभा के समक्ष हैं।

†**आचार्य कृपलानी** (सीतामढ़ी) : तिब्बत के सम्बन्ध में हमारी सरकार की जो नीति रही है और तिब्बत में समय-समय पर जो कुछ होता रहा है उसके बारे में मैं समय-समय पर अपने विचार व्यक्त करता आया हूं। १९५० में तिब्बत की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था। १९५४ में जब भारत-चीन समझौता हुआ, उस समय भी मैंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था।

उस दिन राज्य सभा में प्रधान मंत्री ने कहा था कि चीन में जो क्रांति हुई है, उस का हमें ध्यान रखना चाहिये। मैं प्रधान मंत्री की बात से सहमत हूं। पर मेरा कहना है कि अन्य देशों के साथ ही हमने भी यह गलती की है कि चीन के क्रांति सम्बन्धी इतिहास का ध्यान हमने भी नहीं रखा है। चीन में एकाधिकारवादी सरकार है। एकाधिकार वादी सरकार में तर्क नहीं सत्ता चलती है। वहां या तो एक अधिनायक शासन करता है या कुछ महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ। ऐसे राज्य की नीति हमेशा विस्तारवादी होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि देश के भीतर चाहे कितनी बड़ी क्रांति हो जाये, पर विदेशी नीति (विस्तारवादी नीति) में कोई अन्तर नहीं पड़ता। इस सम्बन्ध में फ्रांस, जर्मनी, इटली, और रूस के उदाहरण हैं। अतः आप देखेंगे कि चीन अभी भी वही पुरानी विस्तारवादी नीति का पालन कर रहा है।

संसार के अन्य देशों ने जब चीन से होने वाले खतरों की चर्चा की तो हमने उस बात का हमेशा हलके ढंग से टाल दिया। हमने उनसे खतरे को नहीं माना। उसी का नतीजा है कि आज हमें चीन ने अपनी नीति का मजा चखाया है। चीन देश पर अच्छी तरह साम्राज्य जमाने के बाद वहां की साम्राज्यवादी सरकार ने अपने हाथ पैर फेलाना शुरू किया। हम तिब्बत पर चीन का अधिपत्य मानते थे। पर चीन ने सारे तिब्बत को अपने नियंत्रण में करने की नीति अपनाई।

जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया तो भारत ने उसका विरोध किया। उस समय चीन ने कहा कि भारत पाश्चात्य देशों का पिट्ठू है इसीलिये वह हमारा (चीन का) विरोध कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री ने इसको शीतयुद्ध की भाषा कहा पर वास्तव में यह बड़ी कड़ी व अभद्र बात थी। मैं देखता हूं कि भारत शुरू से ही चीन के हथकंडों का शिकार होता आया है।

कुछ व्यक्तियों ने यह भी पूछा है कि ऐसी स्थिति में भारत क्या करता। हमें तिब्बत पर चीन का अधिकार स्वीकार नहीं करना चाहिये था। यह हमारा नैतिक कर्तव्य था। हमारे प्रधान मंत्री का कहना है कि हम हमेशा न्याय का पक्ष लेंगे।

कुछ वर्ष पूर्व चीन ने च्यांग काई शेक के द्वीपों पर आक्रमण किया था पर इसमें विश्वयुद्ध होने का भय था और चीन ६० करोड़ की जनसंख्या के साथ भी विश्वयुद्ध के लिये तैयार नहीं था। अतः चीन ने अपनी दिशा बदल दी और अब वह भारतीय सीमा पर आक्रमण कर रहा है।

१९५४ में चीन के साथ हमारा एक करार हुआ था। हमने तिब्बत पर चीन का अधिराज्य ही नहीं बल्कि चीन की प्रभुता भी स्वीकार कर ली थी क्योंकि हम चाहते थे कि चीन और भारत की सीमा निर्धारित हो जाये। पर उस समय भी कुछ पक्का निश्चय न हो सका। १९५६ में फिर सीमा-निर्धारण की बात उठाई गई, फिर भी कुछ निश्चित न हो सका। सारा मामला खटाई में पड़ा रहा। हमारे प्रधान मंत्री एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हैं उन्हें कम-से-कम चाहिये था कि जो बातें उस समय तय हुई थीं, उन्हें लिखित रूप में रखा जाये। आज शब्दों का गलत मतलब लगाया जाता है, अतः सब बातें लिखित रूप में रखना आवश्यक व बुद्धिमानीपूर्ण होता है। राज्य सभा में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि दलाई लामा को शरण देने के बाद चीन हमसे अधिक नाराज हो गया है। हो सकता है कि यह बात ठीक हो। पर इस मामले में चीन रूस से भी आगे निकल गया। हंगरी के लोगों को शरण देने वाले देशों पर रूस ने कभी आक्रमण नहीं किया। पर चीन ने दलाई लामा को शरण देने पर भारत के प्रति आक्रमण रुख अख्तियार कर लिया है। १९५४ में भारत और चीन के साथ जो समझौता हुआ था उसमें हमने चीन की प्रभुता तिब्बत पर स्वीकार कर ली थी। यह समझौता पंचशील के आधार पर था। इस समझौते के बाद ३ महीन भी नहीं हुये थे कि चीन ने सीमा पर आक्रमण शुरू कर दिये। चीन ने हमारी सीमा पर लोगों को मारा पीटा, सीमा पर कब्जा कर लिया, सड़कें बनवा लीं। चौकियां स्थापित कर लीं और यहां तक सुना गया कि लद्दाख में उन्होंने एक हवाई अड्डा भी बना लिया है।

चीन ने जो कुछ किया है उस पर मुझे बहुत क्षोभ है पर उससे भी अधिक क्षोभ इस बात से है कि हमारी सरकार अभी तक क्या करती रही है। आपको मालूम होना चाहिये कि चीनो हमले हमारी सीमा पर काफी समय से होते आ रहे हैं। उनके बारे में दोनों सरकारों के बीच पत्र व्यवहार भी चलता रहा है। पर, हमारी सरकार ने संसद को कभी भी इन बातों से अवगत नहीं कराया। सरकार ने हमेशा संसद से इन बातों को छिपाया है। लद्दाख में चीन द्वारा बनाई गई सड़क के सम्बन्ध में जब सभा से प्रश्न पूछा गया था, तो हमें बताया गया था कि रास्ता साफ करने के लिये पत्थर वगैरह रख लिये गये हैं। पर अब हमें बताया गया है कि वह सड़क पक्की है और उस पर मोटर गाड़ी चल सकती है। हवाई अड्डे की बात हमें कभी भी नहीं बताई गई। हवाई अड्डे के सम्बन्ध में पूछे जाने पर सरकार ने जवाब दिया था कि वह जगह ऐसी है जहां न कोई रह सकता है न कुछ पैदा हो सकता है। ठीक है, तो भी क्या हम उसे छोड़ देंगे? यदि वह जगह बेकार है, तो चीन उस पर क्यों कब्जा करना चाहता है? अतः यह बात किसी बेकार पड़े भूमि खण्ड की नहीं है बल्कि देश की अखण्डता की है और देश की रक्षा की है।

उधर चीन हमारी सीमा पर आक्रमण कर रहा है और हम चीनी-हिन्दी भाई भाई का नारा बुलन्द कर रहे हैं। आखिर कब तक हम इसी तरह दबे रहेंगे। हमें दब कर नहीं स्पष्ट रूप से अपनी बात कहनी चाहिये।

[आचार्य कृपालानी]

हम जानते हैं कि भारत और चीन का युद्ध एक विश्वयुद्ध का रूप धारण कर लेगा ! फिर भी दूसरों को खुश करने की नीति का हम कब तक अनुसरण करेंगे । यूरोप में १९३९ में दूसरों को खुश करने की नीति भी युद्ध को रोक नहीं सकी ।

ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस मामले में क्या करने जा रही है, हमें चाहिये कि हम पहले वह क्षेत्र जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया है, उसे पुनः प्राप्त कर लें । प्रधान मंत्री ने मध्यस्थ निर्णय की बात कही है । मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र देश की जनता की सम्पत्ति है, उसके सम्बन्ध में मध्यस्थ निर्णय की कोई आवश्यकता ही नहीं है । फिर, चीन रूस को छोड़ कर अन्य किसी देश को मध्यस्थ मानने को शायद तैयार भी नहीं होगा ।

राज्य सभा में श्री कुंजरू के प्रश्न का उत्तर देते हुये, प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमारी विदेश नीति दृढ़ है और इसी तरह दृढ़ रहेगी । ठीक है, पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारे प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा था कि यदि अन्याय होगा , तो हम तटस्थ नहीं बैठे रहेंगे । पर तिब्बत के मामले में हमारी सरकार ने इस कथन को व्यवहारिक रूप नहीं दिया । आपको ध्यान रखना चाहिये कि आदर्श तथा वास्तविक व्यवहार में बहुत अन्तर होता है । दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते । युद्ध के महत्व की दृष्टि से हमारी विदेश नीति बिल्कुल असफल रही है ।

अन्त में, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह दृढ़ निश्चय करके कुछ कार्यवाही करे । अस्पष्ट व भिन्न-भिन्न वक्तव्य देने से जनता में गलतफहमी पैदा हो रही है । माननीय प्रधान मंत्री ने जनता से अपील की है कि वह संयम से काम ले । ठीक है । पर सरकार को कुछ कार्यवाही तो करनी चाहिये । मैं प्रधान मंत्री को आश्वासन देता हूं कि विदेशी आक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही करने में देश का एक-एक व्यक्ति उनके साथ है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : चीन हमारा एक पुराना मित्र रहा है और प्रधान मंत्री के नतृत्व में चीन के साथ हमारे सम्बन्ध और भी अच्छ हो गये थे । एक ओर हम मित्रता बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं दूसरी ओर चीन हमारी सीमा पर आक्रमण कर रहा है। चीन के प्रधान मंत्री के पत्र में कहा गया है कि तिब्बत की सरकार चाहती है कि सीमावर्ती क्षेत्र, जिन पर भारत ने कब्जा कर लिया है, , भारत उसे वापस लौटा दे । ऐसा है, तो भारत स्पष्ट शब्दों में चीन सरकार को क्यों नहीं लिख देता कि इस मामले को हम तिब्बत के साथ बातचीत करके तय कर लेंगे ।

चीन ने हमारे लद्दाख के क्षेत्र में सड़कें बना ली हैं । उन्होंने एक हवाई अड्डा भी बना लिया है और हमारे प्रतिरक्षा मंत्रालय को इसका पता तक नहीं है । उन्होंने कई हजार वर्ग मील का क्षेत्र अपने कब्ज में कर लिया है । वह सारे लद्दाख को अपने अधीन कर लेना चाहते हैं ।

बड़ाहोती का भी प्रश्न है । अब चीनी सरकार नेफा क्षेत्र को भी अपना बता रही है । बड़ाहोती को हम हमेशा से अपना क्षेत्र बताते आये हैं । इस सम्बन्ध में बार-बार अपनी बात बदलना अच्छा नहीं होता । श्वेतपत्र में यह भी कहा गया है कि बड़ाहोती से फौजें हटाने का प्रस्ताव हमारा ही था । शीघ्र ही चीन ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और अब हमारी सेनायें वहां से हट गई हैं ।

२८ अगस्त को हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि चीनियों ने लोंगजू पर कब्जा कर लिया है । मेरा निवदन है कि चीनी क्षेत्र में यह स्थान नहीं है और यदि चीनी सेनाओं ने इस क्षेत्र पर कब्जा

---

†मूल अंग्रेजी में

कर लिया है, तो हमें चाहिये कि हम बल का प्रयोग करके उन्हें वहां से बाहर निकाल दें। मेरा सुझाव है कि उस क्षेत्र को बम से उड़ा दिया जाये और चीनियों के हाथ से उस स्थान को छुड़ा लिया जाये।

बम्बई में हुये प्रदर्शन की मैं भी निन्दा करता हूं। श्री माउसेतुंग के अपमान की जो घटना हुई है, वह बुरी है। श्री माउसेतुंग एक सम्मानित नेता हैं। उनके फोटो का अपमान करना बुरी बात है। पर घटना के सम्बन्ध में चीन सरकार का पत्र जो है, उसमें जो बात कही गई है वह बहुत ही कठोर है। वह शान्ति की भाषा नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन की जनता इसे कभी बरदास्त नहीं करेगी। मैं भी इस सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूं कि चीन के आक्रमण को भारत की जनता भी कदापि बरदास्त नहीं करेगी।

कुछ लोगों ने कहा कि दलाई लामा को शरण देने के बाद चीन का रवैया बड़ा कड़ा हो गया और यह सब उसी की प्रतिक्रिया है। पर मैं यह सब नहीं मान सकता क्योंकि दलाई लामा को शरण देने के बहुत पहले ही चीन ने लद्दाख की कई हजार वर्गमील भूमि पर कब्जा कर लिया था।

भूटान का भी सवाल है। मैं समझता हूं कि अभी हमारी सरकार को यह भी पता नहीं है कि किन-किन भागों पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है। मेरा निवेदन है कि हमारे प्रतिरक्षा विभाग को चाहिये कि वह उन सभी स्थानों को अपने कब्जे में पुनः ले ले जिन पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है। मुझे खेद है कि अभी तक हमारी सेनाओं ने अपने क्षेत्रों को अपने कब्जे में वापस नहीं लिया है।

भूटान और सिक्किम के सम्बन्ध में श्वेतपत्र में कहा गया है कि उनके कुछ भागों पर चीन ने कब्जा कर लिया है। कुछ भूटानियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको उनके राज्य क्षेत्र में नहीं जाने दिया गया है। श्री चाऊ एन लाई पंचशील के समर्थक थे और आज उन्होंने उसी पंचशील का बुरी तरह से उल्लंघन किया है। अतः हमारे लिये आवश्यक है कि हम अपनी स्थिति को मजबूत और पक्की करें वर्ना भूटान, सिक्किम और नेपाल के लोग हमारे बारे में हमारी नीति के बारे में क्या धारणा बनायेंगे। मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह ध्यान रखें कि हमारे हितों को कोई ठेस न पहुंचने पावे। मैं चाहता हूं कि हमारी सारी नीति का पुनरीक्षण किया जाये।

†**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर–मध्य) : हमारे सामने इस समय बड़ी गम्भीर समस्या उपस्थित है। इसलिये हमें इसे हल करने का प्रयत्न करना चाहिये और युद्ध का वातावरण नहीं बनाना चाहिये। कुछ लोगों का यह विचार है कि भारत को चीन को अच्छी तरह से पाठ पढाना चाहिये और डट कर उसका मुकाबला करना चाहिये। उनके सामने यह समस्या है कि साम्यवादी चीन की सीमायें, हमारी सीमाओं से आ मिली हैं। इसलिये कुछ लोग यह चाहते हैं कि तिब्बत को पुनः आजाद कराया जाय ताकि चीन और भारत के बीच में तिब्बत का मध्यस्थ राज्य रहे। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहियें क्योंकि पहले अमरीकी भी चीन से टक्कर ले चुके हैं। किन्तु हमारी समस्या अलग है। चीन हमारा साथी और मित्र देश है। हम इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री की नीति के समर्थक हैं। हमें युद्ध के राग नहीं अलापने चाहियें, बल्कि अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुये कोई तरीका निकालना चाहिये। चीन के पत्र के पश्चात् .....

†**आचार्य कृपलानी** : उस गाली गलौच से भरे पत्र के बाद।

---

†मूल अंग्रेजी में

[आचार्य कृपालानी]

श्री चाऊ एन लाई ने भारत को ८ सितम्बर को पत्र लिखा । यदि वे पहले ही पत्र लिख देते तो यह तनाव न बढ़ता । परन्तु दोनों पक्ष उस समय तिब्बत की समस्या में लगे हुये थे अतः पत्र न लिखा जा सका ।

यदि हम इस समस्या के वास्तविक कारण की खोज करें तो हमें मालूम होगा कि हमारे दोनों देशों के राजनैतिक सम्बन्धों में तनिक तनाव आ चुका था । तिब्बत की घटनाओं ने चीनियों को क्रुध कर दिया । झगड़े का कारण केवल मानचित्र अथवा सीमा में ही नहीं है । पहले सीमाओं का निर्धारण कर लो फिर दूसरे प्रश्नों पर भी शान्त वातावरण में बातचीत हो सकती है ।

सीमाओं के बारे में अब यह स्थिति है कि भारत की ओर से मैकमोहन लाइन सीमा मानी गई थी किन्तु चीनी कहते हैं कि उन्होंने मैकमोहन लाइन को अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया । किन्तु फिर भी समझौता तो हो ही सकता है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : आपके दल के लोगों का इस लाइन के बारे में क्या विचार है । क्या आप भारतीय नहीं हैं ?

†**श्री श्री० अ० डांगे :** यदि आप इस प्रकार मेरा अपमान करेंगे तो मैं आपको भी कुछ कहूंगा ।

†**श्री सुरेंद्र नाथ द्विवेदी :** आपने कहा कि भारत ने मैक्मोहन लाइन को माना इस पर मैंने कहा कि क्या आप भारतीय नहीं हैं ?

†**श्री श्री० अ० डांगे :** मैकमोहन लाइन के बारे में, मेरे विचार स्पष्ट हैं । वह देश की सीमा का प्रश्न है । दलबन्दी का प्रश्न नहीं है । किन्तु हमारे प्रधान मंत्री स्वयं कहते हैं कि वह सीमा पूर्णतः निर्धारित नहीं है । अतः साधारण झगड़े उठ सकते हैं ।

चीन ने अपने पत्र में भी यही कहा है कि इन झगड़ों का हल पारस्परिक वार्तालाप से किया जाना चाहिये । किन्तु युद्ध का वातावरण हमें पैदा नहीं करना चाहिये । चीन की सरकार यथार्थ-वादी है । वह साझौते से भी इस समस्या का हल करने को तैयार है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** लद्दाख की सड़क कब बनाई गई थी ?

†**श्री श्री० अ० डांगे :** यह मार्गों का प्रश्न है । राजनीति तो इसके बाद को आयी है । अतः यह एक मूलभूत समस्या है । प्रधान मंत्री के वक्तव्य के पश्चात् पारस्परिक समझौते के लिये गुंजाइश थी । युद्ध का वातावरण पैदा करने से क्या लाभ ?

†**आचार्य कृपलानी :** युद्ध का वातावरण किसने पैदा किया ?

†**श्री श्री० अ० डांगे :** दोनों देश मित्र हैं । इस प्रकार की बातों से कोई लाभ नहीं है । आप लोगों को इन सरल प्रश्नों में राजनीति के प्रश्नों का सम्मिश्रण नहीं करना चाहिये । ये समस्यायें अलग हैं । यह ठीक है कि भारत जिसे चाहे शरण दे सकता है किन्तु यह बात तो अनुचित है कि शरणागत एक शासक की भांति आचरण करे और इस देश में बैठ कर संयुक्त राष्ट्र संघ को आवेदन करे ताकि तिब्बत को स्वतंत्र कराया जायें । उस महानुभाव को ये बातें भारत में बैठ कर नहीं करनी चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या हम यह सहन कर सकते हैं कि कुछ लोग हमारे धन से पलें और हमारे पड़ोसी के विरुद्ध षड़यन्त्र करें। मान लो उसकी प्रार्थना को राष्ट्र संघ स्वीकार कर लेता है तो सेनाओं को किस मार्ग से भेजा जायेगा--भारतीय मार्गों से ही तो। तब हमारी तटस्थता कहां जायेगी? स्वतंत्र होने के नाते हमें ऐसे प्रकार को कभी अनुमति नहीं देनी चाहिये। इस प्रकार की बातों से हम खुद उलझते हैं।

प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि उन्होंने उस महानुभाव को यह परामर्श दिया था कि वह राष्ट्र-संघ में आवेदन न करे किन्तु उस भद्र पुरुष ने दूसरों का परामर्श मान लिया।

वस्तुतः कुछ लोग पंचशील को समाप्त करना चाहते हैं अतः हमें संभल कर चलना चाहिये। यदि हम पर आक्रमण होगा तो हम लड़ेंगे। हम आक्रमण करने वालों के विरोधी हैं; परन्तु हमारा दृढ़ विश्वास है कि साम्यवादी चीन भारत पर पंचशील के कारण कभी आक्रमण नहीं करेगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : आप चीन की तरफ से किस तरह बोल सकते हैं?

†**श्री श्री० अ० डांगे** : इन बातों से स्पष्ट है कि ये लोग साम्यवादी दल को ही दबाना चाहते हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : यह अपनी मौत आप ही मर जायेगा।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : हमने अब तक धोखा दिया है और देते रहेंगे। शायद ये लोग साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। मैं पूछता हूं कि लोग हमसे डरते क्यों हैं। वस्तुतः ये लोग यहां से पंचशील को जड़े उखाड़ देना चाहते हैं और फिर सैनिक शासन लाना चाहते हैं। प्रजा सोशलिस्ट दल यही चाहता है कि यहां सैनिक शासन हो जाय। उसके पास कुछ जरनैल हैं यह भी सुना गया है। हमारा दल देश की एकता का इच्छुक है।

हम यही चाहते हैं कि पंचशील कायम रहे हमें सारा झगड़ा शांति से तै करना चाहिये। गलतियां दोनों पक्षों ने की हैं।

†**श्री राधे लाल व्यास** (उज्जैन) : हमारी गलती बताइये।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : दलाई लामा की समस्या से उलझना हमारी गलती थी। हम आक्रमण का विरोध करते हैं परन्तु हमें युद्ध की बातें नहीं करनी चाहियें।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत और चीन के सम्बन्धों के बारे में आज इस वाद विवाद में भाग लेते समय मेरे हृदय में दो प्रकार की भावनायें उठ रही हैं। पहली भावना चिन्ता की है जो कि स्वाभाविक है। कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता श्री डांगे जी के भाषण और उनके आश्वासन के बावजूद भी मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि पिछले अनेक वर्षों के अन्दर भारत सरकार ने चीन की जनवादी सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिये जो प्रयत्न किया और जिसके कारण उसे अपने बहुत से मित्रों की नाराजगी भी मोल लेनी पड़ी, उसके बाद भी हमारी उत्तरी सीमा पर युद्ध के जो बादल मंडरा रहे हैं उनसे भारत के प्रत्येक नागरिक को चिन्तित होना स्वाभाविक है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे हृदय में कुछ थोड़ी सी सन्तोष की भावना भी है।

मैं उन सदस्यों में से एक हूं जो पिछले अनेक वर्षों से इस सदन में सरकार का ध्यान देश की उत्तरी सीमा की ओर दिलाने का प्रयत्न करते रहे हैं। जब जब संसद में इस विषय पर कोई

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भक्त दर्शन]

बातचीत आई है, मुझे इस बात से बड़ा खेद होता था कि हम उत्तरी सीमा के महत्व को अभी तक कुछ भी नहीं समझते थे। बल्कि अवसर लोग मजाक उड़ाया करते थे। मैंने सन् १९५२ में प्रतिरक्षा मंत्रालय के बजट पर बोलते हुये कहा था कि हिमालय की ऊंची दीवारें अब हमारी रक्षा करने में असमर्थ हैं। हम इस भरोसे न रहें कि हमें उत्तर की ओर से किसी आक्रमण की आशंका नहीं है। लेकिन उस समय इस बात को हंसी में टाल दिया गया था। पर आज मुझे सन्तोष है, और जैसा कि उर्दू की कहावत है : देर आयद दुरुस्त आयद, अर्थात् चाहे देर में ही सही फिर भी रास्ते पर तो आ गये। सुबह का भूला भटका शाम तक घर लौट आये तो उसे भूला हुआ नहीं समझना चाहिये। लेकिन मुझे संदेह है कि कहीं हिन्दी की यह कहावत चरितार्थ न हो जाये कि "आग लगे खोदे कुआं, कैसे आग बुझाय।" हमने आग बुझाने का इन्तजाम तो किया नहीं और जब घर पर आग लग गई तब हम कुआं खोदने जा रहे हैं। पहले कुआं खोदेंगे फिर पानी निकलेगा फिर हम आग बुझायेंगे, तब तक शायद घर ही स्वाहा हो जाय।

श्रीमान, अब तक के वाद विवाद में भारत की उत्तरी सीमा के सम्बन्ध में पूर्व की मैकमोहन रेखा से लेकर पश्चिम में लद्दाख तक का जो विवरण दिया गया है मैं इस १८०० मील लम्बे उत्तरी सीमान्त के प्रत्येक भाग के बारे में अपने विचार नहीं रखूंगा। स्वभावतया गढ़वाल जिले में बड़ाहोती, टेहरी गढ़वाल में नीतंग, हिमाचल प्रदेश में शिप्की और पंजाब के कांगड़ा जिले में स्पिती, इन चार के बारे में इस श्वेतपत्र में जो बातें कही गई हैं उन में से कुछ की ओर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। ३१ दिसम्बर, १९५३ से २८ अप्रैल, १९५४ तक यानी चार महीने तक लगातार पीकिंग में भारत और चीन के प्रतिनिधियों की बातचीत चलती रही। उसके परिणामस्वरूप तिब्बत के सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध समझौता हुआ। लेकिन उस के बाद ही १७ जुलाई, १९५४ को चीन की सरकार ने हमारे विदेश मंत्रालय को जो पहला पत्र भेजा उस में बड़ाहोती का जिक्र हुआ है। इस बीच में हमें जो श्वेतपत्र दिया गया और उसके बाद भी पत्र-व्यवहार की जो प्रतियां सदन की मेज पर रक्खी गईं उन के अनुसार कुल ६६ पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। इन ६६ पत्रों में से १८ केवल बड़ाहोती के सम्बन्ध में हैं और तीन पत्रों में उस का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसी से इस विषय के महत्व को समझा जा सकता है।

यह बड़ाहोती का मदान हमारे देश की सीमा से लगभग २ मील के अन्दर डेढ़ या दो मील लम्बा चौड़ा मैदान है, वह लगभग १५,००० फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहां कोई आबादी नहीं है, वह लेकिन भारत से चीन में जाने का मार्ग है। व्यापारी लोग जब तिब्बत की तरफ जाते हैं तो वहां कैम्प डालते हैं। इसी तरह तिब्बत के लोग भी जब उस रास्ते से आते हैं तो वहां कैम्प डालते हैं। उसका पनढाल भारत की ओर है।

यह जो झगड़ा पिछले पांच छः साल से चल रहा है, इस के दो कारण मेरी समझ में आये हैं। एक तो यह कि तिब्बत की सीमा के अन्दर जो गांव हैं वहां के लोग अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिये उस इलाके में आया करते थे। चूंकि उस जमाने में कोई प्रबन्ध नहीं था, वे समझते थे कि वह अधिकार क्षेत्र है, और उनकी सीमा के अन्दर है। इसलिये जब चीनियों ने तिब्बत पर अधिकार किया, तब वे तिब्बती गांव वाले चीनी सैनिकों को ले कर आये और उन्हें

अधिकार को स्थापित करना चाहा । दूसरी बात यह है कि एक तिब्बती अधिकारी जिस का नाम सरजी है, एक ट्रेड आफिशल, प्रति वर्ष गर्मियों में भारत के गांवों में उस घाटी के रास्ते आता है और वहां से सन्देश लेकर वापस जाता है कि अब भारतीय व्यापारी हमारे इलाके में आ सकते हैं । लेकिन कुछ दिनों से, शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से ही, यह प्रथा चली आ रही थी कि वह सरजी कुछ दिनों के लिये इस बड़ा होती मैदान में कैम्प किया करता था और जो तिब्बत के लोग भारत की तरफ आते थे उन के पासपोर्टों की जांच पड़ताल किया करता था । उस समय तिब्बत के अधिकारियों की ओर से यह कारण बतलाया गया था कि चूंकि जो तुनजुन ला दर्रे का दूसरी ओर का इलाका है वहां से कई रास्ते कैलाश, मानसरोवर, नाबरा मंडी व दापा मंडी को जाते हैं इसलिये उनके पास कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां उनका अधिकारी रह सके । इसीलिये सुविधा के तौर से उसे बड़ा होती के मैदान में रहने की इजाजत दे दी गई : लेकिन अब होता क्या है ? वह उसको अब अपना ही नहीं बतलाते बल्कि श्वेतपत्र में दिया गया है कि १५ सितम्बर, १९५५ को चीन के कुछ सैनिकों ने उससे भी दस मील नीचे दामजन जा कर उस पर अधिकार कर लिया और जब हमारे सैनिक वापस आ रहे थे तब उन्हें वापस आने से रोका । इसके सिवाय सन् १९५७–५८ की गर्मियों के बाद के मौसम में उन्होंने लायथल और सांगया मल्ला नामक स्थानों पर भी कब्जा करने की कोशिश की यद्यपि यहां पर हमारा चेक पोस्ट पहले से काम करते थे ।

मैं इस बारे में सदन का और अधिक समय नहीं लूंगा पर सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारी नीति यद्यपि चीन की सरकार की नीति से काफी स्पष्ट रही है, फिर भी हमने काफी ढुलमुल ढंग से काम लिया है । जब इस बारे में बातचीत चल रही थी तो हमारी समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार ने चीन की सरकार के साथ यह इकरारनामा क्यों किया, यह वचन क्यों दिया कि हम अपने सैनिकों को वहां नहीं जाने देंगे ? यही नहीं इसे न्यूट्रल जोन करार दिया जायगा जब कि वह हमारे देश का एक भाग था । इस हालत में वह शर्त किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जानी चाहिये थी । इसके सिवा सन् १९५४ से यह मामला चल रहा था लेकिन २० अगस्त, १९५६ को प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह जवाब दिया था :

> "कुछेक सैनिक अनजाने बड़ा होती क्षेत्र में आये । उन्हें वहां से चले जाने को कहा गया और वे चले गये ।"

यानी सन् १९५४ से झगड़ा चल रहा है और १९५६ में कहा जाता है कि शायद वे गलती से आ गये होंगे । जब कि वास्तविकता यह थी कि वह लोग जान बूझ कर और सोच विचार कर वहां आये थे ।

मुझे इस सम्बन्ध में दो सुझाव देने हैं । मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम जाड़ों में वहां पर अपने सैनिकों को नहीं रख सकते हैं । लेकिन मेरा अपना खयाल है कि वहां रहना असम्भव नहीं है । अगर हम १५,००० फीट की ऊंचाई पर अच्छा इन्तजाम कर दें तो सैनिक वहां रह सकते हैं । कम से कम नवम्बर-दिसम्बर के महीनों तक हमारी चैक पोस्ट

[श्री भक्त दर्शन]

वहां अवश्य रहनी चाहिये। पिछले साल, जैसा कि सदन को मालूम होगा, ९ सितम्बर को हमारी चैक पोस्ट वहां से उठा दी गई पर ज्योंही हमारे सैनिक वहां से घाटियों की ओर नीचे उतरे, त्योंही चीन के सैनिकों ने आ कर कब्जा कर लिया। एसी हालत में मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पर चैक पोस्ट को वास्तव में बारहों महीने रखा जाना चाहिये। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो नवम्बर या दिसम्बर तक तो हमारी सेना वहां अवश्य ही रहनी ही चाहिये। दूसरे चोर होती के दर्रे को पार कर, जो कि १८,००० फीट ऊंचा है लोग बड़ा होती तक जाते हैं। इसके लिये मैंने पहले सुझाव दिया था और इस पर बातचीत चल भी रही है। मलारी से एक सीधा रास्ता गिरथी नदी के किनारे-किनारे बड़ा होती तक पहुंचता है। उस मार्ग का तत्काल-निर्माण किया जाना चाहिये वह बारह महीने खुला रहता है, वहां पर आसानी रहेगी।

श्रीमन् यह बातें मैंने केवल एक स्थानीय समस्या के बारे में कही, लेकिन अब हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न आता है कि हम अपने उत्तरी सीमान्त के बारे में कौन से कदम उठायें। हमारी सरकार जो कदम उठा रही है उनका सामान्य रूप से हम समर्थन करते हैं। हमें अपने प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विश्वास है। उनके हाथों में हमारे देस का भाग्य सुरक्षित है। लेकिन प्रत्येक माननीय सदस्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि इस सम्बन्ध में वह कुछ बातें सरकार के कानों तक पहुंचायें। ताकि उन पर गम्भीरता से विचार हो सके।

मेरी सम्मति में सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारे तिब्बती सीमान्त निवासी हैं। उनके अन्दर आत्म विश्वास पैदा हो। यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि भूखे भजन न होय गोपाला। हम असन्तुष्ट सीमान्तवासियों को देशप्रेम का पाठ नहीं पढ़ा सकते और कभी कभी इस असन्तोष के कारण उनके देश प्रेम के प्रति अविश्वास भी पैदा किया जा जा सकता है। इसलिये मैं इस अवसर पर सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं और चेतावनी पूर्ण अनुरोध करना चाहता हूं कि उसको इस बारे में सतर्क रहना चाहिये। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इन सीमान्त प्रदेशों के बारे में पिछले कुछ वर्षों में हमारे माननीय प्रधान मंत्री की कृपा से कुछ कार्य हुआ है लेकिन वह बहुत ही कम हुआ है और वह बहुत ही असन्तोषजनक है।

अभी हाल में खाद्य और कृषि मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बिठाई गई थी जिसका कि नाम "इनएक्सिसेबुल एरियाज कमेटी" अर्थात दुर्गम क्षेत्र समिति था और जिसने कि ऐसे इलाकों के सम्बन्ध में और वहां पर खाद्यान्न के बारे में किस तरह आत्मनिर्भरता लाई जा सकती है, एक अन्तरिम रिपोर्ट दी है। उस कमेटी की सबसे मुख्य सिफारिश यह है कि गवर्नमेंट को यह प्रयत्न करना चाहिये कि यह इलाके इनएक्सिसेबुल न रह जायें। मैं समझता हूं कि अगर वहां सड़कों पर संचार व यातायात के साधनों की समुचित व्यवस्था कर दी जाय तो सीमान्तवासियों का जो सबसे बड़ा कष्ट है वह दूर हो जायेगा। वहां पर गल्ला तथा अन्य आवश्यक सामग्री सस्ते दाम पर पहुंचाई जा सकती है और उनको अन्य आवश्यक सुविधायें भी सुलभ की जा सकती हैं। अतः जो अगली विकास योजना बनने वाली है उसमें सबसे अधिक प्राथमिकता उन इलाकों को खोलने और वहां तक सड़कें बनाने की दी जानी चाहिये।

मैं ने अभी अपने भाषण में मलारी से बड़ा होती दर्रे तक सड़क बनाने का जिक्र किया था उधर भूटान के बारे में चीन के प्रधान मंत्री महोदय ने हमें कुछ आश्वासन भी दिये हैं। अब उनके आश्वासनों की क्या कीमत है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन अभी पिछली बार जब हमारे प्रधान मंत्री भूटान तशरीफ ले गये थे तो सिक्कम से उनको तिब्बत के कुछ इलाके के

अन्दर से गुजरना पड़ा था और हालत यह है कि भूटान जाने के लिये हमारे देश से जो रास्ता है वह तिब्बत होकर है। अब अगर किसी तरीके से स्थिति बिगड़ गई तो भूटान में प्रवेश करना कठिन हो जायेगा। इसलिये भारत सरकार पिछले दो, तीन वर्षों से यह प्रयत्न कर रही है कि आसाम और पश्चिमी बंगाल से हो कर वहां दो सड़कें बनाई जायें। पिछली बार इसी सदन में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से यह उत्तर दिया गया था कि भूटान के लिये यह दो सड़कें तीसरी पंचवर्षीय योजना तक जा कर बन पायेंगी। अब यह तो वही बात हुई जैसी कि मसल मशहूर है कि आग लग गई है और कुंआ खोदा जा रहा है उसी तरह यह कहा जा रहा है कि सड़कें बनाई जा रही हैं और उनको हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में जा कर पूरा करेंगे। क्या इस तरह की शिथिलता हमारे देश के लिये शोभनीय है ; खासकर इस अवसर पर जब कि हमारे ऊपर आफत आई हुई है। इसलिये मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाये और अगर आवश्यक समझा जाये तो मिलिटरी इंजीनियर्स के द्वारा और एम० ई० एस० के द्वारा व फौजी जवानों के द्वारा उन सड़कों का निर्माण करना चाहिये।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहनी है कि पश्चिमी तिब्बत के सम्बन्ध में मुझे अपने बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा बहुत ही चिन्ताजनक समाचार मिले हैं। अभी तक यह खाम्पाओं का विद्रोह पूर्वी और दक्षिणी तिब्बत तक ही सीमित था लेकिन अब वह विद्रोह वहीं तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि वह विद्रोह अब पश्चिमी तिब्बत में भी फैल गया है और वहां पर खाम्पाओं और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष चल रहा है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्रधान मंत्री जी ने बतलाया था कि स्वयं तिब्बत में जो चीनी अधिकारी हैं उन्होंने भारत सरकार को लिखा था कि भारत से कम से कम तीर्थ यात्री कैलाश और मानसरोवर आयें और यहां से लोग वहां पर न जांय, क्योंकि वे उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इससे यह साबित होता है कि वहां पर स्थिति असाधारण है और बड़े पैमाने पर वहां फौजी कार्यवाहियां हो रही हैं।

मुझे अपने सूत्रों के द्वारा जो सूचना मिली है उसके अनुसार वहां कई चीनी सैनिक मारे गये हैं। खाम्पाओं ने बड़ पैमाने पर वहां विद्रोह किया है जिसकी वजह से वहां का व्यापार बिल्कुल ठप्प हो गया है। इस सदन को मालूम होगा कि वहां तिब्बत से जो हमारे भारतीय लोगों का व्यापार होता है वह बार्टर सिस्टम से होता है। लाखों रुपये का सामान पिछले साल वे वहां छोड़ आये थे और लाखों रुपयों का सामान ले कर जो व्यापारी यहां से गये हैं वे वहां हाथ पर हाथ धरे बैठे हुये हैं। ताकलाकोट, ज्ञानिमा, नाबरा, दापा, थोलिंगमठ व गरतोक—ये जो पश्चिमी तिब्बत की मंडियां हैं, उनमें अभी तक कोई व्यापार नहीं हुआ है। तिब्बती लोग आतंक के कारण अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और वहां चीनी अधिकारियों ने यह आदेश दे दिया है कि वहां जो भी चीजें भेजी जायं वह चीनी अधिकारियों द्वारा प्रमाणित दुकानदारों या व्यापारियों को ही दी जांय और इसकी वजह स भारत-तिब्बत व्यापार बिल्कुल ठप्प हो गया है। स्थिति यह है कि कुछ वर्षों से वहां का व्यापार ठप्प सा है और इसलिये हमको तिब्बती व्यापार पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। इसलिये अब शासन के सामने यह समस्या आ गई है कि जो हमारे हजारों और सैकड़ों व्यापारी लोग पश्चिमी तिब्बत या पूर्वी तिब्बत के व्यापार पर निर्भर करते थे, उनके लिये क्या व्यवस्था की जाये ? सरकार को उनके पुनर्वास की समस्या को अपने हाथ में लेना चाहिये और बड़ी गम्भीरता से इस बारे में कदम उठान चाहियें।

तीसरी और अन्तिम बात जो, उपाध्यक्ष महोदय, में सदन के समक्ष निवेदन करना चाहूंगा वह यह है : जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के हाथों में देश के

[श्री भक्त दर्शन]

भाग्य की बागडोर सुरक्षित है। हम उनके नेतृत्व में अटल विश्वास रखते हैं। लेकिन मैं उन्हें एक सुझाव देना चाहता हूं जैसा कि अभी इस सदन में पहले भी बताया गया और जैसा कि श्वेतपत्र को देखने से सिद्ध हो जाता है कि हमने बहुत से अपने भारतीय इलाके की पूरी तरह से देख भाल नहीं की, उनकी चौकसी नहीं की और चूंकि वह इलाके इनऐक्सिसेबुल और दुर्गम थे इस कारण उन पर ध्यान नहीं दिया और हमारी इस असावधानी की वजह से यह इलाके हमारे हाथ से निकल चुके हैं। चीन सरकार जो हमसे यह अनुरोध करती है और उसने भारत सरकार को यह सुझाव दिया है कि स्टेट्स को रखा जाय "यथा-स्थिति" रखी जाय उसका कि मतलब यह हुआ कि जो हमारे इलाके उनके कब्जे में आ गये हैं ; वह तो उनके पास रहेंगे ही और बाकी के बारे में बातचीत चलने दी जाय, तो इसको सिद्धान्ततः हमें ठुकरा देना चाहिये। हम सब लोगों को यह मांग करनी चाहिये कि सारे बोर्डर की और सारे सीमान्त की रक्षा की व्यवस्था सेना के हाथ में दे दी जाय जैसा कि नेफा के इलाके में फौजी अधिकारियों ने सारा शासन-सूत्र अपने हाथ में ले लिया है और यह उचित ही किया है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का जो तिब्बत सीमावर्ती इलाका है और हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा और लद्दाख का जो इलाका है वहां पर फौजी इन्तजाम किया जाना चाहिये।

मैं अपने भाषण की समाप्ति एक संस्कृत पद से करूंगा। हमारी नीति होनी चाहिये नम्रता और दृढ़ता की अर्थात नम्रतापूर्ण दृढ़ता और दृढ़तापूर्ण नम्रता की। संस्कृत का पद है :— "ब्रजादपि कठोराणि, मृदूनि कुसमादपि' अर्थात् हम फूल से भी अधिक कोमल हैं, मगर आवश्यकता पड़ने पर हम बज्र से भी अधिक कठोर हो जायें। आज देश और समय की पुकार है कि जहां हमारी नीति सारे संसार के अन्दर शान्ति स्थापित करने में फूल से भी कोमल रही है वहां इस समय हमें अपने देश की रक्षा के लिये बज्र से भी अधिक कठोर बनना चाहिये।

†श्रीमती रेणुका राय (मालदा) : स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश के सामने अनेक समस्यायें आयी हैं किन्तु यह समस्या सब से अधिक गंभीर समस्या है।

यह समस्या अनोखी भी है। हमने इस देश को, जिसने अब आक्रमण किया है, राष्ट्रसंघ में सम्मिलित कराने के लगातार प्रयास किये हैं। कुछ लोगों ने हमें गलत समझा है : हमारे प्रधान मंत्री आज तक मैत्री का यत्न करते रहे हैं परन्तु तब भी चीनियों ने उनकी भावनाओं की कदर नहीं की है।

मैं श्री डांगे से झगड़ना नहीं चाहती क्योंकि उन्होंने तो चीन का प्रतिनिधित्व किया है और कहा है कि चाऊ-एन-लाई के पत्र के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि चीन मित्रता करना चाहता है। किन्तु सब जानते हैं कि चीन क्या चाहता है। चाऊ ने लिखा है कि चीन वाले दबाव से उस अवैध सीमा को स्वीकार नहीं कर सकते। उनका कहना है कि उन्हें ४०,००० वर्ग मील क्षेत्र चाहिये। देखिये, भारत ने अन्य देशों को नाराज करके चीन को मित्र बनाना चाहा परन्तु चीन ने हमारे साथ यह सलूक किया जो आप देख रहे है।

मैं प्रधान मंत्री से यह जवाब चाहती हूं कि क्या यह सच है कि चीन की सेनायें उत्तरी सिक्किम के लाचून एवं लाचेन क्षेत्रों को चीन का भाग बताकर उन पर आक्रमण कर रहे हैं। क्या चीन की सेनाओं ने उत्तरी भूटान की चुबम्लायी घाटी में भी आक्रमण किया है। ये खबरें ११ सितम्बर के स्टेट्समैन में छपी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**आचार्य कृपलानी** : ये स्थान दुर्गम हैं, वे वहां नहीं पहुंच सकते ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : न केवल भारत ने चीन के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में हाथ पांव मारे बल्कि उन्होंने तिब्बत के कतिपय, अधिकारों को भी छोड़ दिया। किन्तु आज हमारा अपमान किया जा रहा है। चीन के राजदूत का पत्र अपमानपूर्ण है।

मैं श्री डांगे का निराकरण करती हूं। मेरा विचार है कि भारत युद्ध का वातावरण नहीं बना रहा और न ही यहां घबराहट है किन्तु भारत अपना सम्मान रखना चाहता है। चीन की सेनाओं ने बड़ा होती, और नीफा क्षेत्र में हमले किये हैं।

अब श्री चाऊ-एन-लाई मैकमहोन लाइन को स्वीकार नहीं करते किन्तु अब वे यह कहना चाहते हैं कि पहले भी कभी यह प्रश्न नहीं उठाया गया।

हमारे प्रधान मंत्री अब भी यही कहते हैं कि यदि चीन शांति स्थापित करने को तैयार है तो हम समझौता करने को तैयार हैं। इसका यह मतलब नहीं कि भारत कमजोर है। यदि भारत शांति के प्रयास करता है तो वह अपमान का सामना करने को डटकर भी खड़ा हो सकता है। भारत ने अपनी स्वतंत्रता अहिंसा से प्राप्त की है और भारत पंचशील को हृदय से चाहता है। चीन ही बेशक इसे राजनीतिक नारा मानें—भारत ऐसा नहीं मानता। आज हमारे देश में पूरी एकता है। हो सकता है कुछेक दल विदेशों के बफादार हों किन्तु चीन वालों को उनसे धोखा नहीं खाना चाहिये ; क्योंकि वे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

जब श्री डांगे बोल रहे थे तो हमें आश्चर्य हो रहा था कि क्या वे चीन की ओर से बोल रहे हैं। उन्होंने इस बात को कि चीन ने हमारी सीमाओं का उलंघन किया है, महसूस ही नहीं किया।

मैं चीन को पुनः चेतावनी दूंगी कि उन्हें यहां के कुछ लोगों के बहकाव में नहीं आना चाहिय। हम उन लोगों को सहन करते हैं किन्तु जब हमारे देश का अपमान किया जाय तो यह सहन नहीं किया जा सकता। आज देश में एकता है और हम विदेशी दबाव सहन नहीं करेंगे। हम भविष्य में गुलाम बनने को तैयार नहीं है। हम सतर्क हैं और कोई भी पीठ की ओर से हमारे शरीर में छूरा नहीं घोंप सकता।

हमें अपनी सीमाओं के बारे में सतर्क रहना चाहिये। हम युद्ध नहीं चाहते। मित्रता चाहते हैं। परन्तु हम अपमानपूर्ण मित्रता भी नहीं चाहते।

सेठ गोबिन्द दास (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं अपने मित्र श्री डांगे जी का भाषण सुन रहा था तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि अचानक चीन से कोई देवदूत यहां आ कर बोल रहा है। उन्हें मैं देवदूत आदर की दृष्टि से कह रहा हूं। शायद देवदूत के स्थान पर कोई दूसरा शब्द कहा जाय तो उपयुक्त होगा। परन्तु मैं तो एक सौम्य प्रकृति का मनुष्य हूं, इसलिये कड़े शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता। मुझे खेद है कि वे यहां नहीं हैं नहीं तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता था कि आज यदि यह झगड़ा चीन और भारत के बीच में न हो कर, अमरीका या इंगलैंड और भारत के बीच में होता, तो उनकी और उनके दल की क्या स्थिति होती। हम वैदेशिक नीति पर उनके और उनके दल के लोगों के न जाने कितने भाषण सुन चुके हैं और वैदेशिक नीति में कुछ दिलचस्पी होने के कारण मैं प्रायः इस विषय पर बोला भी करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि यह झगड़ा किसी साम्यवादी देश और भारत के बीच में न हो कर अमरीका

---

†मूल अंग्रेजी में

[सेठ गोविन्द दास]

या इंगलैंड के सदृश किसी पूंजी वादी देश और भारत के साथ होता, तो उन्होंने आज यह कहा होता कि हमको तत्काल लड़ाई करना चाहिये ।

साम्यवादी दल के सदस्यों की बातें सुनकर मुझे सदा यह आभास होता रहा है कि इस सदन में कोई भारतीय व्यक्ति न बोल कर या भारतीय दल न बोल कर ऐसा व्यक्ति या ऐसा दल बोलता है जिसने अपने को विदेशी साम्यवादियों के यहां गिरो रख दिया है । और उनकी जो नीति होती है उससे भारत का बहुत कम सम्बन्ध रहता है, भारत के बाहर के देशों का सम्बन्ध रहता है । सन १९३९ में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में उनकी क्या स्थिति रही ? पहले वह युद्ध राष्ट्रीय युद्ध नहीं था । यकायक नाटक का परदा बदला, एक छोटा सा नाटक कार होने के नाते मुझे अक्सर नाटक की बातें याद आ जाती हैं—और उनकी सारी मनोवृत्ति ही बदल गयी, और वही बात हम सदा देखा करते हैं ।

डांगे साहब ने तिब्तब की बहुत बातें कहीं । मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर तिब्बत के मामले में हमने कौनसा अपराध किया है । यदि तिब्बत के दलाई लामा के सदृश एक महापुरुष यहां आते हैं तो उनको यहां आदर पूर्वक रखना तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप है । हमने सदा यह किया है । हमारा इतिहास इस बात को बताता है । तो तिब्बत के मामले में हमने कौनसी ऐसी बात कर डाली, कौन सा ऐसा अपराध कर डाला कि जिसकी वजह से आज चीन हमसे नाराज है, यहां का साम्यवादी दल भी हमसे नाराज है, हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह बात स्पष्ट कही है कि दलाई लामा के यहां आने के बाद जो सुरक्षा परिषद में तिब्बत को ले जाने का मामला उठा है या इस तरह के और राजनैतिक मामले उठे हैं, हम उनके पक्ष में नहीं हैं । हम तिब्बत के मामले को कोई राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहते । जहां तक तिब्बत का मामला है, एक व्यक्ति हमारे यहां आये, हमने उनको आदर से रख लिया । इस में तो हमने कोई बुरी बात नहीं की ।

अभी कृपालानी जी का भाषण मैंने बड़े ध्यान से सुना । उनके भाषण में एक बात मेरी समझ में नहीं आयी और उन्होंने उस भाषण में कोई विधायक सुझाव रखा भी नहीं, कि वह कौन सी गृह नीति को अपनाना चाहते हैं । बार बार उन्होंने कहा "फर्म एटीटयूड फर्म एटीट्यूडग मैं समझता हूं कि उनके भाषण में "फर्म" शब्द विष्णु सहस्रनाम के पाठ की तरह आरम्भ से अन्त तक आया है । मेरी समझ में नहीं आता कि वह कौनसी फर्म नीति चाहते हैं । उन्होंने कोई बात आपके या इस सदन के सामने नहीं रखी कि जिससे हमें यह पता चलता कि कौन सी बात चाहते हैं, कि हम करें । क्या वह चाहते हैं कि हम युद्ध की घोषणा करें ? जहां मैं इस विचार का हूं कि हमको भारत की एक एक इंच भूमि पर ध्यान रखना चाहिये, और मेरा विश्वास है कि यदि कभी आवश्यकता हुई तो जब तक भारत में एक भी भारतीय रहेगा तब तक वह भारत की एक इंच भूमि को भी भारत से बाहर नहीं जाने देगा—वहां इसी के साथ मैं यह भी समझता हूं कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा हप वाली बात नहीं होनी चाहिये । हम पंचशील के सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं, गांधी जी का नाम लेते हैं, अहिंसा की बात करते हैं । अहिंसा में विश्वास रखते हुये और गांधी जी का नाम लेते हुये यदि हम मन में कुछ ऐसी बातों को सोचा करें कि जो गांधी जी के सिद्धान्तों के, अहिंसा के सिद्धान्तों के, अनुकूल नहीं हैं, यह कहां तक ठीक है । इसलिये मुझे कृपालानी जी के भाषण में वे क्या चाहते हैं इसका पता नहीं लगा । भाषण बहुत सुन्दर था, अंग्रेजी भी सुन्दर थी, वह शायद इसलिये कि वे पढ़ रहे थे । उन्होंने कहा भी था कि प्रधान मंत्री भी बिना लिखे उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते क्योंकि वह उनकी मातृभाषा नहीं है । लेकिन उन्होंने क्या सुझाव दिया यह मेरी समझ में नहीं आया ।

मैं एक बात में और श्री डांगे साहब से असहमत हूं। उन्होंने जो बार बार यह कहा कि हमारी गलती है या चीन की गलती है यह देखा जायगा, यह मेरी समझ में नहीं आया। जब कि हमारे देश में भी इस तरह से सोचने वाले लोग हैं कि हमारी गलती है या किसी और की गलती है और हमें अपनी स्थिति पर भी विश्वास नहीं है तब तो फिर भगवान ही हमारी रक्षा करें तो हमारी रक्षा हो सकती है। हां, डांगे साहब की एक बात से मैं सहमत हूं वह यह कि हमें लड़ाई की बात नहीं सोचनी है।

कृपालानी जी ने यह कहा कि हमारी वैदेशिक नीति असफल रही। मेरी समझ में नहीं आता कि यह बात उन्होंने कैसे कही। केवल अभी नहीं, जब जब संकट के अवसर आते हैं तब तब हमारी वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में शंका होती है। कभी अमरीका और इंगलैंड हमको कोसते हैं, कभी चीन और रूस हमको कोसते हैं। इसका कारण है। हमने एक ऐसी नीति का अनुसरण करना आरम्भ किया है जिस नीति पर आज की दुनिया नहीं चल रही है। आज दुनिया दो गुटों में बंट गई है, एक का नेतृत्व अमरीका करता है, दूसरे का नेतृत्व रूस और चीन करते हैं। दोनों बातें शान्ति की करते हैं पर तैयारी लड़ाई की करते हैं। आज तक दुनिया में यह कभी नहीं हुआ। जो बात की जाती है वैसी तैयारी भी होती है। यह इस वक्त की दुनिया की विचित्र अवस्था है कि बात एक की की जाती है और तैयारी दूसरी की की जाती है। इस वक्त दुनिया की जैसी अवस्था है उसमें हमारी नीति लोगों की समझ में नहीं आती। कृपालानी जी के सदृश जो गांधीवादी हैं उनकी समझ में तो हमारी नीति आनी चाहिये थी। हमारी नीति स्पष्ट है। हम सब के मित्र हैं। कल की प्रेस कान्फरेंस में हमारे प्रधान मंत्री जी ने "एलाईज़" और "फ्रेंड्स" इन दोनों शब्दों का बड़ा सुन्दर विश्लेषण किया है। हम किसी के एलाईज़ नहीं हैं पर हम मित्र सब के हैं। एलाईज़ होना और मित्र होना इन दोनों में कुछ फर्क है। वह लड़ाई के समय मालूम होता है। तो हम सब के मित्र हैं। अमरीका के भी हम मित्र हैं, हम इंगलैंड के भी मित्र हैं पश्चिमी देशों के भी मित्र हैं और रूस और चीन तथा पूर्वी देशों के भी मित्र हैं। हमारे पंचशील के सिद्धान्त हैं। हम उन सिद्धान्तों के आरम्भ से ही समर्थक रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी न उनको बड़ी सुन्दरता से हमारे सामने रखा, पर वे कोई नये सिद्धान्त नहीं हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार वे सिद्धान्त हैं। गांधी जी जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते रहे उन सिद्धान्तों को दूसरे शब्दों में हमारे सामने रखा गया है। इस लिये मैं यह अवश्य चाहता हूं कि लड़ाई की बात छोड़ दी जाय। लड़ाई हम किसी से नहीं करना चाहते। पहले भी हम ने कई बातों को निपटाने की कोशिश की। कोरिया की लड़ाई के सम्बन्ध में हमने पहले ही कह दिया था कि ३८वें अक्षांश को पार न किया जाय और हमने देखा कि हमारे कहने के अनुसार ही कोरिया का मामला तय हुआ। इसी प्रकार स्वज़ का इतना बड़ा मामला था। लड़ाई होने वाली थी, लेकिन हम ने कुछ बातें कहीं और लड़ाई तक मामला पहुंचने पर भी, वहां सेनाओं के आ जाने पर भी, लड़ाई बन्द हुई। स्वेज़ की लड़ाई भी निपटाई गई। इस तरह से हमारी नीति हाल ही में बड़ी बड़ी बातों को निपटा चुकी है और मैं यह भी मानता हूं कि अगर सर्वथा नहीं तो बहुत दूर तक, आज दुनिया में लड़ाई नहीं हुई, तो उस का श्रय भारत को और हमारे प्रधान मंत्री जी को भी है। आज जब हमारे ऊपर एक आपत्ति आई है, एक झगड़ा हुआ है और एक ऐसे देश के साथ झगड़ा हुआ है, जिस के साथ हज़ारों वर्षों से हमारी मैत्री रही है और जिस को आज भी हम मित्र मानते हैं—शत्रु नहीं मानते हैं, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कल की प्रस-कांफ़रेंस में कहा और राज्य सभा में भी कहा और जैसा कि वह सदा कहते हैं, कि हम इस तरह के मामलों को आपसी तौर पर बात-चीत कर निपटाना चाहते हैं। हमारा विश्वास है कि जिस तरह से हम अन्य बड़ी बड़ी बातों को निपटा चुके हैं, उसी

[सेठ गोविन्द दास]

तरह से इस बात को भी निपटा सकेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना संतुलन—अपना वैलेंस न खोयें और जिन सिद्धान्तों को हम स्वीकार कर चुके हैं, जिन के अनुसार, हम देख चुके हैं कि बहुत से मामले निपटे हैं, उन पर ही अवलम्बित रह कर इस झगड़े को भी निपटायें। मेरा विश्वास है कि हम अपने प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में—जिसके लिये मैं अनेक बार कह चुका हूं कि यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम को इस तरह का नेतृत्व प्राप्त है—विश्वास रख कर आगे बढ़ेंगे। आज सारा देश उन के साथ है। जिस तरह हम दूसरे मामलों को निपटा चुके हैं, उसी तरह इस मामले को भी हम निपटा सकेंगे।

†**श्री शिवराज** (चिंगलपट–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : इस विषय पर विचार करते समय मुझे स्वर्गीय अम्बेडकर का वह कथन याद आता है कि स्वतंत्र भारत को केवल एक ही खतरा है जो चीन की ओर से है। आज उस कथन की सत्यता प्रमाणित हुई है।

मैंने श्री डांगे तथा आचार्य कृपालानी के भाषणों को बहुत ध्यान से सुना है। एक ने चुप रहने की सलाह दी और दूसरे ने तुरन्त कार्यवाही करने को। इन दोनों में से कौन सी सलाह ठीक है यह निश्चय करना बहुत कठिन है। इस बात पर विचार करते हुये हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि आज का चीन पहले के चीन से सर्वथा भिन्न है। आज चीनी लोग पहले जैसे अफीम खाने वाले नहीं रहे हैं वरन् एक प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। जिस तरह पहले लाल जातियों के विस्तार का भय था उसी तरह आज पीली जाति के चीनी अपने साम्राज्य का विस्तार करने को प्रयत्नशील हैं। वे बड़े शक्तिशाली और युद्धकुशल हो गये हैं। अब उन्होंने धर्म और नैतिकता को तिलांजलि दे दी है। ऐसी स्थिति में हमारी उनके साथ मैत्री कैसे निभ सकती है? हम बुद्ध को शांतिदूत मानते हैं जब कि चीन उन्हें राजनैतिक विद्रोही कहता है। यही कारण है कि चीनी हमारे प्रधान मंत्री की बातों की परवाह नहीं करते हैं। श्री राजगोपालाचार्य भी, जिनका हमारे प्रधान मंत्री से बहुत मतभेद है, उनकी विदेश नीति से सहमत हैं। इसीलिये उन्होंने श्री ख्रुश्चेव से चीन को रोकने की अपील की है। ताकि भारत को पश्चिमी राष्ट्रों के साथ न मिलना पड़े। मैं समझता हूं कि आज की स्थिति बहुत खतरनाक है और हमें बहुत सोच समझ कर ही कोई कदम उठाना चाहिये। मैं तो इस मामले को अपने प्रधान मंत्री पर ही छोड़ देना चाहता हूं। वही अपनी सहज बुद्धि से यह निर्णय करें कि हमें कैसी नीति अपनानी चाहिये।

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश पर संकट की घड़ियां दिखाई दे रही हैं और ऐसे गम्भीर विषय को कुछ माननीय सदस्यों ने हंसी और मजाक का विषय भी बनाने की कोशिश की है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि पिछले कुछ साल से हिन्दुस्तान की सरकार के द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती रही है, एपीजमेंट की पालिसी पर चला जाता रहा है, उस को अब भी छोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है और सम्भवतः तुष्टीकरण की जिस नीति पर हिन्दुस्तान की सरकार पिछले कुछ साल से चलती रही है, उस को आज हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी अपनाना चाहती है। हो सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, श्री डांगे आज यहां यह कह कर कि वह चीन की तरफ़ से आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि कोई हमला होगा नहीं, कोई लड़ाई होगी नहीं, कुछ ऐसी बात करें कि जिस तरह रूस की तरफ़ से कुछ आश्वासन आते रहे। हमने पिछले दिनों देखा है कि हिन्दुस्तान के कुछ नेतागण दवा-दारू के लिये, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिये चीन में जाते रहे हैं। हो सकता है कि पेकिंग से भी यात्रा शुरू हो।

†मूल अंग्रेजी में

जो भी हो, हम यह कहना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में रह कर यदि आज भी सफ़ाई के साथ यह नहीं कहा जाता है कि मैकमोहन लाइन हमारी पक्की रेखा है और उस के एक इंच भी यदि कोई इधर आता है, तो हम उस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उस के साफ़ मानी ये हैं कि हम चीन के साथ अधिक हैं और हिन्दुस्तान के साथ उतने नहीं हैं। लेकिन मैं कह रहा था कि हिन्दुस्तान की सरकार की तरफ़ से एक तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती रही है। यह नीति हम शुरू से देख रहे हैं—उस वक्त से देख रहे हैं, जिस वक्त कि सिकियांग-तिब्बत रोड का निर्माण हुआ और उस के निर्माण पर हिन्दुस्तान की सरकार की ओर से १८ अक्तूबर, १९५८ को एक नोट दिया गया। उस में उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है कि एक सड़क बना ली गई है। इस नोट के पैराग्राफ़ ५ में यह कहा गया है —

> "जैसा कि चीन सरकार को पता है कि भारत सरकार इच्छुक है कि सीमा सम्बन्धी इन मामूली विवादों को तय कर लिया जये।"

हमारी टेरीटरी में जो सौ मील की सड़क बना ली गई, उस को—उस डिस्प्यूट को गवर्नमेंट आफ़ इंडिया "पैटी फ़्रंटियर डिस्प्यूट" कहे, मैं समझता हूं कि इस से ज्यादा तुष्टीकरण की नीति और कोई नहीं हो सकती। सौ मील की सड़क हमारी टेरीटरी में बन गई और उस के एक साल बाद हम को पता चला। सब से ताज्जुब की बात यह है कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट को, हिन्दुस्तान की जनता को इस की कोई खबर नहीं दी गई कि हमारी सीमा पर—हमारे बार्डर पर यह हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह न सिर्फ़ तुष्टीकरण की नीति है, बल्कि हिन्दुस्तान की जनता के साथ जो न्याय होना चाहिये, उस को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आखिर हम हिन्दुस्तान की जनता के प्रतिनिधि हैं। हिन्दुस्तान के बार्डर पर, ढाई हज़ार मील पर क्या हो रहा है, उस को इस सदन को और हिन्दुस्तान की जनता को पता न लगे, यह कह दिया जाय, कि "पैटी फ़्रन्टियर डिस्प्यूट" है, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल अनुचित बात है। हम समझते हैं कि यह बहुत गम्भीर घटना है, जिस को इस सदन को और देश को बहुत गम्भीर रूप से लेना चाहिये।

अगर इस सारे ह्वाइट पेपर को पढ़ा जाये, तो हमें पता लगेगा कि हिन्दुस्तान की सरकार से चीन की सरकार को जो नोट गये और चीन सरकार की तरफ़ से हिन्दुस्तान की सरकार को जो नोट आये, उन में ज़मीन आस्मान का फ़र्क है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि उन्हीं शब्दों में हम को उन को जवाब देना चाहिये। मैं नहीं कहना चाहता कि यदि चीन के लोग हम को रफ़ीयन कहते हैं, तो हम भी उन को रफियन कहें, लेकिन मैं यह आशा ज़रूर करता हूं कि हमारे शब्दों में ऐसी भावना का प्रदर्शन ज़रूर हो, जिस से मालूम पड़े कि यदि चीन हम पर हमला करना चाहता है, या ऐसे डिज़ाइन्ज़ रखना चाहता है, जिन से हमारी इन्टेगरिटी पर खतरा आता है, तो हम उस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी नीति में यह बात नहीं झलकती। मैं एक के बाद एक ऐसे उदाहरण पेश कर सकता हूं, जिन से यह साबित होगा कि हिन्दुस्तान की तरफ़ से चीन की सरकार को जो नोट दिये गये उन में कभी-कभी तो प्रोटेस्ट भी नहीं किया गया है —सिर्फ़ ध्यान आकर्षित किया गया है। इतनी बड़ी-बड़ी बातों की तरफ़ सिर्फ़ ध्यान आकर्षित किया गया है। हम यह भी नहीं कहना चाहते कि आप हमारी ज़मीन पर आते हो, हमारी सीमा का अतिक्रमण करते हो, हम उस के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हैं। और ऐसा क्यों नहीं होता है? इस के पीछे दो बातें हो सकती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मैंने अभी जो आप के सामने सड़क के बारे में पढ़ा है, उस में कहीं प्रोटेस्ट नहीं है। इतना कहा गया है—"..... सैंटल पैटी

[श्री ब्रजराज सिंह]

फ्रंटियर डिस्प्यूट्स" । कोई शुरू से ले कर आखिर तक इन नोट्स इत्यादि को पढ़ जाये, लेकिन कहीं पता नहीं चलेगा कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम उस भाषा का प्रयोग न करें, लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग तो होना चाहिये, कम से कम ऐसी भावना का प्रदर्शन तो होना चाहिये, जिस से प्रकट हो कि हम अपनी तरफ़ से तैयार हैं। और यही बात थी, जिस की वजह से प्रधान मंत्री महोदय ने इस संसद् को विश्वास में नहीं लिया, इस देश को विश्वास में नहीं लिया। यहां पर प्रश्न पूछे जाते रहे और उन का टालू जवाब देते रहे और यह कहा जाता रहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। और जब मालूम हुआ कि अब मामला कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, तो मजबूर हो कर उन को इस ह्वाइट पेपर को हमारे सामने रखना पड़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बात है, बहुत ही अनुत्तरदायित्वपूर्ण बात है, जिस को सम्भवतः हमारे आने वाली पीढ़ियां बर्दाश्त नहीं करेंगी यदि कोई ऐसी बात होती है, जो चाऊ-एन-लाई के आखिर के पत्र से प्रकट होती है।

मेरे मित्र, श्री डांगे, ने फ़रमाया कि चाऊ-एन-लाई के लैटर के आने के बाद नैगोशिएशन के लिये, बात-चीत के लिये दरवाज़ा बिल्कुल खुल जाता है—सब मामला तय हो जायगा। हम भी बात-चीत के द्वारा मामले को तय करना चाहते हैं। हम भी शान्ति रखना चाहते हैं। आखिर बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी का देश शान्ति नहीं चाहेगा, तो कौन सा देश शान्ति चाह सकता है? हमारे सामने उदाहरण हैं। हमारे देश में एक छोटा सा पाकेट है गोआ का, लेकिन हम ने गोआ को मिलिटरी से फतह करने की कोशिश नहीं की, उस को ज़बर्दस्ती लेने की कोशिश नहीं की। हमारी तो परम्परा ही यही रही है और अब भी हम शान्ति अख्तियार करना चाहते हैं। हम शान्ति की नीति पर सिर्फ़ इसलिये नहीं चलना चाहते कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री और श्री चाऊ-एन-लाई ने किन्हीं विशेष कारणों से पंचशील की घोषणा पर—डिक्लेरेशन पर—दस्तखत कर दिये, बल्कि हम शान्ति इस लिये चाहते हैं कि वह हमारी परम्परा है। इसलिये हम शान्ति कायम रखना चाहते हैं। लेकिन बात-चीत किस आधार पर चले, इस के बारे में चाऊ-एन-लाई साहब फरमाते हैं :—

> "यह राज्य क्षेत्र चीन के चीक्यांग प्रदेश के बराबर और ९०,००० वर्ग किलोमीटर है। प्रधान मंत्री जी, चीन ऐसी अवैध सीमा को किसी दबाव वश कैसे स्वीकार कर सकता है, जिसके कारण उसे अपना अधिकार खोना पड़े और अपमानित होना पड़े, अपना राज्य क्षेत्र बेच कर और फिर इतना बड़ा राज्य क्षेत्र !"

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस तरह से पत्रों को हम देखते हैं जब इस तरह की उन पत्रों के पीछे की भावना को हम देखते हैं कि अब तो सारे दरवाज़े खुल गये हैं, सब बात नेगोशिएशन से तय हो जायेगी, तो इसका मतलब यह है कि या तो इस पत्र के अर्थ को अच्छी तरह से, ठीक तरह से समझा नहीं गया है, या फिर इस पत्र के अर्थ को समझने की कोई कोशिश नहीं की गई है, या नहीं की जा रही है और जानबूझ कर कोशिश नहीं की जा रही है। मैं समझता हूं कि जो दूसरी चीज़ है, वह ज्यादा सही है। हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का पिछले दिनों का या पिछले सालों का जो इतिहास रहा है, उससे सभी वाकिफ हैं। आज श्री डांगे ने भाषण किया है और उनसे इस सदन के माननीय सदस्यों ने यह जानने की बार-बार कोशिश की है कि आखिर हमारे हिन्दुस्तान के जिन भागों पर चीन ने कब्ज़ा कर लिया है, बड़ाहोती पर कब्ज़ा कर लिया है, लौंगजू पर कब्ज़ा किया है या किसी एक रोड पर कब्ज़ा कर लिया है, उनके सम्बन्ध में कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रवैया है तो

उन्होंने कह दिया कि वह इस राय से इत्तिफाक करते हैं कि कोई भी हमला किसी किस्म का बरदाश्त वह नहीं करेंगे लेकिन जिन पर हमला करके कब्जा कर लिया गया है उनसे उनको कैसे हटाया जाये, किस तरह से वह मामला तय किया जाये इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है सिवाय इसके कि बातचीत की जाये । मैं समझता हूं कि वही अप्रोचमेंट का पालिसी, वही तुष्टीकरण की नीति लौंगजू के बारे, बड़ाहोता इत्यादि के बारे में आज चीन के प्रति अपनाई जा रही है । यह कह देना कि हम अपने आफिसर्स को वहां नहीं ले जायेंगे बशर्ते कि चीन भी अपने सैनिकों को हटा ले, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है क्योंकि चीन अपने सैनिक हटाने नहीं जा रहा है । इस वास्ते हमें तय करना होगा कि हम क्या करें । मैं नहीं कहता कि आप लड़ाई छेड़ दें, हम लड़ने के काबिल नहीं हैं, हमारा देश गरीब देश है, पिछड़ा हुआ देश है, हमारी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, हम लड़ाई नहीं मोल ले सकते हैं । लेकिन लड़ाई हम न करें तो क्या हम बेइज्जती बरदाश्त करते जायें ? हम दोस्ती के लिए तैयार हैं, लेकिन दोस्ती इस तरह से कायम नहीं रह सकती है जिस तरह से कि आज तक हमने दोस्ती कायम रखने की कोशिश की है । हर एक नोट में ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जिससे पता चले कि हम किसी के मातहत हों, हम किसी के अधीन हों । डा० रामसुभग सिंह जी ने कहा है कि इस सदन के अन्दर अगर कोई कुछ कहता है तो उस पर एतराज किया जाता है वहां से । हिन्दुस्तान में जनतंत्र लागू है, हिन्दुस्तान में विधान के अनुसार कार्य होता है, उसमें रहते हुए हमें अधिकार है कि हम अपना गुस्सा, अपना रिजेंटमेंट जाहिर करें . . . . .

सेठ गोविन्द दास : लेकिन ऐसा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए जैसा कि बम्बई में हुआ था और माओ त्से तुंग के चित्र के साथ व्यवहार किया गया है या जैसा कि यहां पर चीनी एम्बेसी में जा कर किया गया है । ऐसे प्रदर्शन करना हमारे लिए ठीक नहीं है ।

श्री अजराज सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के विधान के अन्दर रहते हुए गवर्नमेंट के खिलाफ और देश में या दुनिया में जो कठिनाइयां पैदा हो रही हैं, उनके खिलाफ रोष अगर हम प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो इसका हमें पूरा अधिकार है । मैं मानता हूं कि चाइनीज कौंसेलेट के सामने बम्बई में जो प्रदर्शन हुआ उसमें एक दो आदमियों ने, यह गवर्नमेंट आफ इंडिया की रिपोर्ट है, चाइना की रिपोर्ट है, चीनी राष्ट्रपति माओ त्से तुंग की तस्वीर पर टोमेटोस और एग्ज जो फेंक दिये वह शोभनीय कार्य नहीं था । इसको सभी मानते हैं । सोशलिस्ट पार्टी की ओर से कहा गया कि हम इसको एप्रूव नहीं करते हैं । यह बात दूसरी है । लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक दूसरे देश की सरकार की तरफ से किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से विरोध प्रकट किया जाता है । यह कहा जाता है कि इस तरह की बात अगर होती है तो इसको हम नहीं मानते हैं और अगर आप भी नहीं मानते हैं तो एक साल नहीं, दो साल नहीं, दस साल नहीं सौ साल तक इसको आपके सामने रखते जायेंगे और रुकेंगे नहीं ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

हिन्दुस्तान की सरकार की तरफ से इसका जो उत्तर दिया जाता है, उसको भी आप जरा सुन लीजिये, जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उसको सुन लीजिये । हिन्दुस्तान की तरफ से उसकी इस तरह से व्याख्या की जाती है कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें शक होने लगता है कि आज भी हम आजादी में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं । क्या उन इलाकों के ऊपर चीन सरकार की सावरेनटी को हम मान रहे हैं ? हमारी तरफ से ३० अप्रैल १९५९ को नोट भेजा गया जोकि बिल्कुल इरेलेवेंट मालूम पड़ता है और अगर वह भेजा न भी जाता तो भी मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत न होती । उसमें कहा गया है कि भारत सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि बम्बई में वह जुलूस समाजवादी दल द्वारा निकाला गया था जो हाल में प्रजासमाजवादी दल से अलग हो गया था ।

[श्री ब्रजराज सिंह]

ये तो हमारे आपस के झगड़े हैं । आगे कहा गया है कि यह दल कुछ गैर जिम्मेदार लोगों का समूह है जिनका देश में कोई महत्व नहीं है । वास्तव में इस दल का कार्यक्रम ऐसे कार्य करना ही है जिन्हें सरकार आपत्तिजनक समझती है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री क्यों इस तरह की बातें दूसरों के सामने कहते हैं ? वह अगर प्लेटफार्म पर आ कर इन बातों को देश में कहें, तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा । वह कह सकते हैं कि ये इरिस्पांसिबल हैं, लेकिन उनके ही कहने से कोई इरिस्पांसिबल नहीं हो जाता है । उनके कहने के मुताबिक वे इरिस्पांसिबल हैं, लेकिन फिर भी उस पार्टी के आज इस सदन में दस आदमी बैठे हुए हैं । मैं नहीं कहता कि यह कोई बहुत बड़ी संख्या है, यह बहुत बड़ी संख्या नहीं है । मैं तो उस तरीके पर एतराज करता हूं, जो तरीका अपनाया गया है । क्या हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री या फारेन मिनिस्ट्री के लिए यह उचित था कि देश के अन्दर जो कुछ हो रहा है एक पार्टी के सम्बन्ध में उसको विदेशों में जा कर किसी सरकार से कहा जाये कि ये इस तरह के लोग हैं और उस तरह के लोग हैं, मैं समझता हूं कि रिस्पांसिबल बात नहीं है । किसी बात को कहने का कोई तरीका होता है । मैं समझता हूं कि ये सब चार्जेज जाहिर करती हैं कि आप जो पालिसी अपना रहे हैं वह अपीजमेंट की पालिसी है, तुष्टीकरण की पालिसी है । चाइनीज एम्बेसी की तरफ से यह कहा जाये और बार बार कहा जाये कि रफियंस हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनकी भाषा को समझने की कोशिश की जानी चाहिए । प्रधान मंत्री महोदय की तरफ से कहा गया है कि चीन के जो लोग हैं, वे सम्भवतः यह नहीं समझते हैं कि अंग्रेजी भाषा में तर्जुमा किस तरह से किया जाये । मैं कहना चाहता हूं कि अगर वे यह नहीं जानते हैं तो हम से सीख सकते हैं, हम से समझने की कोशिश कर सकते हैं । मैं चाहता हूं कि उसके पीछे जो भावना है, उसको समझने की कोशिश की जाये । एक बार नहीं बार बार नोटों में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है । १६ मई के नोट में कहा गया है कि कुछ बदमाश लोगों को चीनी दूतावास के सामने उपद्रव करने दिया गया जिन्होंने चीन राज्य के प्रधान तक का अपमान किया ।

हमारी तरफ से रिग्रेट पेश किया जाता है । मैं मानता हूं कि रिग्रेट जाना चाहिए था । लेकिन उसके बाद भी चीन रुक नहीं रहा है, लगातार कहता जा रहा है कि रफियंस हैं वह ऐसे शब्द का प्रयोग करे और उसके बाद भी यहां से कुछ न कहा जाये, तो यह स्पष्ट बताता है कि हमारी जो नीति है वह तुष्टीकरण की नीति है, अपीजमेंट की नीति है और इस नीति से देश का भला हो नहीं सकता है, देश की इंटेग्रेटी की रक्षा हो नहीं सकती है । जब मैं यह कहता हूं कि यह तुष्टीकरण की पालिसी है और इससे देश का भला हो नहीं सकता है, हम अपनी रक्षा कर नहीं सकते हैं तो मैं यह नहीं कहता कि हमें चीन के खिलाफ लड़ाई छेड़ देनी चाहिए । लड़ाई की बात मैं नहीं कहता । मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि चीन जैसे मुल्क को जिसकी आबादी ६५० मिलियन है, यू० एन० ओ० में स्थान मिलना चाहिये और हमारी सरकार ने इस दिशा में जो कुछ किया है, वह सही किया है उसको उसका स्थान मिलना चाहिए और दूसरी बातें भी होनी चाहिए । पर क्या हमें अपने बोर्डर की रक्षा नहीं करनी चाहिए, वहां पर हमारे इलाके में जो लोग आ कर बैठ गये हैं, क्या हमें उनको वहां से हटाना नहीं चाहिए । दोनों प्रधान मंत्रियों की तरफ से कहा गया था कि नेगोशिएशन से बात तय हो जायेगी ।

आप चीन के पत्रों को देखें विशेषकर जो आखिरी पत्र आया है उसको देखें । उनमें कभी भी निश्चित रूप से नहीं कहा गया है कि मैकमोहन लाइन को वे पूरी तरह से मानते हैं । हो सकता है कि १९५४ में जो बातचीत हुई है उससे प्रधान मंत्री महोदय को यह विश्वास हो गया हो कि कोई बोर्डर डिस्प्यूट नहीं है । ४० करोड़ वाले देश के प्रधान मंत्री से जिन्होंने आजादी के दिनों में बहुत

कुछ काम किया है और उसको हम मानते भी हैं, हम ने भी थोड़ा बहुत उन दिनों में काम किया है, जितना हम कर सकते थे, हम ने भी किया है, उसको आप छोड़ दें, मैं पूछना चाहता हूं कि १९५४ में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था चीन के साथ उस वक्त क्यों यह बात मालूम नहीं हो गई कि बोर्डर डिसप्युट हैं, क्यों यह जानने की कोशिश नहीं की गई कि बोर्डर डिसप्यूट हैं । तिब्बत पर से हम ने अपनी सुज़रेनिटी को खत्म किया और चीन की सुज़रेनिटी को माना । उस वक्त भी प्रधान मंत्री महोदय को तमाम बातें मालूम हो जानी चाहिए थीं । आज प्रधान मंत्री महोदय को जो बातें मालूम होती हैं, वे सभी तब मालूम हो जानी चाहिए थीं ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री चीन के दिमाग को पढ़ने में, उसके दिमाग को समझने में बुरी तरह से असफल हुए हैं और उस सब का आज यह नतीजा है कि हिन्दुस्तान को खतरा पैदा हो रहा है । अगर चीन के दिमाग को भारत ने अच्छी तरह से समझा और पढ़ा होता तो सम्भव है कि आज हिन्दुस्तान पर यह खतरा पैदा न होता, यह खतरा हिन्दुस्तान में नहीं आता ।

पंचशील की बात की जाती है । हमारे प्रधान मंत्री को यह शब्द बहुत प्यारा है । हर व्यक्ति को यह शब्द प्यारा हो सकता है । हम शान्तिप्रिय लोग हैं और हम नहीं चाहते हैं कि कभी लड़ाई हम करें । लेकिन यह कहना कि हमें मुल्क में विश्वास नहीं है, देश का शासन नहीं चल सकता है। इस तरह से आप देश की इंटेग्रेटी को कायम नहीं रख सकते हैं । उसके लिए हमें और कुछ करना होगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो सो रहे हैं, उससे हम जगें । हमें चीन से साफ कहना चाहिए कि स्टेट्स को, यथास्थिति कायम रखनी चाहिए । हमें चीन को रफियंस नहीं कहना है, हमें उनसे कहना है कि मैकमोहन लाइन को मान लिया जाये और जिस इलाके पर कब्जा उसने कर लिया उसके बारे में हमें उसे कहना है कि मेहरबानी कर, यहां से हट जाओ, हाथ जोड़ कर यह कहना है, यह प्रार्थना करनी है कि श्रीमान् आप बोरिया बिस्तर उठा कर मैकमोहन लाइन से उस पार चले जाओ । अगर इस प्रकार के नम्र निवेदन को वह नहीं मानता है, शान्तिपूर्वक हमारी बात को नहीं मानता है, तब फिर मजबूर हो कर गांधी जी के शिष्य होते हुए भी, गांधी जी की भाषा में ही हमें कहना चाहिए कि अगर आक्रमण होता है तो उस आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी भूमि से उनको निकालने के लिए, हम ताकत का इस्तेमाल करने से भी हिचकिचायेंगे नहीं । हमें ताकत का इस्तेमाल किसी पर हमला करने के लिए नहीं करना है, बल्कि इसलिए करना है कि हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं । यह सवाल केवल नेफा का नहीं है, तिब्बत में जो कुछ हुआ उसका नहीं है, भूटान, सिक्किम में बफर का भी सवाल है, हमारे बीच से बफर खत्म हो रहा है, नेफा बहुत स्पार्सली पापुलेटिड है, उसका भी सवाल पैदा हो सकता है और इस तरह से अगर सारी की सारी जमीन चली जाती है, तब तो वे हमारे दरवाजे पर ही आ जाते हैं और किसी भी वक्त हम को बिल्कुल ही खत्म किया जा सकता है । इस चीज़ को हमें देखना चाहिए ।

मैं हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी के सम्बन्ध में आपकी कुछ भी राय हो और अगर हम में और आप में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है तो वह आयें और प्लेटफार्म पर हमें गाली दें—हमारी गाली देने की आदत नहीं है, गलत काम किसी से हो जाये तो हम उसके लिए क्षमा, रिग्रेट पेश करेंगे, लेकिन दूसरे देश से ऐसी बातें मत कहिये, दूसरे देशों से ऐसी बातें मत कीजिये अगर प्रधान मंत्री महोदय ने अपनी ओर से यह बात नहीं की है तो जो फारेन मिनिस्ट्री है और उसमें जो इस तरह के आफिशल्स बैठे हुए हैं जोकि इस तरह का काम करते हैं, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि फारेन एफेयर्स मिनिस्ट्री को हमें ओवरहाल करना पड़ेगा । अगर हमें हिन्दुस्तान की रक्षा करनी है तो ऐसे लोगों से हिन्दुस्तान की रक्षा नहीं हो सकती जो यह भी

[श्री ब्रजराज सिंह]

नहीं जानते कि किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए अपने नागरिकों के लिए । तो मैं निवेदन करूंगा कि स्टेट्स को मेनटेन करने के लिए बात चीत शुरू हो सकती है, लेकिन यहां जंज का कोई सवाल नहीं । हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री इस देश की एक एक इंच भूमि के मालिक नहीं हैं । प्रत्येक नागरिक यहां का मालिक है । किसी एक व्यक्ति को यह कहने का अधिकार नहीं है कि हम आरबिट्रेशन करने के लिए तैयार हैं । कौन आरबिट्रेशन कर सकता है ? आज दुनियां में सब एक दूसरे से अलग हैं, बटे हुए हैं । कोई भी इस तरह के लोग नहीं हैं जो न्याय की बात करते हों । कश्मीर का झगड़ा ही हम देखते हैं । हम यू० एन० ओ० में जा कर देख चुके हैं कि कुछ वहां होता नहीं है । हम आरबिट्रेशन के लिये भेज कर किस तरह से इस मसले को हल कर सकते हैं ? इसलिए आरबिट्रेशन की यहां पर कोई बात नहीं होनी चाहिये । स्टेट्स को मेनटेन करने के लिए बात हो सकती है और बात चीत कर के मसले को तय किया जा सकता है । लेकिन बात चीत तभी हो सकती है जब कि चीन मेकमोहन लाइन से हट कर पीछे जाय । मैं कहना चाहता हूं, और हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री ने भी कहा, कि चाऊ एन लाई साहब फरमाते हैं कि मैकमोहन लाइन नाम अच्छा नहीं है । अगर यह नाम अच्छा नहीं है तो गांधी लाइन नाम रखिये इस का अगर चाइना को विश्वास हो गांधी पर । और अगर गांधी पर भी विश्वास नहीं है तो पंचशील लाइन बनाइये । दोनों जिस पर विश्वास करें, उस पर चलें । लेकिन शायद चीन इस को करने के लिए तैयार नहीं होगा । इस लिए मैं अन्त में निवेदन करूंगा कि आज देश को बहुत खतरा पैदा हो रहा है । हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिस से वार साइकोसिस पैदा हो, लड़ाई का वातावरण बने, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हमें देश की इंटेग्रिटी की रक्षा करनी है तो मुल्क के अन्दर हमें यह जताना पड़ेगा अपने नागरिकों को कि अगर इस वक्त देश में कोई खतरा पैदा होता है तो उस के लिए देश की जनता, देश के कोटि कोटि व्यक्ति तैयार रहें । अगर हम ने हिन्दुस्तान की आजादी ली है तो हम सब देश की रक्षा भी करेंगे । अगर आपस में मतभेद भी हों तो भी जहां तक देश की रक्षा का सवाल है, हम एक व्यक्ति की तरह खड़े हैं । किसी भी व्यक्ति के, चाहे वह कहीं से आता हो, आक्रमण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे । हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे क्योंकि हमारी शांति की नीति है, लेकिन हम अपने देश की एक इंच भूमि भी किसी को लेने नहीं देंगे । यही मेरा कहना है ।

†**श्री मानवेन्द्र शाह** (टिहरी गढ़वाल) : विरोधी दल के नेता ने अपने भाषण के दौरान में कहा था कि कुछ गांवों के क्षेत्रों के बारे में ही झगड़ा है । उन्होंने यह भी कहा कि दलाई लामा को भारत में शरण देने के कारण ही झगड़ा शुरू हुआ । लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि नेफा और लद्दाख को वह कुछ गांवों का समूह कैसे कहते हैं । हम तथ्यों और प्रथाओं को आधार मानते हैं । इतिहास को अगर आधार भी माना जाये तो हमारा दावा ठीक है । यह सभी जानते हैं कि १३वें दलाई लामा ने सन् १९१२ में तिब्बत को चीनी शासन से अलग कर स्वतंत्र घोषित किया । सन् १९१७ में तिब्बत आंदोलन के दौरान में चीनी तिब्बत पर नियंत्रण न कर सके । १९१२ से लेकर १९१७ तक की अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण है । इस दौरान में तिब्बतवालों ने चीनियों के प्रभुत्व से अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया । तब से लेकर १९५० तक तिब्बत स्वतंत्र रहा । १९५०-५१ में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया । इस आक्रमण को वह "मुक्ति आन्दोलन" के नाम से पुकारते हैं । १९५४ में उन्होंने भारत सरकार से भी कहा कि वह इस आन्दोलन को मान्यता प्रदान करे । और तिब्बत में चीन के प्रभुत्व को स्वीकार करे । लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अगर तिब्बत चीन का ही एक भाग तो उन्होंने एक तीसरे दल अर्थात् भारत से इसकी मान्यता देने के लिए क्यों कहा । इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि तिब्बत चीन का अंग नहीं था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिमला सम्मेलन में, जिस में मैकमोहन लाइन को सीमा निर्धारित किया गया चीनी सरकार के प्रतिनिधि की स्थिति एक प्रकार से व्यर्थ थी । उस सीमा को तिब्बत सरकार के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया था । मैकमोहन लाइन वह लाइन नहीं थी जिसका दावा चीनी करते थे । नेफा भारत का अंग था । यही बात लद्दाख और मध्य हिमालियन क्षेत्र की थी ।

इस प्रकार यही बात भूटान के साथ भी लागू है । क्योंकि चीनी जिस भाग का दावा कर रहे हैं वह भी मैकमोहन लाइन के दक्षिण में है । सिक्कम सीमा के बारे में प्रधान मंत्री बता चुके हैं कि १८९० में आंग्ल चीनी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे जिस पर चीन तथा भारत सरकार दोनों ने ही हस्ताक्षर किये थे उस १८९५ में दोनों ने संयुक्त रूप से सीमा निर्धारित की । ऐसी स्थिति में झगड़े का क्या कारण हो सकता है यह बात मेरी समझ में नहीं आई । लद्दाख जिसके बारे में कि आज चीनी लोग झगड़ा कर रहे हैं यह काश्मीर का ही अंग था ।

मध्य हिमालियन क्षेत्र में झगड़ा कुछ गांवों तथा चरागाहों के बारे में है । लेकिन हमें प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि इस भूमि का एक इंच भी वह किसी दूसरे को नहीं देंगे । अगर प्रधान मंत्री ने यह बात नहीं कही होती तो कुछ निहित व्यक्ति इस पर अपना अधिकार कर लेते ।

सीमा के बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं प्रधान मंत्री के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि सीमान्त पर जितनी भी चौकियां हैं उनको तुरन्त ही प्रतिरक्षा बलों में बदल देना चाहिए । सीमा की सारी पुलिस को भी प्रतिरक्षा बल में बदल देना चाहिए । इस में और समय बरबाद करने की आवश्यकता नहीं है ।

सीमा की चौकियां गर्मियों में तो अपने स्थानों पर रहती हैं लेकिन जाड़ों में वे काफ़ी पीछे हट आती हैं । अतः मेरा निवेदन है कि ये चौकियां पूरे वर्ष अपने स्थान पर ही रहें अगर यह सम्भव नहीं है तो कम से कम सीमा के अधिक से अधिक निकट रहें ।

तीसरे सारे हिमालियन जिलों को सीमावर्ती जिले घोषित कर देना चाहये । और उनके आर्थिक विकास के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए । इस क्षेत्र के आर्थिक तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों के विकास के लिए एक समान नीति होनी चाहिए ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में मुझे केवल यही निवेदन करना है कि हमें समय और परिस्थिति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए ।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा) : श्री डांगे ने अपने भाषण में चीनी प्रधान मंत्री के उस पत्र का जो ९ ता० को मिला था उल्लेख किया है और कहा है कि उस पत्र से अन्य पहले एक-दो पत्रों से तथा अन्य दो-तीन बातों से जिनका उल्लेख श्वेतपत्र में है यह प्रकट होता है कि इस बारे में शांतिपूर्ण समझौता हो सकता है ।

उनका यह उत्तर हमारे प्रधान मंत्री के २२ मार्च के पत्र के उत्तर में है । लेकिन मार्च से लेकर अब तक इन छः महीनों में बहुत सी बातें हो गई हैं । ७ सितम्बर को श्वेतपत्र सभा पटल पर रखा गया था । उसी दिन यह निश्चय हुआ था कि श्वेतपत्र पर सभा में चर्चा हो । लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि चीनी दूतावास ने स्वयं उस पत्र की प्रतियां बहुत से संसद् सदस्यों को भेजीं । चीनी प्रधान मंत्री

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कासलीवाल]

का यह पत्र आश्चर्यपूर्ण है । इस पत्र से मुझे बहुत आघात पहुंचा है । इस प्रश्न के बारे में मूलभूत मतभेद का पता लगाने में उन्हें छः महीने लगे । उन्होंने उन परिस्थितियों का कोई उल्लेख नहीं किया है जिनके कारण उन्हें प्रधान मंत्री का उत्तर देने में इतने दिन लगे । उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह खेदजनक है । चीनी प्रधान मंत्री ने भारत पर आक्रमण करने का आरोप लगाया है । विश्व का कोई भी देश यह नहीं कह सकता कि भारत आक्रमण कर भी सकता है । भारत सदैव ही से शांतिपूर्ण रहा है । दूसरे देशों ने ही आक्रमणकारी नीति अपनाई है हम ने नहीं । यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हम ने यह आवाज उठाई है कि सभी मामलों का शांतिपूर्ण ढंग से हल हो । निःशस्त्रीकरण के मामले में भी भारत ने ही कहा था कि शांतिपूर्ण ढंग से मामला तै किया जाये । चीनी प्रधान मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि वह शांतिपूर्ण ढंग से समस्या का हल चाहते हैं । हम भी शांतिपूर्ण ढंग से हल चाहते हैं । हम पंचशील में विश्वास करते हैं जिसका उद्देश्य भी यही है । हम पंचशील के सिद्धान्त पर दृढ़ रहेंगे ।

हमारी सरकार आभार की पात्री है कि बहुत सी कठिनाइयों के होते हुए भी इस ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रवेश का प्रश्न उठाया । पश्चिमी देशों के समाचार पत्रों ने हमारी इस नीति की आलोचना की है लेकिन हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि यह मूलभूत सिद्धान्त है । किसी भी बड़े देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने से नहीं रोका जा सकता । इस के अलावा जब संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में तिब्बत तथा चीन द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण करने का प्रश्न उठाया जायेगा तो भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण करने वाला कह कर चीन की निन्दा की जायेगी । आशा है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय देश के जनमत का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी स्थिति में जब कि दूसरा देश शांतिपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान नहीं करता तो किस प्रकार उसका निवारण शांतिपूर्ण किया जा सकता है । उदाहरण के लिए वू जे तथा बड़होती का मामला ही ले लीजिये । शुरू में चीन ने इनकी संयुक्त रूप से जांच करने की बात कही थी लेकिन बाद को ८ अगस्त, १९५८ को उन्होंने संयुक्त रूप से जांच करने से इन्कार कर दिया । लेकिन इसका कारण आज तक पता नहीं चला । फिर वे किस प्रकार हमें दोषी ठहरा सकते हैं । यही बात लोंगजू के बारे में भी है । पहले उन्होंने ही शिकायत की थी न कि हम ने । उन्होंने कहा कि वहां भारतीय सैनिक टुकड़ियां गई हैं । हमारे प्रधान मंत्री ने तथ्यों का उद्घाटन करते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं है ।

अन्त में मेरा यही निवेदन है कि हम शांतिपूर्ण हल चाहते हैं ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : आज चीन ने जो पंचशील का प्रबल समर्थक था और प्रवर्त्तक था शांति और सद् पड़ौसी के मूल सिद्धान्तों को चुनौती दी है । चीन से हम ऐसी आशा नहीं थी, अनजाने में ही यह सब कुछ हुआ क्योंकि श्वेतपत्र के प्रकाशित होने तक हम यह नहीं जानते थे कि सभी आश्वासन और दिये गये वचन मानों किसी रद्दी कागज़ पर लिखे गये हों । यह प्रश्न मैकमोहन लाइन का नहीं था । चीन फिर से इस प्रश्न को उठाना चाहता है । अतः उन की चुनौती का ठीक प्रकार से उत्तर देना चाहिये ।

भारत की विदेश नीति एक क्रान्ति में से गुज़र रही है । क्योंकि हमारे तथाकथित पड़ोसी मित्र ने हमें चुनौती दी है । चीन की इस नीति ने आज सारे विश्व में क्रान्ति उत्पन्न कर दी है । और यह क्रान्ति भी गम्भीर स्थिति की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री चाऊ एन लाई ने इतिहास की बात कही है। हम ने अंग्रेज़ों से सत्ता ली है। और उनसे जो अधिकार और आभार हमें मिले वे हमारे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि में किसी भी नियम के अधीन उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन चीन आज हमारे उन अधिकारों को निर्लज्ज हो कर चुनौती दे रहा है। अगर आप श्वेतपत्र देखें तो आप को ज्ञात हो जायेगा कि चीन हमारे प्रधान मंत्री द्वारा सन् १९५४ में दिये गये वचनों का उल्लंघन कर रहा है।

चीन को विश्व निकाय क्षेत्र से अलग रखा गया था और जिन्हों ने उसे इस क्षेत्र से बाहर रखा इस बात का अनुभव किया कि वह बाहरी व्यक्ति है। क्योंकि वह साम्यवादी नेताओं के हाथ का खिलौना था। हम चाहते थे चीन इस बात का अनुभव करे कि अगर वह कोई ऐसा कार्य करता है तो अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अधीन जकड़ा जा सके।

यह कहा गया है कि चीन में वहां की जनता चीनी प्रधान मंत्री के पीछे है तो क्या हम यहां भेड़ बकरियां हैं जिन में अपना कुछ भी नहीं है। हम ने दलाई लामा को शरण दी है। और वह भी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधीन ; यह तो एक मानवीय तकाज़ा था। इस से चीन को नाराज़ होने अथवा अपनी बात से पीछे हटने का तो कोई कारण नहीं था। चीनियों नें यही बात बर्मा वालों के साथ की।

श्वेतपत्र को देखने से प्रकट होता है कि हम ने सदैव ही उन पर विश्वास किया लेकिन चीनियों ने हमारे प्रधान मंत्री के साथ धोखा किया। बातचीत कर के हम समस्या का समाधान करना चाहते थे लेकिन जब चीन ने इतिहास और भूगोल को भुला कर यह दावा किया कि वह उन की सीमा हमारे भारत के कुछ हिमालियन क्षेत्रों को मिला कर बनेगी तो शांति की नीति बिगड़ गई। और हमारे सामने यह प्रश्न आया। हमारा तो यह कहना है कि पहले चीन उन क्षेत्रों से वापस जाये जिन पर कि उस ने अधिकार कर लिया है। कहीं न कहीं हमें कठोरता से काम लेना होगा। एक ऐसे व्यक्ति के साथ शांति की नीति अपनाने से कोई लाभ नहीं है जो सन् १९५४ से ही हमारे प्रधान मंत्री द्वारा कही गई बातों को चुनौती दे रहा हो। हमारे द्वारा श्वेतपत्र के प्रकाशित कराने के पश्चात् उन के द्वारा उन के प्रधान मंत्री का पत्र प्रकाशित करना एक राजनैतिक चाल है। चीन में हमारे विरुद्ध गलत प्रचार किया जा रहा है। फिर ऐसी स्थिति में बातचीत की गुंजाइश कहां रह जाती है।

अतः अगर हम चीन के साथ शांति स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें प्राकृतिक सीमा को स्वीकार करना चाहिये। यह सीमा अंग्रेज़ों द्वारा नहीं बनाई गई थी। यह तो हमारे यहां आदिकाल से चली आ रही है। इस सीमा का उल्लेख तो महाभारत और मेघदूत में भी मिलता है। अतः मेरा निवेदन है कि हमारी नीति सदैव ही शांति तथा तटस्थ रहने की रही है और इस को प्रशंसा न केवल हमारे यहां ही हुई है बल्कि सारे विश्व ने इस नीति की प्रशंसा की है। अतः इस नीति को बनाये रखना चाहिये। यही हमारे सामने महान कार्य है। हमारा प्रधान मंत्री में अटूट विश्वास है। देखिये कि वह किस प्रकार इन परिस्थितियों का सामना करते हैं।

†**श्री थानू पिल्ले** (तिरुनेलवेली) : सीमा विवादों का प्रश्न सचमुच बड़ा ही महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यों ने इस विषय पर विचार प्रकट करते हुए चिन्ता प्रकट की है। उन्हें शायद यह सन्देह है कि हमारी सरकार आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने का साहस नहीं करेगी। हमें यह याद रखना चाहिये कि आज हमारे देश में श्री नेहरू से बढ़ कर साहसिक देशभक्त और कोई दूसरा नहीं है। उन का अनुसरण कर हम सब ने देश प्रेम की ज्योति जगाई है। एक प्रशासक का दृष्टिकोण एक आन्दोलनकारी से भिन्न ही होता है। हमें उन के दृष्टिकोण में गड़बड़ करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। मेरा यह मतलब नहीं कि मैं आज की विकट परिस्थिति के प्रति जागरूक नहीं, परन्तु हमें

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री थानू पिल्ले]

भयभीत नहीं होना चाहिये । हमें इस बात का पूरा विश्वास रखना चाहिये कि आह्वाहन किये जाने पर हमारे देश की जनता अपने देश की रक्षा के लिये पीछे नहीं रहेगी । निस्सन्देह हम ने अहिंसात्मक युद्ध लड़ कर स्वतंत्रता प्राप्त की है, परन्तु समय आने पर हम अपनी संस्कृति और परम्परा के अनुसार पूरी शक्ति से हिंसा का उत्तर हिंसा से भी देंगे । हमारा नेता डरा हुआ नहीं है, वे तो शान्ति का वातावरण बनाये रखना चाहते हैं । अन्य लोगों और राष्ट्रों के नेताओं की भांति उन के कथन और कार्य में अन्तर नहीं पाया जाता ।

हम प्रधान मंत्री के नेतृत्व में चल रहे हैं । चीन के प्रधान मंत्री ने अपने पत्रों में उन्हें काफी नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है । केवल दृष्टिकोण का भेद है । साम्यवादी दल के नेता का कहना है कि दलाई लामा को आश्रय देने के कारण चीन नाराज हो गया है । साथ ही उन्हों ने बड़े अधिकार से यह बात कही है कि चीन भारत पर आक्रमण नहीं करेगा । पता नहीं कि किस आधार पर यह चीन का प्रतिनिधित्व करते हुए उस की ओर से यह गारन्टी दे रहे हैं । ये अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के दूत प्रायः समयानुसार अपने सिद्धान्त बदलते रहते हैं । परन्तु हमारे सिद्धान्त अटल हैं । और इन साधारण बातों से हम अपने सिद्धान्तों से विचलित न होंगे । सत्य पर आधारित प्रत्येक बात ऊंची रहती है और वह अपने स्थान से इधर उधर नहीं हो सकती । हम ने तो यह बात स्वीकार की है कि विभिन्न विचारधाराओं का सहअस्तित्व सम्भव है, परन्तु हमारे ये भाई हैं कि दूसरे की विचारधारा को जीवित देखना सहन ही नहीं कर सकते । किसी न किसी पर्दे में यह अपना काम करते रहते हैं । परन्तु बड़े बड़े खतरों में भी हम ने अपनी स्वतंत्रत विदेश नीति को नहीं छोड़ा है । १९५२ में खाद्य स्थिति खराब होते हुए भी प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम भूखे मर जायेंगे परन्तु किसी राष्ट्र की शर्तें मान कर कोई सहायता स्वीकार नहीं करेंगे । हमारे देश के लगभग सभी दल इस नीति को उचित बता चुके हैं । अब कुछ लोगों की आवाज सुनाई दे रही है कि हमारी विदेश नीति गलत है ।

साम्यवादी मित्र तो इस ताक में रहते हैं कि समय आने पर सरकार की आलोचना की जाय । आज इस उद्देश्य के लिये उन्हें "सीमा की समस्या" और विदेश नीति का विषय मिल गया है । ये स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं । ये लोग मॉस्को अथवा पेकिंग से प्रेरणा प्राप्त करते हैं । उन के परामर्श से ही यह अपनी नीति निर्धारित करते हैं । तिब्बत को आजाद करने का नारा लगाते हुए ये लोग उसे गुलाम बना रहे हैं । खैर हम तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता को मान चुके हैं अतः हम उस में हस्तक्षेप नहीं करेंगे । दलाई लामा को जो आश्रय दिया गया है वह मानवीय आधार पर दिया गया है । इस के अतिरिक्त उन का हमारा सांस्कृतिक सम्बन्ध भी है और हम चाहते हैं कि यह मैत्री बनी रहे ।

इस के अतिरिक्त मेरा यह निवेदन है कि चीन ने लद्दाख में से जो सड़क बनाई है, यह भारत के अधिकारों का अतिक्रमण है । यह ठीक है कि यह रास्ता छोटा है और सुविधा के लिये इस की व्यवस्था जरूरी थी । परन्तु हमारे क्षेत्र में यदि कुछ किया जाय तो हमें पूछ कर किया जाना चाहिये । बिना पूछे हमारे क्षेत्र में सड़क बना लेना गलत है ।

हम प्रधान मंत्री के विचार का समर्थन करते हैं । हमें भयभीत नहीं होना चाहिये । हमें अपनी जनता को बताना चाहिये कि हमारे पड़ौसी देश का व्यवहार ठीक नहीं है । वह आंखें बदल रहा है अतः हमें पूरी तरह से सचेत रहना चाहिये ।

†**श्री कर्णी सिंहजी** (बीकानेर) : मुझे श्वेत पत्र को देख कर बहुत दुख हो रहा है कि इन आक्रमणों की बात हम से इतने लम्बे समय तक क्यों छिपाई गई । संसद को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया ।

आज सारा देश इन आक्रमणों से चिन्तित है । प्रश्न यह है कि हम इस समस्या को कैसे हल करें । कुछ माननीय मित्रों ने सुझाव दिया कि हमें शक्ति का प्रयोग करना चाहिये । पर मेरा कहना है कि हमें अपने किसी शत्रु की शक्ति को कभी भी कम नहीं समझना चाहिये । चीन की जनसंख्या बहुत बड़ी है । फिर, अपनी नीति के कारण हमारा किसी गुट या देश के साथ गठबन्धन नहीं है ।

स्पष्ट है कि युद्ध के अलावा दूसरा रास्ता बातचीत व समझौते का है । हमारे प्रधान मंत्री समझौते से समस्या को हल करने का प्रयत्न करते आये हैं । सफलता मिलना न मिलना भाग्य की बात है । यदि सफलता न मिले, तो फिर हमें कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा ।

दलाई लामा के मामले के बाद अब चीन समझौता व बातचीत करने के विचार में नहीं है । वह मैकमोहन लाइन का भी नहीं मानता । अब समस्या यह है कि आखिर समझौता किस आधार पर हो । मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस बात पर कुछ प्रकाश डालेंगे । हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यदि हमें चीनियों को निकालने के लिये हथियार उठाने पड़े, तो हमें वह गलती फिर नहीं करनी चाहियें जो हम ने १९४८ में पाकिस्तान के मामले में की थी । हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारे मुझे कभी भी अपील नहीं करते थे क्योंकि हम जानते हैं कि चीन का और भारत का कहां का साथ । हम लोकतंत्रवादी हैं और वह एकाधिकारवादी । यह एक बहुत बड़ी गलती होगी यदि हम यह समझें कि भारत और चीन मित्र बन सकेंगे ।

साम्यवादी देश होने के नाते चीन का दृष्टिकोण सभी बातों के प्रति भिन्न है । हमें चीन से मित्रता की बातें करते समय ध्यान रखना चाहिये कि हम ध्यान रखें कि क्या वास्तव में चीनी हमारे मित्र हो सकते हैं ? चीन केवल शाब्दिक सहानुभूति ही प्रकट करता है और वह भी तभी तक जब तक कि बात उन के हित की हो ।

चीन ने लद्दाख में सड़क बना ली है । मुझे आश्चर्य है कि हमारी सरकार को बहुत समय तक इस बात का पता भी नहीं था । चीन पर हम विश्वास नहीं कर सकते । जब पंचशील की बात चीन ने मानी थी तो हमें अपनी सीमा भी निर्धारित कर लेनी चाहिये थी । हम ने कभी भी नहीं सोचा था कि चीन हमारी सीमा पर इस प्रकार आक्रमण करेगा । मैं प्रधान मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि हमें गुटबन्दी की नीति नहीं अपनानी चाहिये पर हमारे लिये यह भी आवश्यक है कि हम कुछ लोकतंत्रात्मक देशों को अपना मित्र बना लें, वर्ना बिल्कुल अकेले रह जायेंगे ।

इस समय सरकार को अपना मार्ग निश्चित करना है । यदि आप चीन से समझौता करेंगे, तो चीन इसे हमारी कमजोरी समझेगा । मैं समझता हूं कि भारत को हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पर यदि आवश्यकता पड़े तो हमें अपनी सेना को तथा जवानों को पूर्ण प्रोत्साहन देना चाहिए । यह आवश्यक है कि हम इस आक्रमण को हटायें ।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : हम जो कुछ भी यहां कहते हैं वह बात सारे संसार के सामने जाती है । प्रधान मंत्री ने हमें परामर्श दिया है कि हमें शान्ति के रास्ते पर अडिग रहना चाहिए । पर हमारे सामने एक गंभीर समस्या है । क्या पंचशील का भंग नहीं हुआ है । चीन

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जोकीम आल्वा]

से हमारे २,००० वर्ष पुराने संबंध है। क्या वे इस समय भंग नहीं हो गये हैं। क्या हमारी दोस्ती सुरक्षित है ? हम जो कुछ कहें, वे बातें ऐसी नहीं कि हमारी दोस्ती में उनसे बाधा पैदा हो। पर सवाल यह है कि आखिर इस समस्या का हल क्या है ? युद्ध हम लोग चाहते नहीं। मुझे आश्चर्य है कि मेरे मित्र डा० राम सुभग सिंह ने यह बात कैसे कह दी कि हमें उस क्षेत्र को बम से उड़ा देना चाहिए।

†**डा० राम सुभग सिंह** : जैसा कि प्रधान मंत्री ने उस दिन बताया था कि हम वहां तक अपने सैनिक नहीं पहुंचा सकते। ऐसी स्थिति में मेरा यही कहना है कि वहां बम चला कर चीनियों को पीछे भगा दिया जाये।

†**श्री जोकीम आल्वा** : माननीय मित्र को मालूम होना चाहिए कि बम बारी कोई आसान बात नहीं है। इससे बड़ी बरबादी होगी। हमें इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। हमें बातचीत या समझौते से मामले को तय करना चाहिए पर साथ ही हमें अपनी स्थिति को संभाले रखना चाहिए। हम नहीं चाहते कि भारत व चीन के संबंध वैसे ही हों जाये जैसे चीन व जापान के हो गये हैं।

हम अपनी शक्ति जानते हैं। भारत एक बहादुर देश रहा है। फिर भी हमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी व करनी चाहिए जिससे पंचशील का उल्लंघन हो।

मेरे मित्र श्री मसानी ने कहा कि हमारी विदेशी नीति में परिवर्तन होना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री को बदला जाना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। चीनियों को यह समझ लेना चाहिये कि यदि वह इस तरह की बातें करेंगे, तो हम भी सीटो के सदस्य बन सकते हैं।

आज सारा संसार चाहता है कि हम किसी गुट में–पूर्वी या पश्चिमी–सम्मिलित हो जायें। पर हम अपनी पुरानी नीति पर अडिग हैं। आज हम चीन के आक्रमण के संबंध में बहुत चिन्तित हैं। चीन किस शक्ति के पीछे यह सब कर रहा है, मैं नहीं समझता।

दलाई लामा की हम सब इज्जत करते हैं पर हम उन्हें अपने किसी भिन्न देश के विरुद्ध कोई काम करने की अनुमति, भारत में रहकर, नहीं दे सकते। चीन ने आज हमारी सीमा में आक्रमण करके अपने को आक्रमक बना लिया है।

आज हमें बड़ी गंभीरता व सोचविचार के बाद निर्णय करना है। जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री समय सीमित होने के कारण, मैं सभी दलों के माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दे पाया।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : मुझे बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहनी थीं। लेकिन मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया। इसलिये मैं सभा से उठकर जा रहा हूं।

†**श्री वाजपेयी** : मैं ने एक स्थानापन्न प्रस्ताव की सूचना दी है। सरकार ने मेरे सुझाव पर ही श्वेतपत्र रखा है। इसलिये मुझे बोलने का अवसर न देना अनुचित है। मैं भी सभा से उठकर जा रहा हूं।

[इसके पश्चात् राजा महेन्द्र प्रताप और श्री वाजपेयी सभा से बाहर चले गये]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस बहस के दौरान में बहुत सारी बातें कही गई हैं। उनमें से कई के बारे में मैं कुछ कहना भी चाहता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि अच्छा यही रहेगा कि मैं उन सब के ब्यौरे में अपने आपको न उलझाऊं, और इस पूरी बहस के दौरान में उठी कुछ अहम चीज़ों पर ही सारा जोर दूं।

चीन के प्रधान मंत्री श्री चाऊ एन लाई ने मेरे पास सब से हाल में जो पत्र भेजा है, उसमें कई बातें उठाई गई हैं, कई सवाल उठाये गये हैं। जाहिर है कि उन सभी पर पूरी तौर से सोचने विचारने के बाद ही उनका जवाब दिया जायेगा, जल्दबाज़ी नहीं की जायेगी। अभी उन बातों पर गौर किया जा रहा है। मैं इस बहस में उस पत्र को शामिल नहीं करना चाहता। एक तो इसलिये कि हमें श्री चाऊ एन लाई से जो जो बातें कहनी हैं, उनके बारे में सभा को विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं, वह तो सहमत हैं ही। दूसरे यह भी है कि उनको यहां लेने से मैं उनके ब्यौरे में ही उलझकर रम जाऊंगा।

मैं सब से पहले तो श्री कर्गी सिंह जी द्वारा कही गई बात का ज़िक्र करना चाहता हूं। उन्होंने एक ऐसा सवाल उठाया है जिस पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि उनकी राय में उन्हीं लोगों के साथ पंचशील का समझौता होना चाहिये जो उनके साथ सहमत हों। मुझे तो यह एक बड़ी अजीब सी बात लगती है कि मैं तभी तक सहनशील बनने में यकीन करता हूं, जब तक कि आप हमारे साथ सहमत हों। अगर आप सहमत नहीं होंगे, तो मैं आप का सिर तोड़ दूंगा। सहनशीलता और सहनशील बनने का उनका यही नज़रिया है। उनकी पंचशील की यही समझ है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है: "हमें अपने ही पैरों पर खड़ा होना चाहिये।" कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कहा "हमें दूसरों से मदद लेनी चाहिये।" ऐसी बातें कहने वाले लोग जोश-खरोश भरी चाहे जितनी भी बातें कहें, लेकिन असल में अन्दर से बड़े कमज़ोर, कम हौसले वाले और जरा-जरा सी बात पर खतरे से डर जाने वाले लोग ही मालूम पड़ते हैं। एक राष्ट्र, एक देश इस ढंग से अपने सामने आने वाले खतरे का, चुनौती का सामना नहीं किया करता। वह चारों तरफ़ यह नहीं देखता कि कोई दूसरा उसकी मदद कैसे कर सकता है। अगर आप खुद ही उस खतरे और उस चुनौती का सामना करने लायक नहीं है, तो फिर दूसरा आपकी क्या मदद कर सकता है? हमें यह बात बिल्कुल साफ़-साफ़ समझ लेनी चाहिये कि मैं भारत के प्रधान मंत्री की हैसियत से, और मेरी सरकार दोनों ही इस बात पर दृढ़ हैं कि हम किसी भी गुट में शामिल न होने की अपनी नीति नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी नीति पर जमे रहेंगे। लोग जो भी चाहें कहें, पर हम अपनी नीति पर अटल रहेंगे। यह पंचशील का सिद्धान्त, यह उसूल एक ऐसी सचाई है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता। सचाई तो अपनी जगह है, हमारे उससे सहमत होने, उसकी बिना पर अपनी नीति बनाने, या चीन के उससे सहमत न होने से, वह सचाई तो नहीं मिटती। उसे कोई भी ग़लत साबित नहीं कर सकता। अगर कोई झूठ बोले, तो आप उसका सिर तोड़ देने की बात कहें, वह तो एक दूसरी ही बात है। लेकिन क्या आप यह भी कहना चाहेंगे कि "दूसरा आदमी झूठ बोलता है, इसलिये आप भी सच न बोलिये।" क्या आप इसे मानते हैं?

आज दोपहर को यहां जो बातें कही गई थीं, उनमें से कुछ तो बड़ी अजीबोगरीब थीं। मैं जानता हूं कि यह गुस्सा दिलाने वाली बात है, जरूर है। मैं इस जोश और इस भावना को भी बिल्कुल ठीक समझता हूं कि भारत की इज्जत, भारत के आत्म-सम्मान और भारत की एकता पर किसी को एक उंगली तक नहीं उठाने देनी चाहिये। बिल्कुल सही बात है। लेकिन डा० राम सुभग सिंह ने इसी सिलसिले में पहाड़ी इलाक़ों और वहां के बाशिन्दों पर बम बरसाने की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जो बात कही है, वह सचमुच बड़ी अजीबोग़रीब है। उससे पता चलता है कि उन्हें अपने ऊपर बिल्कुल भी काबू नहीं रह गया है। वह न बमबारी को समझते हैं, न पहाड़ों को, न इन्सानों को और न दूसरी किसी भी चीज को। इससे सिर्फ यही जाहिर होता है वह अपना सन्तुलन खो बैठे हैं, गुस्से और जोश से अपने पर काबू खो बैठे हैं। और अगर यह देश संकट के दिनों में इसी तरह गुस्से से काम करने लगे, तो फिर वह संकट का मुकाबला कैसे करेगा। क्या यह संसद् इसी ढंग से काम करेगी? अगर ऐसे कुछ सुझाव मान लिये जायें, तो फिर पता नहीं हमारा क्या होगा। अगर सभी लोग एक दूसरे का सिर तोड़ने पर आमदा हो जायें, तो फिर देश की क्या हालत हो जायेगी? और क्या कुछ माननीय सदस्यों ने कहा हमारे देश की एक इंच ज़मीन भी नहीं जाने दी जायेगी। ऐसी जोशीली बातों में कोई भी सार नहीं। यह तो बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई लड़कर या किसी दबाव से चाहे तो हमारे देश की एक आधे इंच ज़मीन भी नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसे मामलों में हम कोई भी दबाव मानने के लिये तैयार नहीं। उस हालत में वह एक इंच या गज़ या एक मील का सवाल नहीं रह जाता। वह तो तब दबाव के सामने सिर झुकाने का सवाल बन जाता है। और हम दबाव के सामने कभी सिर नहीं झुकायेंगे, चाहे हमारे देश का कुछ भी हो।

लेकिन इस तरह की जोश भरी बातों का तो कोई मतलब ही नहीं होता। मुझे यहां पार्लियामेंट में बैठे ऐसी आग-बबूलों भरी तक़रीरें नापसंद हैं। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल नापसन्द हैं कि अगर आप किसी के किसी काम या उसकी किसी बात को पसन्द नहीं करते तो उस पर बमबारी करते फिरें। लोगों की ऐसी बहुत सी चीज़ें होतीं हैं, जो हमें पसन्द नहीं होती। आचार्य कृपालानी ने मुझ पर कई इल्ज़ाम लगाये हैं। शायद वह सही भी हों। लेकिन उनकी यह बात तो ग़लत है कि मैं ज़रूरत से ज्यादा नर्मी बरतता हूं। दूसरे लोग तो अकसर मेरे बारे में ऐसी बात नहीं कहते। उन्होंने गांधी जी का भी हवाला दिया था। गांधी जी ने और जो भी कहा या किया हो, लेकिन वह कभी भी हमारे इन कुछ लोगों की तरह चीखें-चिल्लाये नहीं थे। यह जरूर है कि वह जो भी कुछ करते थे उस पर अटल रहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा ही बड़ी नरमी से भरी रहती थी। वह अपने विरोधियों और यहां तक कि अपने दुश्मनों से भी बड़ी नरमी के साथ पेश आते थे, हमेशा उन्हें अपनी तरफ़ लाने की कोशिश में लगे रहते थे। हम गांधी होने का दावा नहीं करते, हम तो उनके दूर के अनुयायी कहलाने लायक़ भी नहीं। लेकिन मैं यह जरूर मानता हूं कि गैर-देशों से ताल्लुक़ रखने वाले मामलों में हमें नरमी से, लेकिन मजबूती से, अपनी बात पर अटल रहना चाहिये। हम जिसके आदी बन चुके हैं, उस तरह चीख़-चिल्लाकर हमें अपनी बात नहीं कहनी चाहिये। अपनी आंखें बन्द करके, बिना सोचे-समझे एक दूसरे को कोसने वाली बातें नहीं कही जानी चाहिये। "कोल्डवार" (शीतयुद्ध) में इस्तेमाल किये जाने वाले तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिये। डा० राम सुभग सिंह की तरह बमबारी की बातें नहीं करने लगना चाहिये।

आचार्य कृपालानी ने यह भी कहा था कि हमें चीखना चाहिये; हमें और बुलन्द आवाज़ में बोलना चाहिये। इस सिलसिले में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हमारे सामने एक बहुत गम्भीर मसला है, और ऐसे गम्भीर मसलों के बारे में सिर्फ उत्तेजित हो जाने से या आवेश में आ जाने से कोई बात नहीं बनती। जाहिर है कि ऐसे मामलों में हमें अपनी जगह पर मजबूती से पैर जमाये रहना चाहिये। जहां मुजबूती दिखाने की बात हो, वहां मजबूती ही दिखानी चाहिये। लेकिन हवा में तो मज़बती नहीं दिखाई जाती, हर अच्छी या बुरी चीज़ के बारे में तो मज़बूती नहीं दिखाई जाती। कुछ

चीजें अहम होती हैं, और कुछ इतनी अहमियत नहीं रखतीं। अहमियत रखने वाली चीज़ों के बारे में तो हमें अपनी जगह पर अटल रहना चाहिये, चाहे कुछ भी क्यों न हो। अगर कोई आदमी हर एक चीज़ पर अड़ने की कोशिश करे, तो उस का मतलब है कि वह किसी भी बात पर मजबूती नहीं दिखाता। दुनिया में कोई भी आदमी हर एक चीज़ के बारे में अटल नहीं रह सकता। इस की भी हर आदमी की अपनी-अपनी सीमायें होती हैं, हदें होती हैं। अमरीका और सोवियत संघ बहुत ही ज़्यादा, सब से ज्यादा ताकतवर देश हैं, लेकिन वे दोनों भी अपनी अपनी सीमायें जानते हैं कि किस बात पर, किस हद तक वे मजबूती से जमे रह सकते हैं, अड़ सकते हैं। और वे उन हदों से आगे नहीं बढ़ते। अगर उस से आगे बढ़ जाते तो अभी तक कभी की जंग छिड़ गई होती। और दुनिया तहस नहस हो गई होती। हम यहां इस तरह की बातें कहते हैं कि हमें मज़बूती से डटना चाहिये, हमें लड़ना चाहिये अपने खून की आखिरी बून्द तक बहा देनी चाहिये---इस तरह की बातें हमारा ध्यान अहम सवालों की तरफ से, वाकई मुश्किल सवालों की तरफ से हटा देती हैं। स्थिति काफी गम्भीर है।

प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई के आख़िरी पत्र में कहीं-कहीं बड़ी नरमी से भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है और कहीं हालत को ज्यों की त्यों, पहले की तरह ही बनाये रखने की, आपस में बैठ कर बातचीत करने वग़ैरह की बातें कही गई हैं। लेकिन उस में बुनियादी तौर पर कुछ बड़े गम्भीर मसले उठाये गये हैं, ऐसे मसले जो सरकारी तौर पर पहली बार उठाये गये हैं।

अभी मैं यहां बैठा बैठा पीकिंग में हुई किसी एक कांग्रेस में हुई बहसों की रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस कांग्रेस में प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई ने करीब करीब वही सब कुछ कहा है जो इस पत्र में कहा गया है। और जाहिर है कि यह जानने के लिये भी कोई बड़ी अक्लमन्दी की जरूरत नहीं कि कांग्रेस में बोलने वाले दूसरे सभी लोगों ने प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई का समर्थन ही किया है। इसी बात का समर्थन किया है कि :

> "हमें यह देख कर बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि श्री नेहरू ब्रिटिश साम्राज्यवाद की हिमायत कर रहे हैं। किसी ने श्री नेहरू से पूछा : ब्रिटिश साम्राज्यवाद की हिमायत करते वक्त वह किस की तरफ़ से बोल रहे हैं ? अब प्रधान मंत्री नेहरू और भारत सरकार पिछली सदी में ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा चीन के खिलाफ रची गई हमलावर योजना को एक ऐसी सच्चाई मानने लगे हैं, जिस के बारे में अब बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं, जिसे मिटाया ही नहीं जा सकता। क्या यह सब श्री नेहरू द्वारा रखे गये पांच सिद्धान्तों से मेल खाता है ....."

इसी तरह की और बहुत बातें भी कही गई हैं। जैसेकि हमारे यहां के कुछ लोगों ने मैकमहोन लाइन के बारे में बड़े जोरदार ढंग से कहा है कि उस से एक इंच भी पीछे नहीं हटना चाहिये उसी तरह, उसी लहजे में उधर चीन में भी, मैकमहोन लाइन के ख़िलाफ इतनी ही जोरदार बातें कही जा रही हैं। तो यह हालत है।

जाहिर है कि इस तरह का सवाल दिल्ली या पीकिंग में प्रस्ताव पास करके या एक दूसरे के खिलाफ गर्मागर्मी दिखा कर हल नहीं किया जा सकता। इसे हल करने का तो कोई दूसरा ही तरीक़ा निकालना पड़ेगा---या शांतिपूर्ण ढंग से या लड़ाई के ढंग से ही इसका हल होगा। ऐसे मामलों में ही नहीं, बल्कि सभी मामलों में, दुनिया में हर जगह के समझदार लोग लड़ाई से बचना चाहते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क भी आज लड़ाई के अलावा कोई और रास्ता निकालने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी हालत में हम लड़ाई की बातें करें, तो वह एक बड़ा मखौल सा लगता है।

••

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कमजोर से कमजोर आदमी या छोटे से छोटे देश के लिये यह कहना एक बिल्कुल दूसरी बात है कि वह किसी भी बुराई के आगे सिर नहीं झुकायेगा, चाहे जो भी हो जाये । यह तो एक दूसरी ही बात है कि हम बुराई के सामने, बेइज्ज़ती और ज़बरदस्ती के सामने सिर नहीं झुकायेंगे और गांधी जी के मुताबिक़ तो एक अकेला आदमी भी यह कह सकता है । लेकिन अगर कोई मुल्क अपनी ताक़त के घमण्ड में वह कहे कि वह अपनी फौजों और बमों के बल पर ऐसा या वैसा कर सकता है, तो वह इस से एक बिल्कुल ही उल्टी बात है । इन दोनों नज़रियों में ज़मीन आसमान का फर्क है ।

आज चीन में क्या हो रहा है ? मैं तीखे अल्फाज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आज चीन अपनी ताक़त के घमण्ड में चूर है, जो उस के हमारे प्रति अल्फाज़, उस के बर्ताव, तौर तरीके और ढंग से बिलकुल साफ झलक रहा है ।

और तब यह सवाल सिर्फ मेकमहोन लाइन से एक दो मील इधर या उधर होने का एक छोटा मोटा सवाल नहीं रह जाता । मैं आप भी कहता हूं कि मैकमहोन लाईन इधर उधर एक दो मील का सवाल एक छोटा मोटा सवाल ही है । लेकिन चीन के नक्शों में भारत के बड़े बड़े इलाकों को चीन के इलाकों की तरह दिखाना एक छोटा सवाल नहीं रह जाता । यह एक काफी बड़ा सवाल बन जाता है । हां अगर, किसी टुकड़े को उस में ग़लत ढंग से रखा गया होगा, तो मैं उसे देने के लिये तैयार हो जाऊंगा, मैं वह टुकड़ा दे दूंगा, क्योंकि मैकमहोन लाइन तो एक काफी मोटी सी लाइन है, जो भूटान और बरमा की सीमा के बीच से बरमा तक जाती है। कुछ जगहों पर तो वह बिलकुल साफ है, लेकिन कुछ जगहों पर इतनी साफ नहीं है और कुछ इलाक़ों में तो उस के निशान भी मौजूद नहीं । ऐसी जगहों और इलाक़ों में आप को और दूसरी बातें देख कर तय करना होता है । जिस आदमी ने वह लाइन बनाई थी, उस का नज़रिया एक मोटे तौर पर यह था कि नदियों, झीलों, वगैरह को ही सीमा माना जाये । इसलिये जब मैं मैकमहोन लाइन की बात कहता हूं तो मेरा मतलब यही होता है कि मोटे तौर पर इसी नज़रियों को माना जाये । लेकिन अगर फिर भी, कुछ ऐसे तथ्य हों या कोई सबूत ऐसे सामने आयें जो इस के खिलाफ हों, तो उस लाइन में थोड़ा हेरफेर किया जा सकता है । वह तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं । लेकिन उस का फैसला कुछ तथ्यों और सबूतों की बिना पर ही किया जायगा, किसी के दबाव या ज़बर्दस्ती से नहीं ।

मैं ने बातचीत द्वारा या किसी को मध्यस्थ बनाने या पंच बना कर इस मामले का फैसला करने की भी बात कही थी । उस से मेरा यही मतलब था कि इन छोटे-मोटे मसलों को, छोटी मोटी फेर बदल करने के इन सवालों को किसी पंच या मध्यस्थ के जरिये तय कराया जा सकता है । मैं उन जगहों के नाम भूल रहा हूं । मैं ने शायद लोंगजू और होती, और कुछ ऐसी ही दूसरी जगहों के सिलसिले में ही वह कहा था । होती तो खैर मैकमहोन लाइन पर नहीं है, वह तो उत्तरप्रदेश में है । इन में थोड़ा हेर फेर करने की बातचीत शान्तिपूर्ण ढंग से, दोस्ताना तौर पर चलाई जा सकती है और अगर काफी सबूत मौजूद हों तो उन में कुछ तब्दीली भी की जा सकती है ।

लेकिन आज हम इस पर गौर नहीं कर रहे हैं । आज हम उस से बड़ी चीज़ पर, कहीं ज्यादा अहम मसले पर गौर कर रहे हैं । और वह है चीन का दावा जो चीन के नक्शों में किया जाता रहा है और जिसे प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई ने अब पहली बार अपनी आखिरी पत्र और अपनी स्पीचों में दोहराया है । अब वह दावा और साफ शक्ल में हमारे आगे आ रहा है । इस से पहले तो जब भी कभी उन नक्शों का जिक्र किया जाता था, तो उस तरफ से कह दिया जाता था : "वे बड़े पुराने नक्शे हैं, हम उन्हें नये सिरे से तैयार करेंगे ।" वह जवाब काफी नहीं था, लेकिन एक तरह का जवाब तो

था, आगे कभी जवाब देने की बात तो थी। लेकिन अब तो उस की एक खास शक्ल साफ-साफ उभरती आ रही है। उन नक्शों को ही काफी सही बताया जा रहा है। हमें अभी ठीक-ठीक नहीं मालूम कि चीन किस सीमा को सही मानता है, किन किन इलाक़ों को चीन का हिस्सा समझता है, या उस का दावा करता है। यह एक ऐसा बर्ताव है जो अनुचित है, गैर वाजिब है, ऐसा है जो किसी मुल्क को किसी भी दूसरे मुल्क के साथ नहीं करना चाहिये और खास तौर से तब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिये जबकि वे एक दूसरे के दोस्त रहे हों। आज यही सब से बड़ा सवाल हमारे सामने है।

मैं फिर दोहराता हूं कि अभी इस वक्त हम इन छोटी-मोटी जगहों के बारे में परेशान नहीं हैं। हां एक छोटी जगह भी तब बड़ी अहम बन जाती है जबकि कोई जोरजबरदस्ती से, या हमला कर के उसे हम से छीनना चाहे। उस हालत में तो एक गज़ जमीन का टुकड़ा भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि तब उस हालत में एक गज़ का वह टुकड़ा नहीं बल्कि जोरजबरदस्ती ही खास चीज़ बन जाती है। लेकिन उन छोटी-मोटी जगहों के बारे में आपसी तौर पर बैठ कर बातचीत की जा सकती है। क्योंकि उस पहाड़ी इलाके की कुछ गज़ ज़मीन इधर रहे या उधर, इस से दोनों मुल्कों के लिये कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई हमला कर के, बेइज्ज़ती कर के, जोरजबरदस्ती से उसे लेना चाहे, तो उस में ज़मीन आसमान का फर्क पड़ जाता है।

मुझ पर एक इल्ज़ाम यह भी लगाया गया है कि मैं ने इन अहम मामलों के बारे में पार्लियामेंट को सभी बातें नहीं बताईं, पूरी जानकारी नहीं जुटाई थी। इस में थोड़ी सचाई भी है। मैं आप को बताता हूं कि मैं ने कौन सी जानकारी नहीं जुटाई थी। सिर्फ एक ही ऐसी बात है, जो मैं ने वहां नहीं रखी थी, या जिस की जानकारी नहीं जुटाई थी। और वह है पिछले नवम्बर-दिसम्बर में अकासी चिन के इलाके और वहां बनने वाली सड़क के बारे में। बड़ा होती वगैरह के बारे में हमारे पत्रों आदि के अलावा, इस मामले की हमें तभी जानकारी मिल गई थी। हम यहां हर छोटी मोटी चीज़ तो नहीं रख सकते, लेकिन मैं मानताहूं कि वह एक काफ़ी अहम चीज़ थी। अकासी चिन के इलाके से जाने वाली सड़क का मामला काफी अहमियत रखता है। हम ने उस वक्त भी यह महसूस कर लिया था। लेकिन हम ने तब उसे यहां नहीं रखा। कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि क्या हमारी वायुसेना तमाम इलाकों के फोटो नहीं खींचती लोग शायद यह नहीं समझते कि वह इलाका है किस क़िस्म का। उस की फोटो खींचने की कोशिश करने वाले हवाई जहाज की जान पर बन आती दूसरी तरफ के लोग उसे मार गिराते।

मैं उसके पूरे ब्यौरे में नहीं उलझना चाहता। लेकिन मैं चाहता हूं कि सभा यह अच्छी तरह समझ ले कि वे इलाक़े हैं क्या। अकासी चिन का यह इलाका हमारे नक्शों में मौजूद तो है, लेकिन मैं उसे दूसरे सभी इलाक़ों से अलग समझता हूं। इसलिये कि उसके बारे में अभी यह तय नहीं है कि उसका कौनसा हिस्सा हमारा है और कौनसा किसी दूसरे का। यह बात अभी बिल्कुल साफ़-साफ़ तय नहीं हो पायी है। आज से नहीं, कई सदियों से उसके बारे में बहस चली आ रही है। यही बहस चली आ रही है कि उस इलाक़े पर किस देश का अधिकार है। जाहिर है कि मैं ऐसे इलाक़े में कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहता। उस इलाक़े का मैकमहोन लाइन से कोई ताल्लुक ही नहीं। वह तो एक बिल्कुल ही अलग इलाक़ा है। हवाई जहाज से उस इलाक़े की फोटो लेना या उस पर बम बरसाना भी व्यवहार्य नहीं है। यह तो नहीं है कि कोई वहां जा ही नहीं सकता, लोग वहां पहुंच सकते हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यदि वह भारत का इलाक़ा नहीं तो फिर वहां बमबारी करने का सवाल ही नहीं उठता ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यही तो चीज़ है कि आप तथ्यों का पता लगाये बिना ही कहने लगते हैं । बात यह है कि अभी तक उस इलाक़े की कोई सीमा तय नहीं हुई है । मैं नहीं कह सकता कि कौनसा हिस्सा भारत का है और कौनसा नहीं । अभी उसका फ़ैसला होना बाक़ी है ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर) : श्री चाऊ एन लाई ने अपने पत्र में हमारे प्रधान मंत्री के एक पिछले वक्तव्य का यह सिद्ध करने के लिये प्रयोग किया है कि यह क्षेत्र चीन का है । उसी तरह के वक्तव्य का उन्होंने अपने इस पत्र में प्रयोग किया है ।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : हो सकता है । माननीय सदस्य ऐसा सोच सकते हैं । अब या तो मैं उनके सामने सभी तथ्य रख दूं, या उन्हें भ्रम में रखूं या उन्हें बेबुनियाद तक़रीरें करने दूं । मैं इसके बारे में करूं क्या ? मैंने आज जो कोई वक्तव्य सुने, वे तथ्यों पर आधारित नहीं हैं । इसीलिये मुझे कहना पड़ता है कि मैं इन सीमाओं में भेद करता हूं, इन्हें जानता हूं । छोटे-मोटे हेर-फेर को छोड़कर, एक मोटे तौर पर मैकमहोन लाइन ही हमारी तयशुदा सीमा है, हद है । सुबनासिरी इलाक़े, और कुछ दूसरे इलाक़ों में भी, भारत सरकार ने मैकमहोन लाइन को ठीक नहीं समझा था, और हमने इसीलिये उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली कर दी थी । हमें कई चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा । लेकिन एक मोटे तौर पर हमारी सीमा नदियों या झीलों वग़ैरह की बिना पर ही बनाई गई है । हम इसी को सही कसौटी मानते भी हैं । हम यहां वहां कुछ ख़ास वजहों से कुछ छोटी मोटी तब्दीलियां करने की बात तो मानते हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर मैकमहोन लाइन ही हमारी सीमा है । यदि आपसी बातचीत और समझौते के जरिये इस लाइन के एक मील इधर या उधर के क्षेत्र में कुछ तब्दीली करनी हो, तो वह की जा सकती है । और उसी के लिये, ऐसे समझौते के लिये ही, मैंने मध्यस्थ या पंच के जरिये फैसला कराने की बात कही थी । लेकिन चीन जिन बड़े-बड़े इलाकों और ज़मीन की पट्टियों को चीन में मिलाने की मांग कर रहा है, वह तो बिल्कुल ही बे सिर पैर की मांग है और जाहिर है कि उसके बारे में किसी मध्यस्थता की कोई गुंजाइश ही नहीं । चीन अपनी मांग का आधार आज से सदियों पहले के कुछ वाक़यात को बना रहा है । कल मैंने इस सिलसिले में राज्य-सभा में कहा था कि अगर इसी दलील को लागू किया जाये, सदियों पुराने दावों को देखा जाये तो इतने बड़े चीन राज्य का शायद बहुत बड़ा हिस्सा उसमें से निकल जायेगा । चीन इतना बड़ा राज्य बना कैसे ? क्या पंचशील के सिद्धान्त पर चलकर ? चीन में राज्य को दूसरों पर हमले करके ही इतना बड़ा बनाया गया है । बात चाहे अभी कुछ साल पहले की हो, या सौ या दो सौ-पांच सौ साल पहले की हो, उससे इस सच्चाई पर कोई असर नहीं पड़ता कि दूसरे मुल्कों पर हमले करके और उन्हें जीतकर ही चीन इतना बड़ा राज्य बना है । सभी बड़े बड़े देश ऐसी ही हिंसाभरी जीतों से बड़े बने हैं । और अगर आप अब चीन के इस नये सिद्धान्त को, इस नयी दलील को लागू करें, तो सभ्यता शुरू होने के समय चीन एक इतना ही बड़ा राज्य तो पैदा नहीं हुआ था, जितना कि वह आज बन गया है । अगर चीन अब ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दुहाई देता है तो उसे पहले ज़माने के चीनी साम्राज्यवाद के कामों को भी तो देखना चाहिये । उसी दलील के मुताबिक, हम भी तो कह सकते हैं कि अशोक का साम्राज्य, कुशान साम्राज्य और चन्द्रगुप्त का साम्राज्य आधे मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था ; और इसलिये हमें वह सब मिलना चाहिये । यह एक अजीब सी दलील है । यह दलील हमें पहले के ज़माने

---

†मूल अंग्रेजी में

की तरफ़ ले जाती है, और आज की सारी चीज़ें उसमें उलट-पुलट जाती हैं। असल में, ताकतवर और हमले का इरादा रखने वाले मुल्क़ ही ऐसी दलीलें देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आदमियों की तरह, कभी-कभी मुल्कों को भी पागलपन के दौरे पड़ते हैं। इसलिये इस मामले में अब हमें बुनियादी तथ्यों को देखना चाहिये।

ये बुनियादी तथ्य है : पहला तो यह कि चीन के नक्शों वग़ैरा में जो दावा गोलमोल तरीके से किया जाता रहा है अब उसे बिल्कुल साफ-साफ ढंग से दोहराया जा रहा है। इस दावे को भारत और कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी कीमत पर नहीं मान सकता। इसमें शको-शुबह की जरा भी गुंजाइश नहीं। इस बे सिर पैर के दावे के बारे में किसी को भी मध्यस्थ या पंच बनाने का सवाल ही नहीं उठता। शायद श्री खाडिलकर ने हीं इसके बारे में कहा था कि इस अजीब से दावे को मानने का मतलब है समूची भौगोलिक स्थिति को ही बदल देना, यानी पूरा हिमालय प्रदेश चीन को उपहार में दे देना। भारत का वजूद रहे या न भी रहे लेकिन इस दावे को तो मानने का सवाल ही नहीं उठता। यह मामला यहां खत्म हो जाता है।

और, जहां तक कुछ खास-खास जगहों की हद तय करने का सवाल है, उसके बारे में जरूर बात चीत की जा सकती है, हां लेकिन एक शर्त पर कि बात चीत शान्तिपूर्ण ढंग से की जाये, आपसदारी से की जाये। लोंगजू के बारे में, आपने हमरा पत्र भी देखा होगा कि हमने उसे अपने इलाक़े म माना है। हमारा यही ख्याल है। चीन का ख्याल है कि वह हमारे इलाक़े में, हमारी सरहद में नहीं है। दोनों अपनी अपनी बात ठीक समझते हैं। लेकिन उसके बारे में हमने चीन से कहा है कि हम लोंगजू में अपनी सेनायें न भेजने के लिये इस शर्त पर तैयार हैं कि चीन भी वहां से अपनी सेनायें हटा ले। और, फिर नक्शों और चार्टों वग़ैरह को सामने रखकर इन दोनों दावों पर गौर किया जा सकता है, क्योंकि शान्तिपूर्ण ढंग से उसमें छोटी-मोटी तब्दीली की भी जा सकती है। हम शान्तिपूर्ण ढंग से सभी छोटी-मोटी तब्दीलियों के बारे में बातचीत करने के लिये तैयार हैं।

हमारे सामने मैकमहोन लाइन है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा उससे मिलती है। तिब्बत के बारे में १९५४ में हमने एक संधि की थी। जिसमें तीर्थ-यात्रियों व्यापारियों और अन्य लोगों के लिये कई पहाड़ी दर्रों का जिक्र किया गया था। एक तरह से तो उन दर्रों से ही सीमा बन जाती है। और अब इस पत्रमें शिपकी ला दर्रे को चीन का हिस्सा बता कर १९५४ की उस संधि को तोड़ा गया है।

डा० राम सुभग सिंह ने कुछ इस तरह की बात कही थी कि कोई भी नहीं जानता कि चीन ने भारत के किन-किन इलाक़ों पर कब्ज़ा कर रखा है। मैं तो समझता हूं कि यह बात हर एक भारतीय जानता है या उसे जाननी चाहिये। यदि किसी को न भी मालूम हो, तो ऐसे वक्तव्य देने से पहले उसे इन सब का पता लगा लेना चाहिये।

लद्दाख़ के जिस इलाके का मैंने जिक्र किया था, सड़क के उस इलाक़े को छोड़कर, बाकी सभी इलाक़ों के बारे में हमें मालूम है कि चीनी कहां हैं। अभी इस वक्त लोंगजू के तीन या चार मील के इलाक़े के अलावा, मैकमहोन लाइन के इस तरफ कहीं भी चीनी फौज़ें नहीं हैं। लोंगजू के इलाक़े में उनका एक छोटा सा दस्ता है। लोगों को शायद कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी सीमाओं पर म्मार चीनी फौज़ें मौजूद हैं, और उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। यह ग़लत है। और ऐसा करन आसान भी नहीं है, क्योंकि इसका इधर से माकूल जवाब भी दिया जायेगा।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि अभी इस वक्त चीनी फौजों के जमाव का खतरा इतना खास नहीं है जितना कि पीकिंग में इस्तेमाल किये जाने वाले कुछ लफ्ज़ों का है । पीकिंग में कुछ ऐसी अजीबो-गरीब बातें कही जा रहीं हैं जिन्हें मानना या जिनके सामने हमारा झुकना नामुमकिन है । वैसे एक मोटे तौर पर हमारा रुख हमेशा दोस्ताना ही रहेगा, आखिरी दम तक दोस्ताना रहेगा, क्योंकि दूसरे किसी भी रुख को हम ग़लत समझते हैं ।

हम अपने आप पर काबू न रखकर, गुस्से में आ सकते हैं । लेकिन गुस्से में आना कोई अच्छी चीज़ तो नहीं, कम से कम एक राष्ट्र को तो गुस्से में नहीं आना चाहिये, खास तौर से तब जब कि उसके सामने गम्भीर समस्यायें खड़ी हों । उसे मज़बूती से काम करने के साथ ही साथ, अपने-आप पर काबू भी रखना चाहिये । यहां मैं यह भी बता दूं कि सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि पेकिंग में कुछ बेसिर पैर के दावे दोहराये जा रहे हैं, बल्कि यह भी है कि तिब्बत में हमारे मिशनों और व्यापार एजेन्सियों के साथ चीन के अधिकारी लगातार बड़ा बुरा बर्ताव करते आ रहे हैं । हमने उसकी शिकायतें भी की है, और चीन की तरफ से उनकी सफ़ाइयां भी पेश की गई हैं । लेकिन लगता यही है कि वे जान बूझकर हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं । वे हमारा वहां रहना ही मुश्किल बना देना चाहते हैं ।

आचार्य कृपालानी ने मेरे नज़रिये के बारे में बहुत-कुछ कहा है । मैं उनकी तवज्जह श्वेत-पत्र के सफ़ा ७७ की ओर दिलाना चाहता हूं । वह खुद उसे देख लें । मैं पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा । उस सफे पर चीनी वक्तव्य के जवाब में हमारे वैदेशिक कार्य सचिव का एक वक्तव्य दिया गया है । उसे पढ़ने से आचार्य जी को पता चल जायेगा कि हमारा नजरिया नरमी के साथ ही साथ मजबूती से अपनी जगह खड़े रहने का ही रहा है ।

श्वेत-पत्र में शामिल किये गये वक्तव्यों में से एक में समाजवादी पार्टी का कुछ जिक्र भी आया है । मैं खुद उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं । मैं उस हवाले के लिए समाजवादी पार्टी के सदस्यों से क्षमा चाहता हूं । मुझे उस पर खेद है । लेकिन मैं आप को बता दूं कि बम्बई की उस घटना से मुझे बड़ा धक्का लगा था, इसलिए कि हर राज्य के प्रधान को आलोचना और बहस के दायरे से अलग रखा जाता है, और उस पर कोई चोट करने से जनता का गुस्सा उबल पड़ता है । बम्बई में अध्यक्ष माओ की तस्वीर को लेकर जो कुछ भी किया गया था, उससे चीन की जनता के ख्यालात एकाएक हमारे खिलाफ़ उभर पड़े । हमारे दुश्मनों ने उसका पूरा-पूरा फ़ायदा उठाया । मुझे उस घटना से काफ़ी धक्का लगा था ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : उस घटना के तुरन्त बाद, स्वयं समाजवादी पार्टी ने वहीं उसकी निन्दा की थी । क्या इस बात की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान नहीं दिलाया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हो सकता है । लेकिन मैंने खेद भी प्रकट कर दिया है कि वहां उसका उल्लेख इस ढंग से नहीं किया जाना चाहिये था ।

मैं चाहता हूं कि सभा इस मामले पर, इस नजरिये से विचार करे । इस में माननीय सदस्यों को शीतयुद्ध या कम्युनिज्म के बारे में अपने नज़रिये को बीच में नहीं लाना चाहिये । वैसे इस में कम्युनिज्म की बात तो एक तरह से आ ही जाती है, क्योंकि चीन एक कम्युनिस्ट राज्य है । उस तरह से इस में कम्युनिज्म का सवाल तो उठता ही है । लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप शीत युद्ध

---

†मूल अंग्रेज़ी में

या कम्युनिज्म के बारे में अपने पहले से बने-बनाये नज़रियों को बीच में ले आयेंगे, और उन नज़रियों से इस मामले पर गौर करेंगे तो इस परिस्थिति को समझने में आपको मुश्किल पड़ेगी। आज इस परिस्थिति की असलियत यह है कि हमें एक महान और एक बड़े ताकतवर मुल्क का सामना करना है जो हमलावर बन रहा है। हमें इस असलियत का सामना करना है; इसका कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता कि हमलावर होने के साथ वह कम्युनिस्ट है या गैर-कम्युनिस्ट।

इसलिए इन कई मसलों को एक दूसरे से उलझाइये मत। शीत-युद्ध की बात तो यह है कि दुनिया के सभी समझदार आदमी आज उसका खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं; और अगर हम भी, जो अभी तक शीत-युद्ध के खिलाफ़ आवाज़ उठाते रहे हैं, आज उसमें शामिल हो जायें, तो वह एक बड़े दुःख की बात होगी। इसलिये कि शीत-युद्ध शुरू करने वाले मुल्क तो उससे दूर जा रहे हैं, और हम जो उसकी मुखालफ़त करते थे, उसमें शामिल हो जायें। यह बड़े दुःख की बात होगी। इसलिए हमें शीत-युद्ध से दूर ही रहना चाहिये। शीत-युद्ध में शामिल होना दिमाग़ी तौर पर अपनी हार मानना है। शीत-युद्ध का तरीका किसी भी सवाल को हल करने का समझदारी का तरीक़ा नहीं है।

शायद डा० राम सुभग सिंह ने ही भूटान और सिक्किम का जिक्र किया। मुझे उससे खुशी हुई है, क्योंकि मैं भी उसका जिक्र करना चाहता था, और इस तरह मुझे उसकी याद आ गई है। प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई ने अपने आखिरी पत्र में कहा है :

> "आप ने अपने पत्र में चीन और सिक्किम के बीच की सीमा का भी उल्लेख किया है। चीन और भूटान के बीच की सीमा के प्रश्न की तरह ही, यह प्रश्न भी हमारी वर्तमान चर्चा के क्षेत्र में नहीं आता।

मैं प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई की इस बात को नहीं मानता। वह प्रश्न हमारी चर्चा के दायरे में बिलकुल है। अगर उनका ख्याल हो कि वह उस सवाल को भारत के सवाल से अलग रख कर तय कर लेंगे, तो हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं। हमने खुले तौर पर सिक्किम और भूटान की प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और हम ने बिलकुल ठीक किया है। अगर उन पर हमला होगा, तो हम उनकी हिफाजत करेंगे। इसलिए सिक्किम और भूटान की स्थिति समझना भी हमारे लिये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उनकी सीमा पर कोई ऐसी बात हो जाती है तो उसे भारत की सीमा में हस्तक्षेप करना ही माना जायेगा।

शायद श्रीमती रेणुका राय ने पूछा था कि क्या अभी तक भूटान की सीमा का उलंघन हुआ है। मेरी जानकारी में तो नहीं हुआ।

डा० राम सुभग सिंह ने मुझ से एक और बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा था। प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई ने अपने पत्र में एक तार का हवाला दिया है, जो हमें ल्हासा से १९४७ में मिला था। बात सही है। श्री चाऊ एन लाई ने उस तार का हवाला देकर यह बताने की कोशिश की है कि हमारे आज़ाद होने के हाल ही बाद भी तिब्बत ने हम से कुछ क्षेत्र मांगा था। यह सही है कि ल्हासा के तिब्बत ब्यूरो की तरफ से हमारे नाम एक तार भेजा गया था, जो ल्हासा में स्थित हमारे मिशन ने हमारे पास भेजा था। उस में दावा किया गया था कि भारत और तिब्बत की सीमा का कुछ तिब्बती इलाका तिब्बत को लौटा दिया जाय। हम ने उसका जवाब भेज दिया था। उस पत्र में यह नहीं बताया गया कि हम ने १९४७ में उसका ठीक-ठीक क्या जवाब भेजा था। हम ने अपने जवाब में तिब्बत सरकार से यह आश्वासन मांगा था कि जब तक दोनों मुल्कों में उन बातों पर, जो दोनों में से कोई देश उठाना चाहे, समझौता न हो जाये तब तक वह मौजूदा आधार पर सम्बन्ध बनाये रखना चाहती है।

••

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पता नहीं उस तार का मतलब क्या है। लेकिन सीमा से ताल्लुक रखने वाले इन छोटे-छोटे मामलों पर, मिग्यितिन वगैरह के मामलों पर, बहस करते वक्त, सभा को यह नहीं भूलना चाहिए कि इनके बारे में तिब्बत की पुरानी सरकार के साथ बहुत अर्से से कुछ विवाद चल रहा है, अंग्रेजी शासन के दिनों में भी इन मसलों पर विवाद चल रहा था। कुछ ऐसे छोटे-मोटे इलाके हैं जिनके बारे में भारत सरकार और तिब्बत सरकार के बीच बहस चलती रही है। कुछ नये झगड़े भी उठे थे। हो सकता है कि उस तार में उन छोटे-मोटे इलाकों का ही जिक्र किया गया हो।

चीन सरकार ने जो अब एक नया नज़रिया अपनाया है, उसकी एक मिसाल देखिये। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास चीन सरकार की तरफ़ से एक शिकायत आई थी कि हम ने चीन की समुद्री सीमा का उल्लंघन किया था। मुझे उस पर ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसमें कहा गया था कि हमारे एक छोटे से जहाज़--शायद एक छोटे से युद्ध-पोत ने उनकी समुद्री-सीमा का उल्लंघन किया था। वह युद्ध-पोत 'मगर' नामक बड़े जहाज़ के लिए सामान ले जा रहा था। उसी दौरान में, वह हांगकांग के पास से गुज़रा था, और इस में शक नहीं कि वह चीन की समुद्री सीमा में शायद १२ मील तक अन्दर गया था। शिकायत में कहा गया है कि उस युद्ध-पोत से रुकने के लिए कहा गया था, पर उसने उसे अनसुना कर दिया था। अभी तक 'मगर' जहाज़ लौटकर नहीं आया है। लेकिन हमें सूचना मिली है कि उससे रुकने के लिए नहीं कहा गया था, और इसीलिए वह आगे बढ़ता गया था। यह एक अजीब सी बात है कि एक इतनी छोटी सी बात को तूल दिया जा रहा है।

लेकिन इसी सिलसिले में एक दूसरा वाक़या भी बताया गया है।

> "गत वर्ष आपके क्रूज़र जहाज़--"मैसूर"--ने भी यही किया था; वह हमारी समुद्री-सीमा से होकर गया था।

यह क्रूजर जहाज़--मैसूर--चीन और कुछ दूसरे देशों में सद्भावना मिशन पर गया हुआ था। वह हांगकांग, चीनी शंघाई भी गया था और शायद जापान वगैरह भी गया था। मुझे ठीक से पता नहीं। हां, वह शंघाई जरूर गया था। बड़े ताज्जुब की बात है कि अब एक साल बाद उसका इस तरह हवाला देकर शिकायत की जा रही है। अजीब सी बात है।

इस सिलसिले में बहुत से सवाल पैदा होते हैं, और हमें उन सभी पर बड़ी सावधानी, धीरज, मजबूती और बर्दाश्त के साथ गौर करना पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है कि यह सभा उतनी मजबूती और उतनी बर्दाश्त से ही काम करेगी।

अगर मैं ने इससे पहले सभा के सामने कुछ कागज़ात पेश न करने की ग़लती की थी, तो वह ग़लती अब नहीं होगी। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। उस वक्त हम यही चाहते थे कि उन मसलों पर बातचीत चलने के दौरान में उनका प्रचार न हो, क्योंकि उससे हालात बिगड़ने का खतरा था। और, चीन सरकार की तरफ से जवाब आने में भी कई महीने लगते हैं। प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई ने अपना यह जवाब भी ठीक छै: महीने बाद दिया है, मेरे मार्च के पत्र का जवाब दिया है। जवाब के इन्तजार में वक्त बर्बाद होता रहता है। जो भी हो, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि हमें पार्लामेंट और समूचे देश को इन सभी घटनाओं से अवगत रखना बहुत जरूरी हो गया है। मैं यह भी नहीं चाहता कि सभा यह सोचने लगे कि हमारे देश की सीमाओं पर कोई बड़ी गम्भीर चीज़ होने वाली है। मुझे उसकी बिलकुल भी उम्मीद नहीं है। वह सब इतना आसान नहीं है। लेकिन बुनियादी मुश्किल तो चीन सरकार के इस बदले हुए नज़रिये से पैदा होती है। चीन सरकार ने तो अब बिल्कुल साफ-साफ अल्फ़ाज़ में एक ऐसी मांग उठानी शुरू कर दी है, जिस पर गौर करना भी

हमारे लिए नामुमकिन है । लेकिन अगर आप उस बड़ी मांग को, चीन सरकार के उस दावे को अलग रख कर देखें, तो आप को पता चलेगा कि चीन सरकार अभी इस वक्त उस पर जोर भी नहीं दे रही है । अभी इस वक्त चीन सरकार हालत ज्यों की त्यों बनाये रखने के लिए तैयार है । लेकिन उसकी मांग तो है । ठीक उसी तरह जैसे कि नक्शे थे, जो हमें बार-बार याद दिलाते रहते थे कि कुछ गड़बड़ भी हो सकती है । और, अब वह चीज़ ज्यादा साफ-साफ शक्ल में हमारे सामने उभर आई है । सिर्फ इसी मायने में, मैं कहता हूं कि हालत बिगड़ गई है । हालत बिगड़ने से मेरा मतलब यह नहीं कि हमारे देश की सीमाओं पर एकाएक कोई बड़ी गम्भीर चीज़ होने वाली है ।

मेरी अर्ज़ है कि आप इस मसले पर कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट-विरोधी नज़रिये से विचार न करें । सभा ने सोवियत सरकार की ओर से जारी किया गया बयान देखा होगा । सभा यह भी जानती है कि सोवियत सरकार और चीन सरकार के बड़े नज़दीकी ताल्लुकात हैं । उस बयान को जारी करना ही बताता है कि सोवियत सरकार इस पूरी परिस्थिति पर, इन हालात पर एक ठंडे दिल से, बिना किसी की तरफ़दारी के, ग़ौर कर रही है । हम उस का स्वागत करते हैं । हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इन दोनों महान् देशों—भारत और चीन—के बीच उठने वाले बड़े-बड़े मसलों को हल करने के लिये ग़लत तरीके अपनाये जायें । वह बिल्कुल ग़लत होगा । हमें अपनी गरिमा बनाये रखना चाहिये, और साथ ही मजबूती से अपनी जगह पर खड़े भी रहना चाहिये । इस में शक नहीं कि स्थिति कठिनाइयों से भरी हुई है—दूसरी कठिनाइयों के अलावा, कुदरती बनावट वगैरह की कठिनाइयां भी हैं । लेकिन याद रखिये कि ऐसी कठिनाइयां सिर्फ हमारे सामने ही नहीं, दूसरी ओर से ज़बर्दस्ती घुसने की कोशिश करने वालों के सामने भी हैं । हजारों मील का पहाड़ी इलाक़ा पार करना आसान नहीं । इसलिये दोनों ही तरफ करीब-करीब एक सी कठिनाइयां हैं ।

खैर, हमारी सेनायें इस मामले में पूरी चौकन्नी हैं, उन्हें सारी हालत की पूरी वाक़फियत है । हमारी सेना के लोग बहादुर और तजुर्बेकार हैं ; और जब उन्हें कोई मुश्किल काम करना पड़ता है तो वे बड़े ठंडे दिमाग़ से, लेकिन बड़े कारगर ढंग से, उसे अंजाम देते हैं । मुझे पूरा यकीन है कि वे ऐसा ही करेंगे ।

इस प्रस्ताव पर कई संशोधन आये हैं । जाहिर है हम कोई भी ऐसा संशोधन मानने के लिये तैयार नहीं, जिस में हमारी नीति की बुराई की गई हो ।

†**आचार्य कृपलानी** : श्री डांगे ने कहा है कि आप की सरकार दलाई लामा की आर्थिक सहायता कर रही है । क्या यह सही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने तिब्बत और दलाई लामा का जिक्र नहीं किया है, इसलिये कि उस का इन मामलों से कुछ थोड़ा ताल्लुक तो है, और उस का कुछ असर भी पड़ा है, फिर भी वह एक बिल्कुल ही अलग मसला है । जहां तक दलाई लामा का ताल्लुक है, मैं 'आर्थिक सहायता' का मतलब नहीं समझा । हम ने उन को यहां रखने पर, कुछ रुपया-पैसा खर्च किया है, जरूर किया है ; लेकिन हम ने उन को खास तौर पर अलग से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी । मसूरी में उन के रहने पर कुछ खर्च जरूर हुआ है और हम दूसरे शरणार्थियों पर भी कुछ खर्च कर ही रहे हैं ।

इस सिलसिले में भी, सभा को मालूम ही है कि हम ने दलाई लामा के कुछ बयानात के बारे में अपने ख्यालात जाहिर कर दिये हैं । हम उन की बातों से सहमत नहीं हैं ।

श्री डांगे और आचार्य कृपालानी ने जिस समस्या का जिक्र किया था, वह हमारे लिये काफी मुश्किल रही है । उस पर कुछ बहस भी उठ खड़ी हुई थी कि हमारे यहां शरण लेने वाले व्यक्ति को

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरल ल नेहरू]

कितनी आजादी दी जाये, उस का सम्मान हम चाहे जितना करें। जाहिर है कि यह एक संवैधानिक सवाल है। हम और हमारे देश की जनता दलाई लामा की बड़ी इज्ज़त करते हैं। यह सही है। लेकिन साथ ही, हम ने उन से कई बार कह दिया है कि उन्हें भारत को उस के एक दोस्त मुल्क के खिलाफ कार्यवाहियां करने के लिये अड्डा नहीं बनाना चाहिये। यहां मैं यह भी कहूंगा कि कुल मिला कर उन्हों ने काफ़ी अर्से तक इस का ख़्याल भी रखा ; उन की तकलीफ़ और उन पर पड़ने वाले दबावों को देखते हुए, मैं कहता हूं कि उन्हों ने एक अर्से तक अपने ऊपर काफी काबू भी रखा। लेकिन कभी-कभी वह अपने उस दायरे से बाहर भी चले गये, और तब हमें उन के कुछ बयानात का खंडन भी करना पड़ा है। हम उस के बारे में कोई झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उन के उन बयानात में वह कुछ ज्यादा आगे बढ़ गये थे। इसीलिये हम ने उन का खंडन किया था।

मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि एक तरह से उन में हमारी नीति की निन्दा ही है। लेकिन श्री नलदुर्गकर का एक संशोधन है, जिसे अगर सभा चाहे, तो मैं स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : 'नेफा' क्षेत्र का विस्तार लगभग ३०,००० वर्गमील है। चीन ने उसे अपने नक्शों में अपने क्षेत्र की तरह शामिल किया है। अंग्रेज़ शासक 'नेफा' क्षेत्र को शेष भारत से बिल्कुल अलग रखते थे। इसलिये वहां भारत से अलगाव की कुछ प्रवृत्तियां मौजूद हैं। ऐसी परिस्थिति में उन पर चीनी प्रचार का काफी असर पड़ सकता है। भारत सरकार उस चीनी प्रचार का प्रभाव खत्म करने के लिये क्या कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अब वहां शिक्षा भी है और प्रचार भी किया जा रहा है। पुराने जमाने में भी 'नेफा' के अधिकांश क्षेत्र में कोई प्रशासन नहीं था। अब वहां धीरे-धीरे प्रशासन आता जा रहा है। अब वहां पढ़ाई-लिखाई, प्रशासन और भी सभी चीजों का फैलाव बढ़ता जा रहा है।

†**श्री प्र० के० देव** : प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में जिस दृढ़ता से काम लिया है, उस के लिये वह कृतज्ञता के पात्र हैं। उन्हों ने बहुत ही ठीक कहा है कि इस चीनी रवैये की जड़ में उस का ताकत का घमण्ड है। साम्राज्यवाद अब केवल पाश्चात्य देशों का एकाधिकार नहीं रह गया है। हम जानते हैं कि तिब्बत की मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। इस चीनी साम्राज्यवाद को आरम्भ में ही खत्म कर दिया जाना चाहिये।

इतिहास हमें यही बताता है कि साम्राज्यवाद को खुश कर के उस की बढ़ती को नहीं रोका जा सकता। प्रधान मंत्री ने इस मामले में जो दृढ़ता दिखाई है, उस का समर्थन हमारा पूरा देश एक स्वर से करेगा।

अन्त में, मैं श्री डांगे को धन्यवाद देता हूं कि उहों ने चीन की ओर से गारन्टी दी है कि वह हमला नहीं करेगा। पर मैं पूछता हूं कि श्री डांगे का चीन के साथ क्या सम्बन्ध है ? वह चीनी हैं, या भारतीय ? मैं अनुरोध करता हूं कि उन्हें कुछ अधिक यथार्थवादी और देशभक्त बनना चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा था कि क्या चीन ने भारतीय प्रदेश में कोई हवाई अड्डा बनाया है। ऐसी कोई बात नहीं है। पूर्वी लद्दाख में, चूशू में केवल एक ही हवाई अड्डा है, जो आज से ४–५ साल पहले बनाया गया था। मैं वहां गया था ; लेकिन वहां कोई भी चीनी हवाई अड्डा नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रज राज सिंह** : प्रधान मंत्री के आश्वासन को देखते हुए, मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २ वापस लेना चाहता हूं ।

स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ४ के अतिरिक्त, मैं अन्य सभी स्थानापन्न प्रस्तावों को मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये, अर्थात् :—

"कि यह सभा उस श्वेतपत्र पर जिस में १९५४–५९ में भारत सरकार और चीन सरकार के बीच हुए करार तथा दोनों सरकारों द्वारा आदान प्रदान किये गये नोट, ज्ञापन तथा पत्र दिये हुए हैं जो ७ सितम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखा गया था और उस के सिलसिले में १० सितम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये और दस्तावेज़ों पर विचार करने के पश्चात् भारत और चीन की सरकारों के बीच विद्यमान सीमा सम्बन्धी समस्या के बारे में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति से सहमति प्रगट करती है और इस समस्या के सम्बन्ध में उस के दृष्टिकोण का और उस के द्वारा अपनाये गये रुख का समर्थन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गोरखपुर श्रम संगठन*

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब गोरखपुर श्रम संगठन पर आधे घंटे की चर्चा करेगी ।

†**श्री काशीनाथ पांडे** (हाता) : यह योजना १९४२ में विभिन्न प्रतिरक्षा परियोजनाओं में श्रमिकों की मांग पूरी करने के लिये प्रारम्भ की गई थी । युद्ध समाप्ति के पश्चात् कोयला खान नियोजकों की प्रार्थना पर केन्द्रीय सरकार उन्हें भी श्रमिक देने को सहमत हो गई लेकिन यह कहा गया कि इस संगठन का समस्त व्यय वे वहन करें । इस प्रकार यह योजना कोयला खानों में भी श्रमिकों को भेजने लगी । गोरखपुर में श्रमिकों को शिविरों में रखा जाता है अतः यह कहा गया कि यह प्रणाली समाप्त कर दी जाय और उन्हें स्वतंत्र श्रमिकों का दर्जा प्रदान किया जाय । इसलिये ऐसे समय जबकि अन्य क्षेत्रों में भी यहां से मजदूरों की व्यवस्था की जाती है इस प्रणाली को समाप्त करना उचित नहीं है ।

मैंने स्वयं मजदूरों से इस सम्बन्ध में बातें की हैं, वे कहते हैं कि उन्हें इस संबंध में कोई कठिनाई नहीं है । इस प्रश्न पर सब से पहिले १९५४ में भारतीय श्रम सम्मेलन मैसूर में विचार किया गया । और इस योजना की समाप्ति पर विचार करने के लिये श्री विष्णु सहाय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई । उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि इस योजना को समाप्त न किया

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा ।

[श्री काशीनाथ पांडे]

जाय अपितु एक सलाहकार समिति बनाई जाय जिस से इन मजदूरों को हड़तालें तोड़ने के काम में न लाया जाय । इस संगठन विरोधी आन्दोलन का कारण यह है कि यद्यपि कोयला खानों में केवल तीन प्रतिशत गोरखपुरी मजदूर कार्य करते हैं, तथापि उनका उत्पादन १२ प्रतिशत है । इसलिये उन्हें अतिरिक्त सुविधायें प्रदान की जाती हैं । अन्य लोग यह नहीं देख सकते कि उन्हें अतिरिक्त सुविधायें दी जायें ।

वस्तुतः मंत्रालय को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये था कि अन्य लोगों को भी वही सुविधायें प्रदान की जायें । इसके स्थान पर जो सुविधायें उपलब्ध हैं उन्हें भी छीनने का प्रयत्न किया जा रहा है । ऐसी बात भी नहीं है कि इस केन्द्र से केवल गोरखपुर और देवरिया के ही मजदूरों को नियुक्त किया जाता है मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, मद्रास और अन्य राज्यों के मजदूरों को भी यहां से नियुक्त किया जाता है । निसंदेह उनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम होती है ।

९ अगस्त, १९५९ को मंत्रालय ने यह घोषणा की कि यह योजना समाप्त की जा रही है । इस योजना की समाप्ति का कारण यह बताया गया कि त्रिपक्षीय समिति के निश्चयों के आधार पर ऐसा किया जा रहा है । मैं इस बात को जानता हूं कि उक्त समिति में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि इस बात के पक्ष में नहीं था तो भी यह घोषणा कर दी गई कि यह योजना समाप्त कर दी जा रही है ।

२८-८-५९ को मेरे अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि मजदूरों को काम दिलाने के लिये रोजगार दफ्तरों की सहायता से पूरी कोशिश की जायेगी । रोजगार दफ्तरों तथा इस योजना में यह अन्तर है कि रोजगार दफ्तरों में मजदूर नाम दर्ज करवा कर अपने घर चला जाता है जब कि इस संगठन में वह तब तक रह सकता है जब तक कि उसे पूरा काम नहीं मिल जाता है । इसके अलावा उन्हें रेलवे भाड़ा भी दिया जाता है । मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि ये सुविधायें उनसे केवल इसी कारण छीनी जा रही हैं कि वे अधिक उत्पादन किया करते थे, इसी कारण उन्हें नियोजक लोग अधिक सुविधायें देने को तैयार थे । क्या माननीय मंत्री जी मुझे यह आश्वासन दिला सकते हैं कि क्या इन सुविधाओं को छीनने से उत्पादन में कमी नहीं आयेगी ।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि जिन श्रमिकों को पहले काम दिया जाता था उन्हें भविष्य में भी काम दिया जाय और उन्हें वही सुविधायें दी जायें जो कि उन्हें पहिले से प्राप्त हैं । मेरा यह भी सुझाव है कि नयी योजना के लागू होने के पूर्व इस योजना को समाप्त न किया जाय और इस योजना की समाप्ति के प्रश्न पर संसद् सदस्यों की एक समिति विचार करे । तथा सरकार को चाहिये कि वह उस समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्य करें ।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज) : मैं माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं । पहिला यह कि इस संगठन के वर्तमान कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को इसके स्थान पर क्या कार्य दिया जायेगा ? और दूसरे जो परिवर्तन किये जा रहे हैं उनसे योजना का कार्य पहिले से अच्छी तरह चलेगा या उसमें कुछ रुकावटें पैदा हो जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : मेरा सुझाव यह है कि जो श्रमिक गोरखपुर श्रम संगठन की ओर से नियुक्त किये गये हैं उन्हें स्थायी बना दिया जाय और उनमें तथा अन्य श्रमिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाय। अभी तक उन्हें कार्मिक संघों में शामिल होने की स्वतंत्रता नहीं है, उन्हें वह स्वतंत्रता प्रदान की जाय। तथा सभी बातों में उन्हें स्थानीय मजदूरों के समकक्ष माना जाय। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेकारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए वहां एक अन्य डीपो खोला जाय और वहां से नियुक्त मजदूरों को अन्य मजदूरों के समान दर्जा दिया जाय।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वी जिलों की बेकारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस योजना को चालू रखने का अनुरोध किया था ?

श्री प्र० ना० सिंह (वन्दौली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मजदूर इस समय भारतीय कोलमाइंस में काम करते हैं और जिन की संख्या करीब करीब १५–१६ हजार तक है, उनको परमानेंट करने की कोई स्कीम सरकार के सामने है ?

इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यदि इन मजदूरों को परमानेंट कर दिया जाता है तो आगे आने वाले मजदूरों की भरती के सिलसिले में, जो मौजूदा संगठन है, उसकी क्या स्थिति होगी और उसको क्यों खत्म किया गया है और उसको ही थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स करके चलाने में सरकार के सामने क्या दिक्कतें थीं ?

†**श्री कालिका सिंह** (आजमगढ़) : क्या माननीय मंत्री जी इस श्रम संगठन का नाम बदल कर पिछड़े वर्ग श्रम संगठन रखेंगे और इसे जारी रखेंगे क्योंकि इसे समाप्त करने का यह फल होगा कि १५००० मजदूर विस्थापित हो जायेंगे।

†**श्री केशव** (बंगलौर-नगर) : क्या कोई अन्य तरीका नहीं हो सकता जिससे कि यह दूषित तरीका भी समाप्त कर दिया जाय और श्रमिकों को जो सुविधायें इस तरीके के कारण प्राप्त हैं वे भी उन्हें मिलती रहें।

श्री राम शंकर लाल (डुमरियागंज) : मैं एक तो यह पूछना चाहता हूं कि जो लेबर एरियाज से जाते हैं क्या उन की तरफ से भी कोई इस तरह की आवाज रिक्रूटमेंट के खिलाफ उठती है या सिर्फ बाहर की एरियाज के लोग यह आवाज उठा रहे हैं। दूसरे क्या ऐसे जरिये अख्त्यार किये जायेंगे जिस से इस हल्के के मजदूरों की जो कि बैकवर्ड एरियाज के हैं भर्ती बराबर जारी रहे ?

श्री जांगड़े (बिलासपुर) : इस दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए कि राजनगर, धनपुरी, झगराखान और बिरमिरी छत्तीसगढ़ के इन स्थानों में उन्होंने बहुत से अत्याचार किये और इंटरनेशनल लेबर कोड के जिस सिद्धान्त के अनुसार जो सेग्रेशन कैम्प चला आ रहा है सन् १९५४ से और गोरखपुर लेबर आर्गेनाइजेशन है उन को बन्द करने का निर्णय किया गया उस सिद्धान्त के अनुसार मैं जानना चाहता हूं कि क्या ३० सितम्बर, १९५९ तक प्राइवेट एम्प्लायर्स के लेबर आर्गेनाइजेशन्स को बन्द करने का जो निर्णय किया उस को बन्द करने का इरादा है ? और क्या एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज खुल जाने के बाद भी और हर तरह की सुविधा हो जाने के बाद भी गोरखपुर लेबर कैम्प को जारी रखने का इरादा है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री म० कु० घोष** (जमशेदपुर) : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रमिक संगठनों ने इस योजना पर, इनको अधिक रियायतें देने के कारण आपत्ति की थी या इस कारण आपति की थी कि इनको अन्य कार्मिक संगठनों में भाग लेने की छूट नहीं दी जाती है।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : यह कहा गया है कि सरकार ने कुछ करने का निश्चय किया है, उसका क्या प्रभाव होगा तथा जो लोग आजकल गोरखपुर श्रम संगठन से भरती किये जाते हैं उन लोगों पर इसका क्या असर होगा ? इस बात को लेकर काफी चिन्ता व्यक्त की गई है। मुझ से यह कहा गया है कि मैं ऐसा आश्वासन दूं जिससे कि उन श्रमिकों के हित, जिनको इस संगठन के लाभ प्राप्त होते थे, सुरक्षित रहें।

मैं यह आश्वासन देने को तैयार हूं कि यदि सभा के एक पक्ष में इसके संबंध में इतनी चिन्ता है तो मैं अभी हाल कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। मैं इस पर तब तक काम आरम्भ नहीं करूंगा जब तक कि अन्य कार्यवाही न कर दी जाय। मैं इस संबंध में संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने को भी तैयार हूं। जिससे वे इस परिवर्तन के अभिप्राय को समझें और यह देखें कि माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह कहां तक उचित है। मैं यह कार्य तत्काल आरम्भ करूंगा और जिन सदस्यों की हम सहायता लेना चाहते हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस कार्य में सहायता करें।

तथापि हमें सरकार के अभिप्राय को भली भांति समझ लेना चाहिये। यह चर्चा इस आधार पर उठाई गई है कि लगभग १४००० मजदूर जो इस संगठन के द्वारा भर्ती किये जाते हैं उनके हितों पर कुठाराघात होगा। तथापि हमने यह कार्य बिल्कुल दूसरे अभिप्राय से किया है। पहिला यह कि गोरखपुर श्रम संगठन जो कार्य करता है वह कार्य अन्य रोजगार दफ्तरों से कुछ मामलों में भिन्न है। इसलिये केवल इतना कहना काफी नहीं है कि ये लोग रोजगार दफ्तरों में जा सकते हैं। क्योंकि वहां की व्यवस्था विशेष प्रकार की है और मैं इस व्यवस्था को तत्काल बदलना नहीं चाहता हूं।

एक निश्चित क्षेत्र के मजदूरों को उस क्षेत्र के आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण कुछ सुविधायें दी गई हैं। ये सुविधायें उन्हें अभी तक दी जाती रही हैं। इसलिये आगे भी उन्हें ये सुविधायें दी जानी चाहियें। इसलिये यह कहना कि इससे केवल गोरखपुर के श्रमिकों को ही नहीं पूरे भारत के श्रमिकों पर आघात होगा अपने तर्क को दुर्बल बनाना है। हां, मैं यह बात स्वीकार करने को तैयार हूं कि इससे उस प्रदेश के मजदूरों पर आघात होगा। इस योजना का विरोध गोरखपुर श्रम संगठन के नाम पर नहीं किया गया अपितु कोयला क्षेत्र नियुक्त संगठन के नाम पर किया गया। इन दोनों बातों को मिला देने से भ्रांति पैदा हो गई है। श्रमिक आन्दोलन पहिले से ही इस योजना के विरोधी रहे हैं और इसी कारण एक समिति की स्थापना की गई। समिति के प्रतिवेदन में विरोध के मूल आधार स्पष्ट शब्दों में दिये गये हैं। उसका सारांश यह है कि मजदूरों को जीवन की पूरी स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। उनके ऊपर निगरानी रखी जाती थी। उन्हें अन्य श्रमिकों से पृथक रखा जाता था और उन्हें कार्मिक संघों में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, इत्यादि। हम नहीं चाहते कि सभ्य संसार में इस प्रकार की अमानुषिक प्रथायें कायम रहें। इसलिये यदि कोई चीज़ लोगों को श्रमिक आंदोलन से पृथक रखती है या एक विशेष वर्ग पैदा करती है तो वह सभी की आंखों में खटकेगी। समिति ने शुरू में यह पहलू लिया था और यह पता लगाया था कि स्थिति

---

†मूल अंग्रेजी में

वास्तव में इतनी खराब नहीं है जितनी बतायी गई है। तथापि समिति इस निश्कर्ष पर पहुंची कि मजदूरों को पृथक रखने तथा उनके ठेके की निश्चित अवधि के कारण ही उन्हें मजदूरों का एक पृथक वर्ग माना जाता है।

समिति ने अग्रेत यह भी कहा ह कि वे यह चाहते हैं कि उन की अवस्थाओं में इस प्रकार सुधार किया जाय कि वे लोग अन्य मजदूरों के समकक्ष आ जायें। केवल इसी तरीके से उनकी अवस्था में स्थायी सूधार हो सकता है। मेरे विचार से इस सिद्धान्त को सभी क स्वीकार करना चाहिये। इस के पश्चात् गोरखपुर के मजदूरों को अन्य मजदूरों के समकक्ष देखने के लिये समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। अर्थात् काम पर जाने के उपरान्त वहां कोई भेद नहीं रहना चाहिये। इस प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के पश्चात् लगभग सभी श्रमिक संस्थाओं यथा भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भा तीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा इ यादि सभी ने संकल्प पारित कर इन सिफारिशों का विरोध किया। फरवरी महीने में कोयला उद्योग समिति की बैठक हुई। वहां भी श्रमिक संस्थाओं के अनुरोध पर यह प्रश्न उठाया गया और एक संकल्प पारित किया गया। हमें नाम से कोई तात्पर्य नहीं है यह संगठन जारी रह सकता है। तथापि गोरखपुर के मजदूरों पर जो अन्य प्रतिबन्ध या नियम इत्यादि लगाये गये हैं वे जारी नहीं रहने चाहियें। वहां एक संयुक्त सहकारी संस्था खुलनी चाहिये जो मजदूरों की भरती, प्रशिक्षण व हितों का ख्याल रखे। तथा गोरखपुरी मजदूरों तथा अन्य प्रकार के मजदूरों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये। इस प्रयोजन के लिय एक योजना त काल बनाई जानी चाहिये।

इस सम्बन्ध में फरवरी में एक संकल्प पारित किया गया था। तब से कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल नाम बदल दिया गया है। वह चाहते थे कि वह क्रियान्वित की जाय। नाम के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि गोरखपुरी मजदूर गलत नाम है। क्योंकि इस में केवल गोरखपुर के मजदूर ही नहीं अपितु पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के निकटवर्ती जिलों के मजदूर भी आते हैं। वस्तुतः कदा ार इ यादि के कारण गोरखपुर श्रम संगठन बदनाम हो गया है। इसलिये यह सूझाव किया गया कि नाम बदल दिया जाय। अतः हमारा अभिप्राय है कि भरती करने वाला अनिवार्य अंग उसी प्रकार कायम रहे। कुछ लोगों को जो सूविधायें प्रा त हैं वे उन्हें मिलनी चाहियें। कुछ नियोजक भी उन की सेवायें शाहते हैं। मुझे बताया गया कि कोयला खान श्रमिकों में तीन प्रतिशत मजदूर गोरखपुरी हैं। और वे कुल उत्पादन का २० प्रतिशत उत्पादन करते हैं। यदि ऐसा है तो यह बहुत अच्छी बात है। इसलिये यदि नियोजक उन्हें रखना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। हम उन की राह में बाधा उपस्थित नहीं करेंगे। कोयला मजदूर नियुक्ति संगठन को मजदूरों का संभरण करने वाली संस्था के रूप में कायम रहना चाहिये। वे इस बात का पता लगायेंगे कि किस कोयला खान में इन श्रमिकों की आवश्वकता है। वे अपनी मांगें प्रस ुत करें और यह संस्था कुछ बदलाव के साथ, जिन से उस के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा मजदूरों का संभरण करना जारी रखेगी। हम जो समिति नियुक्त करने जा रहे हैं वह इस बात को देखेगी कि यह कार्य सफलतापूर्वक किया जाय। एकत्रित होने का केन्द्र आवश्यक है या नहीं इस प्रश्न पर समिति विचार करेगी।

जो श्रमिक वहां भरती के प्रयोजन के लिये आते हैं उन में से केवल दस प्रतिशत की नियुक्ति हो पाती है। इसलिये उन लोगों को बुलाने और उन्हें धन देने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। संगठन की व्यवस्था इस प्रकार से की जायेगी कि वास्तविक प्रयोजन हल हो जाय।

यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या नियोजक अब भी उन में दिलचस्पी रखेगा ? यदि वे अधिक कुशल है और सरलता से सूलभ है तो उन को काम मिलने में अब भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। यदि वह उन का पृथक वर्ग बनाना चाहता है और उन्हें पृथक रखना चाहता है तो वह अब ऐसा नहीं कर सकेगा।

यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या अब भी उन्हें वही सूविधायें मिलती रहेंगी जो पहिले प्राप्त थीं। मजूरी की वृद्धि होने के कारण उन सूविधाओं का कोई महत्व नहीं रह गया है। यदि नियोजक उन्हें साधारण सूविधायें देना चाहते हैं तो मैं उन्हें बन्द करने को तैयार हूं। मैं उन को सूविधायें देने का विरोध नहीं करता तथापि मेरा अभिप्राय यह है कि खानों में पहुंचने पर उन के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न बरता जाय। उन्हें केवल ११ महीने काम करने का ठेका मिलता है इस के बाद वे वापस लौट जाते हैं। यह कोई अच्छी प्रथा नहीं है। वस्तुतः इन सारे १४००० मजदूरों को स्थायी बना देना चाहिये। उन्हें उद्योग में स्थायी तौर पर काम देना चाहिये।

अभी हाल मध्य प्रदेश में कुछ अन्य बातें भी हुई हैं। मध्य प्रदेश में २०-५-५९ के दिन चिनाकुरी कोयला खान में एक खाली ट्रक के ऊपर झगड़ा हो गया। इस के फलस्वरूप वह खान लगभग दो महीने तक बन्द रही। इन से इन के हितों पर आघात होगा। और गोरखपुरी श्रमिकों को इस से नुकसान पहुंचेगा।

संगठन तथा उस के कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है। उन में से बहुतों को नवीन संगठन में स्थान दे दिया जायेगा, इस के पश्चात् अन्य लोगों के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा।

†**श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी** (सागर) : मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि चिनाकुरी श्रमिकों ने यह धमकी दी है कि यदि १० सितम्बर तक गोरखपुर आयोग समाप्त नहीं किया जायेगा तो वह सत्याग्रह कर देंगे।

†**श्री नन्दा** : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वस्तुतः एक ऐसी बात हो गई जिस से हम बचना चाहते हैं। हम एक निश्चय कर चुके हैं। समिति का निर्देशपत्र उस निश्चय के अनुसार बनेगा। जहां तक विशेष और असामान्य शर्तों का सम्बन्ध है उन्हें समाप्त कर दिया जायेगा। सरकार कभी उन का समर्थन नहीं कर सकती है। यदि वे अब भी जारी रहेंगी तो उन का दूसरा उपचार किया जायेगा। हम इस मामले का दूसरी तरह से भी उपचार कर सकते हैं। हम इस सम्बन्ध में अन्य मंत्रालयों की सलाह भी लेंगे क्योंकि यह मामला अन्य मंत्रालयों से भी संबंधित है।

मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्य मंत्री का पत्र प्राप्त हुआ है। उन का यह मत है कि इस संगठन को समाप्त नहीं करना चाहिये। क्योंकि गैरसरकारी ठेकेदार या अन्य संगठन इस संगठन से भी अधिक अवांछनीय सिद्ध हो सकते हैं। मैं उन की राय से सहमत हूं। अन्य अवांछनीय बातें भी, जिन पर कार्मिक संघों इत्यादि ने आपत्ति की है वे हटाई जानी चाहिये। मेरे विचार से उत्तर प्रदेश की सरकार तथा हमारे मत में कोई भेद नहीं है। क्योंकि ये १४००० मजदूर हैं जबकि कोयला खानों में साढ़े तीन लाख मजदूर काम करते हैं। हमारे दृष्टिकोण का साढ़े तीन लाख मजदूरों पर प्रभाव पड़ेगा। हमें एक ओर इन मजदूरों के हितों का ध्यान रखना है दूसरी ओर अवांछनीय बातों को हटाना है। समिति से इन बातों को ध्यान में रखते हुए काम करने को कहा जायेगा। मैं आशा करता हूं कि मैं जो कुछ इस सम्बन्ध में कह चुका हूं उसे सूनने के पश्चात् माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कोई चिन्ता नहीं करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: आज यह सत्र समाप्त हो गया है। इस सत्र की विशेषता यह रही है कि विधान निर्माण की अपेक्षा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चायें अधिक हुई हैं। मुझे इस बात से प्रसन्नता कि सभी दलों ने पूरी तरह सभा के कार्य में सहयोग दिया और इस प्रकार हम लोकतंत्र के कार्य को आगे बढ़ाने में सफल हुए। मैं सभी माननीय सदस्यों को अपनी शुभकामनाओं के साथ विदाई देता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[शनिवार, १२ सितम्बर, १९५९]

(२१ भाद्र, १८८१ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना	
प्रश्न संख्या	४००९–४०१४
१६ समाचार एजेन्सियां	४००९—११
१७ बंगाल-नागपुर कॉटन टैक्सटाइल मिल, राज नन्दगांव	४०११–१२
१८ केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की सदस्य संख्या .	४०१३–१४
स्थगन प्रस्ताव	४०१४–१५
उपाध्यक्ष महोदय ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मन्त्री के बीच हुई हाल की वार्ता के सम्बन्ध में पाकिस्तानी समाचार-पत्रों में प्रकाशित कुछ समाचारों के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री नारायण गणेश गोरे ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४०१५
निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—	
(१) २ सितम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के वर्ष १९५८–५९ के वार्षिक प्रतिवेदन के शुद्धि-पत्र की एक प्रति।	
(२) राजस्थान में और वहां से रेल और नदी द्वारा किये गये मुख्य अनाज के आयात और निर्यात बताने वाला विवरण की एक प्रति।	
(३) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की आठवें सत्र में हुई (चौदहवीं और पन्द्रहवीं) बैठकों के कार्यवाही सारांश की एक प्रति।	
राज्य सभा से सन्देश	४०१६
सचिव ने राज्य सभा से एक सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा ९ सितम्बर, १९५९ को पारित किये गये त्रावणकोर-कोचीन मोटर गाड़ियां कराधान (संशोधन और मान्यीकरण) विधेयक १९५९ के बारे में लोकसभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।	

विषय	पृष्ठ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . ४०१६

सचिव ने ३१ अगस्त, १९५९ को सभा को दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के बाद वाले सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखे :—

(१) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५९ ।

(२) विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५९ ।

(३) विनियोग (संख्या ६) विधेयक, १९५९ ।

(४) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, १९५९ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ४०१६–१७

(१) श्री स० मो० बनर्जी ने भारत के उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार को जम्मू और काश्मीर राज्य तक बढ़ाने के विचार के बारे में पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् से किये गये कथित विरोध की ओर प्रधान मन्त्री का ध्यान दिलाया ।

प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(२) ब्रिटेन के हाकर सिडले ग्रुप से सी हाक जेट लड़ाकू विमानों की कथित खरीद के बारे में श्री उमाचरण पटनायक द्वारा दी गयी दूसरी ध्यान दिलाने वाली सूचना के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) ने एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा ।

भारत-चीन सम्बन्धों पर श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव . . ४०१७–५९

श्री प्र० के० देव ने भारत-चीन सम्बन्धों पर श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्तुत किए गए आठ स्थानापन्न प्रस्तावों में से एक वापस लिया गया, छः अस्वीकार किये गये । चर्चा समाप्त हुई और एक स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आधे घंटे की चर्चा ४०५९—६४

श्री काशीनाथ पाण्डे ने गोरखपुर श्रम संगठन के बारे में २८ अगस्त, १९५९ को दिये गये अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ७ के उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घण्टे की चर्चा उठायी ।

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) ने वादविवाद का उत्तर दिया ।

लोक-सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित हुई ।

दूसरी लोक-सभा के आठवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप

	३ अगस्त से १२ सितम्बर, १९५९
१. सत्र की अवधि	१२ श्रावण से २१ भाद्र १८८१ (शक)
२. बैठकों की संख्या	३१
३. बैठकों के कुल घण्टों की संख्या	१९७
४. मत-विभाजनों की संख्या	४
५. सरकारी विधेयक—	
(१) सत्र के प्रारम्भ में लम्बित	११
(२) पुरस्थापित किये गये	१९
(३) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखे गये	२
(४) प्रवर समिति को सौंपा गया	कोई नहीं
(५) संयुक्त समिति को सौंपा गया	१
(६) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित	कोई नहीं
(७) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित	४
(८) पारित किये गये	२४
(९) राज्य सभा द्वारा बिना किसी संशोधन के वापिस किये गये	८
(१०) राज्य सभा द्वारा संशोधन सहित वापस किये गये	कोई नहीं
(११) सत्र की समाप्ति पर लम्बित	८
६. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक —	
(१) सत्र के प्रारम्भ में लम्बित	९२
(२) पुरस्थापित किये गये	१०
(३) वापस लिया गया	१
(४) सत्र की समाप्ति पर लम्बित	९९
स्वीकृत हुआ	१
७. सरकारी संकल्प—	
(१) प्रस्तुत किया गया	१
(२) स्वीकृत हुआ	१
८. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	
(१) प्राप्त हुए	८९६
(२) स्वीकृत हुआ	कोई नहीं
(३) कार्यसूची में सम्मिलित किये गये	१८
(४) वापस लिये गये	२
(५) अस्वीकृत हुआ	१

	३ अगस्त से १२ सितम्बर, १९५९	१२ श्रावण से २१ भाद्र, १८८१ (शक)
९. सरकारी प्रस्ताव—		
(१) प्रस्तुत किये गये	३	
(२) स्वीकृत हुए	३	
१०. गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव —		
(१) प्राप्त हुए	५८	
(२) गृहीत किये गये	२८	
(३) प्रस्तुत किये गये	१२	
(४) स्वीकृत हुए	८	
११. संविहित नियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव—		
(१) प्राप्त हुए	७	
(२) गृहीत किये गये	७	
(३) प्रस्तुत किया गया	कोई नहीं	
१२. अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्तावों पर चर्चा	१	
१३. आधे घण्टे की चर्चा	९	
१४. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की संख्या, जिनकी ओर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित कराया गया तथा जिन पर मंत्रियों ने वक्तव्य दिया या वक्तव्य को सभा पटल पर रखा	१२	
१५. स्थगन प्रस्ताव —		
(१) प्राप्त हुए	४३	
(२) गृहीत किया गया	कोई नहीं	
(३) अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी	४३	
१६. पूछे गये प्रश्न —		
(१) तारांकित	१४१८	
(२) अतारांकित (उन तारांकित प्रश्नों समेत, जिनको अतारांकित बना दिया गया)	२७२३	
(३) अल्पसूचना प्रश्न	१८	
१७. संसदीय समितियों के प्रतिवेदन उपस्थापित—		
(१) कार्य मंत्रणा समिति	५	
(२) विशेषाधिकार समिति	१ (दसवां)	
(३) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	२	
(४) याचिका समिति	१	
(५) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	५ छयालीसवें से पचासवां)	
(६) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	१	
(७) नियम समिति	कोई नहीं	